VAID ICS LUCKNOW

करेंट अफेयर्स मैगज़ीन

यूपीएससी / यूपी पीसीएस

सितम्बर, 2025

B-36, SECTOR-C, ALIGANJ, LUCKNOW-226024

क्र सं.	टॉपिक	पृष्ठ सं.	क्रम सं.	टॉपिक	पृष्ठ सं.
1.	जन विश्वास 2.0 विधेयक, 2025	1	37.	H-1B वीज़ा: भारतीय आईटी उद्योग पर प्रभाव	58
2.	फाइबर-ऑप्टिक टोव्ड डिकॉय सिस्टम	2	38.	मिशन शक्ति 5.0	59
3.	आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ	4	39.	वर्ल्ड फूड इंडिया 2025	60
4.	अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मूल्य न्यूनतम	6	40.	प्रांतीय नागरिकता	62
5.	वैश्विक शासन पहल	7	41.	K वीजा – चीन	63
6.	परचेज़िंग मैनेजर्स' इंडेक्स	9	42.	दुनिया का प्रथम AI-डिज़ाइन जीनोम	64
7.	CEREBO	10	43.	विकसित उत्तर प्रदेश: विजन 2047 कॉन्क्लेव	66
8.	ग्रेफाइट स्पाईवेयर	11	44.	सीएजी: राज्यों की वृहद्-वित्तीय स्थिति	67
9.	फील्ड अबंडेंस–म्यूजियम अबंडेंस	12		**प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य**	
10.	इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2025	14	45.	एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण	70
11.	ब्लड मून	15	46.	इंडिया हैबिटेट सेंटर (IHC)	70
12.	दीर्घकालीन वीजा	17	47.	संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) प्रस्ताव 1172 (1998)	71
13.	भारत ने जीता हॉकी एशिया कप 2025	19	48.	टिवा लांगखुन महोत्सव	72
14.	RNAscope और Xenium	20	49.	बांडुंग सम्मेलन 1955	73
15.	ESG मानक	22	50.	अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025	73
16.	नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस	24	51.	स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान	75
17.	इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट	25	52.	पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स	76
18.	आदिवासी जनजातियों के संरक्षण विनियमन:1956	26	53.	संत कबीर टेक्सटाइल पार्क योजना	76
19.	ग्रैंड इथियोपियन रेनैसां डैम	28	54.	जुपिटर / एयरावत-PSAI	78
20.	नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस-2025	30	55.	2025 PN7	79
21.	पिंक टैक्स	32	56.	एंटीफ़ा (Antifa)	79
22.	अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण	34	57.	सुपर टाइफून रागासा	80
23.	16वीं संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन	36	58.	एस्ट्रोसैट	81
24.	सामान्य वित्तीय नियम	38			
25.	तटीय विनियमन क्षेत्र	39			
26.	एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स	41			
27.	ईरान और यूरोपीय देश	43			
28.	हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर कोड्स	44			
29.	स्मॉग-ईटिंग फोटोकैटेलिटिक कोटिंग्स	45			
30.	आनंद विवाह अधिनियम, 1909	47			
31.	न्यू START संधि	49			
32.	औद्योगिक उत्पादन और कोर उद्योग सूचकांक	50			
33.	स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर	52			
34.	उत्तर प्रदेश में जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध	53			
35.	71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	55			
36.	COP 30	56			

जन विश्वास 2.0 विधेयक, 2025

क्यों चर्चा में? हाल ही में लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 **पेश किया गया।**

- इसका उद्देश्य 16 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करके **कुछ अपराधों का अपराधीकरण समाप्त करना और दंडों को तर्कसंगत बनाना** है।
- यह मोदी सरकार का दूसरा ऐसा प्रयास है।
    - पहला विधेयक (2023) → 19 मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत आने वाले 42 केंद्रीय अधिनियमों की 183 धाराओं में संशोधन किया गया था।
- **लक्ष्य:** विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देना, व्यवसाय सुगमता बढ़ाना और अनावश्यक आपराधिक दंड कम करना।

विधेयक की आवश्यकता क्यों? (विदि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के अनुसार)

- भारत में 882 केंद्रीय कानून हैं → इनमें से **370 में आपराधिक प्रावधान** हैं।
- कुल मिलाकर ये **7,305 अपराध** बनाते हैं।
- इनमें से 75% से अधिक कानून मूल आपराधिक न्याय से बाहर के क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं (जैसे पर्यावरण, कराधान, वित्तीय संस्थाएँ, नगरपालिका शासन)।
- अधिक अपराधीकरण से समस्याएँ:
    - न्यायपालिका पर बोझ → 3.6 करोड़ लंबित मामले (23% 10 वर्ष से अधिक पुराने)।
    - उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए डर और उत्पीड़न।
    - विकास, रोजगार सृजन और GDP में बाधा।

2025 विधेयक में क्या प्रावधान हैं?

कुल 355 प्रावधानों में संशोधन

- 288 प्रावधान → अपराधीकरण समाप्त।
- 67 प्रावधान → दंड तर्कसंगत बनाए गए।

16 केंद्रीय अधिनियम (10 मंत्रालय/विभाग) शामिल, जैसे:

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940
- सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950
- चाय अधिनियम, 1953
- नारियल रेशा उद्योग अधिनियम, 1953
- हथकरघा अधिनियम, 1985
- दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957
- शिक्षुता अधिनियम, 1961
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988
- नई दिल्ली नगर परिषद अधिनियम, 1994
- विद्युत अधिनियम, 2003 इत्यादि।

VAID ICS LUCKNOW

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ:

चेतावनी और सुधार नोटिस:

- 10 अधिनियमों में पहली बार गलती करने वालों को केवल चेतावनी/सुधार का अवसर।
- उदाहरण: विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 में पहली बार जुर्माने की जगह त्रुटि सुधारने का समय मिलेगा।

अपराधीकरण समाप्त (Decriminalisation):

- छोटे, तकनीकी और प्रक्रियात्मक अपराधों के लिए **कैद की सज़ा हटाई गई**।
- इसके स्थान पर **मौद्रिक दंड या चेतावनी**।
- दंड राशि अब 10,000 से लेकर 10 लाख तक।

पुनः अपराध पर कठोर दंड:

- हर तीन साल में स्वतः दंड में 10% की वृद्धि।
- उद्देश्य: बिना कानून संशोधन के निवारक प्रभाव बनाए रखना।

महत्व (Significance):

- व्यवसाय-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा।
- प्रक्रियात्मक चूक पर कैद के डर में कमी।
- न्यायिक लंबित मामलों में कमी।
- उद्योगों, उद्यमियों और नागरिकों के लिए कानूनी अनुपालन सरल।
- सरकार के **Ease of Living और Ease of Doing Business** दृष्टिकोण से सामंजस्य।

फाइबर-ऑप्टिक टोव्ड डिकॉय (FOTD) सिस्टम

क्यों चर्चा में? आधुनिक युद्ध अब अत्यधिक सटीक हो गए हैं, इसलिए धोखा देने की तकनीकें (decoys) **अब विमान, टैंक और युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए अत्यावश्यक हैं।**

- भारत ने कथित रूप से **राफेल जेट्स पर X-Guard FOTD सिस्टम** का उपयोग **ऑपरेशन सिंदूर** के दौरान किया, जिससे पाकिस्तान के J-10C लड़ाकू विमानों और उनकी लंबी दूरी की मिसाइलों को भ्रमित किया गया।
- भारतीय नौसेना (जैसे **INS करंज**) भी टॉरपीडो डिकॉय सिस्टम का उपयोग करती है, जबकि भारतीय थलसेना ने हाल ही में **ड्रोन और मिसाइलों को भ्रमित करने के लिए टैंक डिकॉय** की मांग की।

FOTD का महत्व:

कैसे काम करता है?

- लगभग **30 किग्रा वज़नी, पुनः उपयोग योग्य** सिस्टम।
- विमान के पीछे लगभग **100 मीटर तक खींचा जाता है**, जो उसके **रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की नकल** करता है।

क्षमताएँ:

- विमान का **रडार क्रॉस सेक्शन (RCS)**, गति और जैमिंग सिग्नल की नकल करता है।

VAID IAS LUCKNOW

- राफेल के **SPECTRA इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर (EW) सूट** के साथ एकीकृत होकर **मल्टी-लेयर शील्ड** तैयार करता है।
- मानव ऑपरेटरों और उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम दोनों को गुमराह करता है।

प्रभाव:

- राफेल जैसे महंगे विमानों की रक्षा।
- दुश्मन की मिसाइलें व्यर्थ जाती हैं और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
- विवादित हवाई क्षेत्रों में **जीवित रहने की संभावना बढ़ती है।**

अन्य देशों में अनुप्रयोग:

यूरोप:

- **लियोनार्डो का BriteCloud** → यूरोफाइटर टाइफून, ग्रिपेन-E, और कुछ F-16 पर उपयोग।

अमेरिका:

- **रेथियॉन/BAE AN/ALE-50/55 टोव्ड डिकॉय** → F/A-18E/F सुपर हॉरनेट पर।
- **Nulka डिकॉय** (युद्धपोतों के लिए) → सक्रिय, स्वयं-चालित डिकॉय जो रडार-निर्देशित मिसाइलों को गुमराह करता है।

यूक्रेन:

- **लकड़ी और 3D-प्रिंटेड डिकॉय** → तोपखाने, राडार और मिसाइल प्रणालियों के नकली संस्करण बनाकर रूसी ड्रोन और मिसाइलों को भ्रमित करना।

रूस और चीन:

- **Inflatech डिकॉय** → टैंक, तोपखाने या मिसाइल बैटरियों के नकली संस्करण बनाते हैं, जिनमें रडार/थर्मल सिग्नेचर होते हैं।
- चीन → जमीनी और नौसैनिक बलों के लिए छलावरण और धोखे की तकनीक में निवेश।

अमेरिका और NATO:

- **ड्रोन-माउंटेड डिकॉय** पर भी प्रयोग → राडार को गुमराह करना और दुश्मन की मिसाइलें व्यर्थ कराना।

धोखा तकनीक (Deception Technology) क्या है?

- यह एक रणनीति है जिसके तहत **साइबर अपराधियों को वास्तविक संसाधनों से दूर ले जाकर नकली सर्वर, एप्लिकेशन और डाटा** की ओर मोड़ दिया जाता है।
- अपराधी सोचता है कि उसने संगठन के महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच बना ली है, जबकि वास्तव में वह **जाल (trap)** में फँस जाता है।

लक्ष्य:

- असली संसाधनों को बचाना और अपराधी को गुमराह करना।
- यह प्राथमिक साइबर सुरक्षा रणनीति नहीं होती, बल्कि **संदिग्ध उल्लंघन होने के बाद** सहायक तकनीक के रूप में प्रयोग होती है।

VAIDICS LUCKNOW

- नकली डाटा और क्रेडेंशियल्स की ओर अपराधियों को मोड़कर संगठन के **महत्वपूर्ण डेटा और प्रणालियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।**

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (Invasive Alien Species - IAS)

क्यों चर्चा में? हाल ही में *Nature Ecology & Evolution* पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 1960 से 2022 तक IAS से वैश्विक क्षति $2.2 ट्रिलियन से अधिक **रही, लेकिन वास्तविक लागत का बहुत कम अनुमान लगाया गया है।**

- भारत में विशेषकर प्रबंधन व्यय के आंकड़े अत्यधिक कम दर्ज किए गए हैं, जिससे यह चिंता बढ़ती है कि देश इस खतरे से निपटने के लिए कितना तैयार है।

अध्ययन की वैश्विक खोज (Global Findings):

- अध्ययन ने *InvaCost* (जैविक आक्रमणों की आर्थिक लागत का वैश्विक डेटाबेस) के आँकड़े विश्लेषित किए।
- पाया गया कि पहले के आकलनों की तुलना में लागत **16 गुना कम आंकी गई थी।**

प्रजाति समूह के अनुसार लागत (1960–2022):

- गैर-स्थानीय पौधे → **$926.38 बिलियन** (सबसे महंगे और प्रभावशाली)।
- आर्थ्रोपॉड्स (कीट आदि) → **$830.29 बिलियन।**
- स्तनधारी → **$263.35 बिलियन।**

क्षेत्रवार लागत:

- यूरोप → **$1.5 ट्रिलियन** (71.45% वैश्विक लागत)।
- उत्तर अमेरिका → $226 बिलियन।
- एशिया → $182 बिलियन।
- अफ्रीका → $127 बिलियन।
- ऑस्ट्रेलिया और ओशिआनिया → $27 बिलियन।

भारत की छिपी हुई लागत:

- अध्ययन से पता चला कि भारत में **प्रबंधन लागत की रिपोर्टिंग में सबसे बड़ा अंतर** (1.16 अरब प्रतिशत) पाया गया।
- इसका अर्थ है कि IAS प्रबंधन पर वास्तविक खर्च बहुत अधिक है, लेकिन वह दर्ज नहीं हुआ।

संभावित कारण:

- केंद्रीकृत डाटा प्रणाली का अभाव।
- एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी।
- अन्य संरक्षण प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान।
- स्थानीय भाषाओं में रिपोर्टें *InvaCost* डेटाबेस में शामिल न होना।

उदाहरण:

VAIDICS LUCKNOW

- बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान → **लैंटाना कैमरा (Lantana camara)** नामक आक्रामक खरपतवार से ढका हुआ है, जो अत्यधिक ज्वलनशील है और **जैव विविधता तथा आग के जोखिम** को बढ़ाता है।

भारत की चुनौतियाँ:

- प्रबंधन लागत का अपर्याप्त दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग।
- रणनीतिक वित्तपोषण और समर्पित संस्थागत तंत्र का अभाव।
- सीमित संसाधनों पर निर्भरता।
- **आर्थिक + पारिस्थितिक दोहरा बोझ:** जैव विविधता का नुकसान और प्रबंधन लागत का बढ़ना।

वैश्वीकरण और आक्रामक प्रजातियों का प्रसार:

- IAS का प्रसार व्यापार, यात्रा और द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से।
- सामान्य उदाहरण:
    - जापानी नॉटवीड (*Reynoutria japonica*)
    - कॉमन लैंटाना (*Lantana camara*)
- शोधकर्ता ब्रायन लियुंग की चेतावनी: सभी गैर-स्थानीय प्रजातियों को अंधाधुंध हटाना उचित नहीं है क्योंकि कई **कृषि फसलें भी गैर-स्थानीय** हैं।
- चुनौती: **आर्थिक वैश्वीकरण और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन।**

अंतरराष्ट्रीय नीतियाँ और नियंत्रण उपाय:

Ballast Water Management Convention (IMO):

- जहाजों के बैलास्ट जल के माध्यम से हानिकारक जलीय जीवों के प्रसार को रोकना।

जैव विविधता पर सम्मेलन (CBD):

- भारत भी पक्षकार है।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन का आह्वान।

भारत में राष्ट्रीय स्तर की रणनीतियाँ:

- IAS प्रबंधन के लिए अभी तक **समग्र ढाँचा विकसित नहीं हुआ** है।
- प्रयास अभी भी बिखरे हुए हैं।

आगे की राह (Way Forward):

- डाटा संग्रह और रिपोर्टिंग को मज़बूत करना।
- IAS निगरानी हेतु केंद्रीकृत प्राधिकरण/डेटाबेस स्थापित करना।
- वानिकी, कृषि और व्यापार विभागों में समन्वय बढ़ाना।
- रणनीतिक वित्तपोषण और राष्ट्रीय जैव विविधता व जलवायु नीतियों में IAS प्रबंधन को शामिल करना।
- जनता और स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाना।

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (IAS) क्या हैं?

- ये ऐसे **जानवर, पौधे या अन्य जीव** हैं जिन्हें उनके प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर लाया जाता है और वे **स्थानीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और मानव कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव** डालते हैं।

VAID ICS LUCKNOW

- IAS → **जैव विविधता हानि और प्रजातियों के विलुप्त होने के बड़े कारणों में से एक** हैं।
- ये **खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए वैश्विक खतरा** भी हैं।
- **जलवायु परिवर्तन** IAS के प्रसार को और तेज करता है।

अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मूल्य न्यूनतम (International Carbon Price Floor – ICPF)

क्यों खबरों में? ICPF**, जिसे सबसे पहले IMF ने 2021 में प्रस्तावित किया था, 2024–25 की वैश्विक जलवायु वार्ताओं में फिर से केंद्र में आ गया है।**

- इस पर चर्चा **विश्व आर्थिक मंच (WEF)** और **COP शिखर सम्मेलनों** में जारी है, जहाँ देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्बन मूल्य निर्धारण पर बहस कर रहे हैं।
- हाल ही में **WEF** ने ICPF को लागू करने के लिए **तीन-चरणीय दृष्टिकोण** सुझाया है।

ICPF के बारे में:

उत्पत्ति:

- प्रस्तावक: **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** – जून 2021।
- उद्देश्य: देशों में न्यूनतम कार्बन मूल्य तय करना ताकि **कार्बन लीकज** (प्रदूषक उद्योगों का ढीले नियम वाले देशों की ओर पलायन) रोका जा सके।

IMF द्वारा सुझाए गए मूल्य स्तर (2021):

- **निम्न-आय वाले देश** → $25 प्रति टन CO_2
- **मध्यम-आय वाले देश** → $50 प्रति टन CO_2
- **उच्च-आय वाले देश** → $75 प्रति टन CO_2

उद्देश्य व लक्ष्य:

- डीकार्बोनाइजेशन की लागत का न्यायसंगत व समान वितरण।
- व्यवसायों व निवेशकों को ऊर्जा संक्रमण में निश्चितता प्रदान करना।
- विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त का समर्थन।
- पेरिस समझौते के तहत **1.5°C लक्ष्य** हासिल करने में मदद।

IMF की अन्य पहलें:

जलवायु वित्त सुविधा (Climate Finance Facility) – 2022–23

- **Resilience and Sustainability Trust (RST)** के विस्तार का प्रस्ताव।
- उद्देश्य: विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई हेतु **दीर्घकालिक, कम-ब्याज वित्त** उपलब्ध कराना।
- कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को संक्रमण जोखिम और जलवायु झटकों से निपटने में मदद।

हरित सार्वजनिक निवेश और सब्सिडी सुधार

- जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध ढंग से हटाने की सिफारिश।
- धन को नवीकरणीय ऊर्जा और हरित अवसंरचना में पुनर्निर्देशित करना।
- हरित करों और सशक्त जलवायु-संबंधी राजकोषीय ढाँचे का सुझाव।

VAID ICS LUCKNOW

वैश्विक कार्बन मूल्य समन्वय (Global Carbon Price Coordination – ICPF से परे)

- IMF लगातार न्यूनतम वैश्विक कार्बन मूल्य का समर्थन करता रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (International Emissions Trading Systems) की भी खोज की गई ताकि कार्बन बाज़ारों को सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सके।

WEF की पहलें:

तीन-चरणीय अंतर्राष्ट्रीय कार्बन मूल्य रोडमैप (ICPF से जुड़ा):

- चरण 1: स्वैच्छिक पारदर्शिता।
- चरण 2: कार्बन मूल्यों का क्रमिक अभिसरण।
- चरण 3: बाध्यकारी वैश्विक ढाँचा।

मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप (MPP):

- कठिन-से-कम-कार्बन क्षेत्रों (इस्पात, सीमेंट, शिपिंग, उड्डयन) का डीकार्बोनाइजेशन।
- सहयोगी वित्तपोषण व कार्बन मूल्य निर्धारण के ज़रिए।

फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन (2021):

- COP26 में **अमेरिका व WEF** द्वारा शुरू।
- कंपनियाँ **ग्रीन स्टील, सतत उड्डयन ईंधन** आदि जैसे निम्न-कार्बन उत्पाद खरीदने के लिए प्रतिबद्ध → स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए माँग-पक्ष (demand-pull) तैयार।

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट एवं जलवायु शासन सिद्धांत:

- WEF द्वारा नियमित प्रकाशन।
- जलवायु शासन, ESG मानक, और हरित वित्त ढाँचों पर मार्गदर्शन।

वैश्विक शासन पहल (Global Governance Initiative – GGI)

क्यों खबरों में? शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन 2025 **तियानजिन (चीन) में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की।**

- इस दौरान **तियानजिन घोषणा-पत्र** को अपनाया गया, जिसमें **आतंकवाद की निंदा** (पाहलगाम, जाफ़र एक्सप्रेस और खुज़दार हमलों सहित) की गई।

शिखर सम्मेलन और तियानजिन घोषणा-पत्र के प्रमुख बिंदु:

आतंकवाद की निंदा:

- सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की कड़ी निंदा।
- सीमा-पार आतंकवाद पर रोक लगाने की अपील।
- पीएम मोदी ने ज़ोर दिया कि आतंकवाद का विरोध "सभी रूपों और रंगों" में होना चाहिए।

एकतरफ़ा प्रतिबंधों का विरोध:

VAIDICS LUCKNOW

- एकतरफ़ा आर्थिक दबाव/प्रतिबंध (sanctions, tariffs) का विरोध, जिन्हें **संयुक्त राष्ट्र चार्टर और WTO नियमों का उल्लंघन** माना गया – अमेरिका पर परोक्ष टिप्पणी।

भू-राजनीतिक चिंताएँ:

- गाज़ा में इज़राइल के हमलों और अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमलों की निंदा।
- फ़िलिस्तीन मुद्दे पर दो-राष्ट्र समाधान का समर्थन।
- ईरान पर से प्रतिबंध हटाने हेतु **UNSC प्रस्ताव 2231** का पुनः समर्थन।
- अफ़ग़ानिस्तान में समावेशी सरकार की अपील।

संस्थागत व संरचनात्मक निर्णय:

- **"ऑब्ज़र्वर" और "डायलॉग पार्टनर" श्रेणियों का विलय → नई श्रेणी बनी: Partner Country।**
- लाओस नए साझेदार के रूप में जुड़ा → अब **SCO = 10 सदस्य + 17 साझेदार = 27 देश।**
- **SCO विकास बैंक** की स्थापना पर सहमति (चीन का दीर्घकालिक एजेंडा)।

चीन की घोषणाएँ:

- **वैश्विक शासन पहल (GGI)** का प्रस्ताव।
- SCO बैंकों के लिए 2025 में ¥2 अरब अनुदान व अगले 3 वर्षों में ¥10 अरब का ऋण।
- **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** को मज़बूत समर्थन (भारत ने विरोध बनाए रखा)।

भारत का रुख:

- आतंकवाद की निंदा व **राज्य-प्रायोजित आतंकवाद के ख़तरों** पर प्रकाश।
- गाज़ा पर मानवीय दृष्टिकोण का समर्थन, पर चीन के BRI का विरोध।
- पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाक़ात कर **यूक्रेन युद्ध में युद्धविराम और द्विपक्षीय सहयोग** पर बल दिया।

तियानजिन घोषणा-पत्र (2025) – प्रमुख फोकस क्षेत्र:

- आतंकवाद, अलगाववाद, चरमपंथ की निंदा।
- एकतरफ़ा आर्थिक दबाव का विरोध।
- बहुध्रुवीय विश्व और ग्लोबल साउथ सहयोग का समर्थन।
- गाज़ा युद्ध और मानवीय संकट पर गहरी चिंता।
- अफ़ग़ानिस्तान में समावेशी शासन की अपील।
- ईरान परमाणु समझौते (UNSC 2231) की पुनः पुष्टि।
- **BRI का समर्थन (भारत को छोड़कर अन्य सभी)।**
- SCO विकास बैंक को बढ़ावा।

वैश्विक शासन पहल (Global Governance Initiative – GGI):

- प्रस्ताव: **शी जिनपिंग**, SCO शिखर सम्मेलन 2025।
- उद्देश्य:
    - न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना।
    - बहुपक्षवाद (Multilateralism) को केंद्र में रखकर वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार।

VAID IAS LUCKNOW

- वैश्विक निर्णय-निर्माण में **संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका** का समर्थन।
- **ग्लोबल साउथ** की नेतृत्व भूमिका को प्रोत्साहन।
- जन-केंद्रित दृष्टिकोण, समानता और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के पालन पर ज़ोर।

- महत्व: इसे **पश्चिम-प्रधान संस्थाओं (IMF, विश्व बैंक, WTO)** के विकल्प/चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

परचेज़िंग मैनेजर्स' इंडेक्स (PMI)

क्यों खबरों में? भारत के विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र की गतिविधि अगस्त 2025 में पिछले 17.5 वर्षों में सबसे तेज़ गति से **बढ़ी है, जैसा कि HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI के अनुसार।**

- अगस्त 2025 में PMI **59.3** तक पहुँचा (जुलाई का 59.1 से ऊपर), जो **मध्य-2008 के बाद का सबसे ऊँचा स्तर** है।
- यह उछाल मज़बूत घरेलू मांग, नए ऑर्डरों की बढ़ोतरी, अधिक उत्पादन और रोज़गार सृजन से प्रेरित रहा।
- हालाँकि, अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर **50% टैरिफ वृद्धि** से नए निर्यात ऑर्डरों पर हल्का असर पड़ा।

मुख्य बिंदु:

- **2008 के बाद सबसे तेज़ विस्तार** – PMI 59.3 → 17 साल में सबसे बड़ी सुधारात्मक वृद्धि।
- **घरेलू मांग में उछाल** – नए ऑर्डर और उत्पादन की मात्रा में तेज़ वृद्धि (पिछले 5 सालों में सबसे तेज़)।
- **रोज़गार में बढ़ोतरी** – कंपनियों ने निरंतर मांग की आशा में अधिक नौकरियाँ पैदा कीं।
- **भविष्य की तैयारी** – कंपनियों ने कच्चे माल की ख़रीद बढ़ाई ताकि भविष्य की मांग पूरी हो सके।
- **बाहरी चुनौती** – अमेरिकी टैरिफ अनिश्चितता के कारण निर्यात ऑर्डरों की वृद्धि धीमी रही।

PMI के बारे में:

- **परिभाषा**: यह एक आर्थिक सूचकांक है, जो हर महीने निजी क्षेत्र की कंपनियों (विनिर्माण और सेवाएँ) के सर्वे से तैयार किया जाता है। यह **व्यापारिक गतिविधियों की स्थिति** को दर्शाता है।
- **भारत में प्रकाशन**: HSBC द्वारा प्रकाशित (पहले S&P Global / IHS Markit द्वारा)।
- **सीमा (Range)**:
  - **50 से ऊपर → विस्तार (Expansion)**
  - **50 से नीचे → संकुचन (Contraction)**
  - **50 के बराबर → कोई परिवर्तन नहीं (No Change)**

महत्व:

- आर्थिक रुझानों का प्रारंभिक संकेत देता है।
- नीतिनिर्माताओं (RBI, सरकार) और निवेशकों को अर्थव्यवस्था की स्थिति आँकने में मदद करता है।
- इसमें पाँच प्रमुख कारक शामिल हैं –
  1. उत्पादन (Output)
  2. नए ऑर्डर (New Orders)
  3. रोज़गार (Employment)
  4. आपूर्ति समय (Suppliers' Delivery Times)

VAIDICS LUCKNOW

5. स्टॉक/भंडारण स्तर (Inventory Levels)

भारत में प्रकार:

1. **मैन्युफैक्चरिंग PMI** – औद्योगिक उत्पादन का रुझान बताता है।
2. **सेवाएँ PMI** – सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को मापता है।
3. **कंपोज़िट PMI** – दोनों को मिलाकर समग्र गतिविधि दर्शाता है।

CEREBO

क्यों समाचार में? CEREBO एक नवीन (hand-held), पोर्टेबल, गैर-आक्रामक (non-invasive) मस्तिष्क चोट (Brain Injury) निदान उपकरण है, जिसे निम्नलिखित संस्थाओं के सहयोग से विकसित किया गया है:

- ICMR (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद)
- मेडिकल डिवाइस एवं डायग्नोस्टिक्स मिशन सचिवालय (MDMS)
- AIIMS भोपाल
- NIMHANS, बेंगलुरु
- बायोस्कैन रिसर्च
- इसे **क्लिनिकल मान्यता (Clinical Validation)**, **नियामकीय स्वीकृति (Regulatory Approvals)** प्राप्त हो चुकी है तथा इसे भारत और वैश्विक स्तर पर व्यापक उपयोग हेतु अनुशंसित किया गया है।

CEREBO के बारे में:

- **प्रौद्योगिकी**: निकट-अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी (Near-Infrared Spectroscopy) + मशीन लर्निंग पर आधारित।
- **कार्य**: 1 मिनट के भीतर **अंतरकपालीय रक्तस्राव (Intracranial Bleeding) एवं शोथ (Edema)** का पता लगाता है।
- **उपयोगकर्ता**: शिशुओं, गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित; पैरामेडिक्स या अल्प-प्रशिक्षित कर्मी भी चला सकते हैं।
- **आउटपुट**: रंग-कोडेड (Colour-Coded), विकिरण-मुक्त (Radiation-Free), किफ़ायती परिणाम प्रदान करता है।

तैनाती के क्षेत्र (Deployment Areas):

- एम्बुलेंस
- ट्रॉमा सेंटर
- ग्रामीण क्लिनिक
- आपदा प्रतिक्रिया इकाई (Disaster Response Units)
- सेना व आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएँ

उपकरण का महत्व:

- **CT एवं MRI स्कैन की सीमाओं** को संबोधित करता है (उच्च लागत, विकिरण, ढाँचागत आवश्यकताएँ, प्रशिक्षित स्टाफ)।
- तीव्र प्राथमिक जाँच (Rapid Triage) → डॉक्टर यह तय कर सकते हैं कि उन्नत इमेजिंग की तुरंत आवश्यकता है या नहीं।

VAID ICS LUCKNOW

- **दूरदराज़ व संसाधन-विहीन क्षेत्रों** में प्रारंभिक पहचान कर जीवन बचाने की क्षमता।
- ग्लासगो कोमा स्केल (GCS) आधारित मूल्यांकन में होने वाली **नैदानिक त्रुटियों को कम करता है**।

स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन (Health Technology Assessments) सुझाव:

- तृतीयक देखभाल (Tertiary Care) में CT स्कैन प्रक्रिया को तेज़ करता है।
- बेहतर प्राथमिकता निर्धारण (Optimised Triage)।
- इमेजिंग लागत में कमी।

ट्रॉमैटिक ब्रेन इंजरी (TBI) के बारे में:

- **परिभाषा**: सिर पर अचानक चोट/आघात, जिससे सामान्य मस्तिष्क कार्य बाधित होता है।
- **गंभीरता**:
  - *हल्की (Concussion)* → अवलोकन पर्याप्त।
  - *गंभीर* → दीर्घकालिक विकलांगता या मृत्यु का कारण।

भारत में कारण (Epidemiology):

- सड़क दुर्घटनाएँ → ~60%
- गिरना → 20–25%
- हिंसा/हमले → ~10%

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ (Public Health Burden):

- प्रतिवर्ष ~1.5–2 मिलियन TBI मामले।
- ~10 लाख मौतें प्रतिवर्ष।
- प्रमुख कारण: रोग, विकलांगता और सामाजिक-आर्थिक क्षति।

जटिलताएँ (Complications):

- अंतरकपालीय रक्तस्राव (Intracranial Bleeding)
- मस्तिष्क शोथ (Brain Swelling)
- दीर्घकालिक शारीरिक, संज्ञानात्मक व भावनात्मक विकार।

ग्रेफाइट स्पाइवेयर (Graphite Spyware)

क्यों चर्चा में: ट्रंप प्रशासन ने **इजरायली स्पाइवेयर कंपनी पैरागन सॉल्यूशंस (Paragon Solutions)** के साथ रुका हुआ अनुबंध फिर से शुरू कर दिया है।

- इस कदम के तहत **यू.एस. इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE)** को **ग्रेफाइट** नामक उन्नत स्पाइवेयर का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी।
- **बाइडेन प्रशासन** ने मार्च 2023 में इस अनुबंध को **गोपनीयता उल्लंघन और दुरुपयोग की आशंका** के कारण रोक दिया था।
- अब ICE इस स्पाइवेयर का उपयोग **अवैध प्रवासियों (Undocumented Immigrants)** पर नज़र रखने के लिए करेगा, जिससे **निगरानी, गोपनीयता और मानवाधिकार** पर बहस छिड़ गई है।

VAID IAS LUCKNOW

ग्रेफाइट स्पाइवेयर के बारे में:

- यह **उन्नत स्पाइवेयर टूल** है, जो **मोबाइल फोन को रिमोटली नियंत्रित** कर सकता है।
- इसकी क्षमताएँ:
    - कॉल की निगरानी करना (Call Monitoring)।
    - संदेश पढ़ना (Message Reading)।
    - **यूज़र लोकेशन ट्रैक** करना।
    - **एन्क्रिप्टेड ऐप्स** जैसे **व्हाट्सएप (WhatsApp)** और **सिग्नल (Signal)** की चैट इंटरसेप्ट करना।
    - **माइक्रोफोन और कैमरा** को गुप्त रूप से एक्टिवेट कर फोन को **सुनने और देखने वाले उपकरण** में बदलना।

नतीजा: यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को **व्यापक निगरानी (Mass Surveillance)** की क्षमता प्रदान करता है।

कंपनी के बारे में:

- **पैरागन सॉल्यूशंस** द्वारा विकसित।
- कंपनी के **सह-संस्थापक**: पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री **एहुद बराक (Ehud Barak)**।
- **निवेश समर्थन**: यू.एस.-आधारित **Advent International Partners**, जिसने इस कंपनी को **900 मिलियन डॉलर** में अधिग्रहित किया।
- इसके **पूर्व CIA अधिकारियों और अन्य खुफिया एजेंसियों** से गहरे संबंध हैं।

फील्ड अबंडेंस–म्यूजियम अबंडेंस (FAMA)

क्यों चर्चा में: भारत के **पश्चिमी घाट** में स्थित **नीलगिरि पहाड़ियों** में घासभूमि पक्षी समुदायों (Grassland Bird Communities) का पतन, 2025 में प्रकाशित एक अध्ययन के माध्यम से सामने आया है।

इस अध्ययन में **कोलंबिया विश्वविद्यालय (Columbia University)** और **कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी (Cornell Lab of Ornithology)** सहित कई संस्थानों के शोधकर्ताओं ने 1800 के दशक के शुरुआती और अंतिम वर्षों के पक्षी नमूनों का आधुनिक फील्ड सर्वेक्षण (Field Survey) से मिलान किया।

इसके लिए एक **नई बेयेजियन सांख्यिकीय विधि (Bayesian Statistical Method)** — **फील्ड अबंडेंस–म्यूजियम अबंडेंस (Field Abundance—Museum Abundance, FAMA)** का उपयोग किया गया।

अध्ययन के प्रमुख बिंदु (Key Points of the Study):

- **घासभूमि पक्षियों की भारी गिरावट:**
  नीलगिरि में पाई जाने वाली 9 घासभूमि पक्षी प्रजातियों में से 8 में **1850 के दशक से अब तक 90% की कमी** दर्ज की गई।
- **नीलगिरि पिपिट (Nilgiri Pipit)** और **मालाबार लार्क (Malabar Lark)** जैसी प्रजातियां, जो पूरी तरह घासभूमि पर निर्भर हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं।
- **वन पक्षियों की स्थिरता:**

VAIDICS LUCKNOW

लगभग **53% वन पक्षी प्रजातियों** की संख्या स्थिर रही है।

- इसका कारण यह है कि ये प्रजातियां **टिम्बर प्लांटेशन** (जैसे नीलगिरी, यूकेलिप्टस, और पाइन के बागान) में अनुकूलित हो गईं।
- जबकि घासभूमि पक्षियों के पास कोई वैकल्पिक आवास नहीं था।
- **आवास का नुकसान (Habitat Loss):**
  1848 में नीलगिरि क्षेत्र में **घासभूमि का क्षेत्रफल 993 वर्ग किमी** था, जो 2018 तक घटकर **201 वर्ग किमी** रह गया।
- यह कमी मुख्य रूप से **चाय, यूकेलिप्टस और पाइन के बागानों** में परिवर्तन के कारण हुई, जो **औपनिवेशिक काल (Colonial Period)** में आरंभ हुआ था।
- **डेटा का एकीकरण (Data Integration):**
  इस अध्ययन में 19वीं सदी के **म्यूजियम नमूनों**, **ऐतिहासिक मानचित्रों**, और अभिलेखों को आधुनिक फील्ड सर्वेक्षण और **सैटेलाइट इमेजरी** के साथ जोड़ा गया।
- इससे पक्षी जनसंख्या में समय के साथ हुए बदलावों को मापा गया।
- **संरक्षण की आवश्यकता (Conservation Call):**
  अध्ययन में **घासभूमि पुनर्स्थापन (Grassland Restoration)** को प्राथमिकता देने और **ओपन इकोसिस्टम** पर नीति-निर्माण का सुझाव दिया गया है, जिससे घटती पक्षी प्रजातियों का संरक्षण किया जा सके।

फील्ड अबंडेंस – म्यूजियम अबंडेंस (FAMA) विधि के बारे में:

FAMA विधि एक **बेयेजियन सांख्यिकीय उपकरण (Bayesian Statistical Tool)** है, जो ऐतिहासिक और आधुनिक काल की प्रजातियों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए **म्यूजियम डेटा** और **फील्ड डेटा** का एकीकरण करती है।

मुख्य बिंदु:

- **उद्देश्य (Purpose):**
  - ऐतिहासिक म्यूजियम डेटा में मौजूद **बायस (Bias)** जैसे असमान नमूनाकरण (Uneven Sampling) या कलेक्टर की प्राथमिकताओं को ठीक करते हुए, प्रजातियों की संख्या का सटीक आकलन करना।
- **डेटा स्रोत (Data Sources):**
  - **ऐतिहासिक म्यूजियम नमूने:** प्रजाति का नाम, संग्रह की तारीख, और स्थान।
  - **आधुनिक फील्ड सर्वेक्षण:** उन्हीं स्थलों से एकत्रित डेटा।
  - **भू-आवरण विश्लेषण (Land Cover Analysis):** ऐतिहासिक मानचित्र और सैटेलाइट इमेजरी।
- **बेयेजियन मॉडलिंग (Bayesian Modeling):**
  - ऐतिहासिक डेटा में अनिश्चितताओं को संभालने के लिए बेयेजियन तकनीक का उपयोग किया जाता है।
  - यह संभावना मॉडल तैयार करती है कि किसी क्षेत्र में किसी प्रजाति की उपस्थिति कितनी थी।
- **मुख्य विशेषता (Key Strength):**
  - यह **असमान और विविध डेटासेट्स** को मानकीकृत कर, प्रजातियों की जनसंख्या में लंबे समय तक आए परिवर्तनों का सटीक अनुमान प्रदान करती है।
- **व्यापक उपयोगिता (Broader Utility):**

VAIDICS LUCKNOW

- यह विधि न केवल भारत में, बल्कि **वैश्विक स्तर पर जैव विविधता (Biodiversity)** का अध्ययन करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है।

इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2025

क्यों चर्चा में: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में **इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2025 (Immigration and Foreigners Order, 2025)** अधिसूचित किया है, जिसने पुराने **फॉरेनर्स (ट्रिब्यूनल) ऑर्डर, 1964** को प्रतिस्थापित कर दिया है।

- यह आदेश **फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स (Foreigners Tribunals - FTs)** को **प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (First-Class Judicial Magistrate)** के अधिकार प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य **अवैध प्रवासियों (Illegal Migrants)** की पहचान, निरोध (Detention) और निर्वासन (Deportation) की प्रक्रिया को **पूरे भारत में सुव्यवस्थित** करना है।
- यह आदेश विशेष रूप से **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)** से जुड़े मुद्दों और पड़ोसी देशों से आने वाले अवैध प्रवास के बढ़ते मामलों की पृष्ठभूमि में लाया गया है।

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (Foreigners Tribunal) क्या है?

पहलू	विवरण
परिभाषा (Definition)	अर्द्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Bodies) जो यह तय करने के लिए स्थापित किए जाते हैं कि कोई व्यक्ति **विदेशी (Foreigner)** है या नहीं, **फॉरेनर्स एक्ट, 1946** के तहत (अब 2025 के नए आदेश के अंतर्गत)।
अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)	पहले ये केवल **असम (Assam)** तक सीमित थे, लेकिन अब नए आदेश के तहत **पूरे भारत में** इनका संचालन किया जा सकता है।
संरचना (Composition)	इनका नेतृत्व **सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों** या **अनुभवी सिविल सेवकों** द्वारा किया जाता है।
असम NRC में भूमिका	NRC से बाहर हुए व्यक्तियों की **नागरिकता संबंधी दावों पर निर्णय** देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वर्तमान स्थिति (Current Status)	असम में वर्तमान में **100 FTs** कार्यरत हैं जो NRC और अवैध प्रवास से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हैं।

नए आदेश का महत्व:

- अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए **कानूनी ढांचा (Legal Framework)** मजबूत होगा, विशेषकर **सीमावर्ती राज्यों** जैसे असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि में।
- अब केवल **कार्यपालिका (Executive)** पर निर्भरता कम होगी और एक **न्यायिक प्रणाली (Judicial System)** के अंतर्गत निरोध और निर्वासन की प्रक्रिया चलेगी।
- संवेदनशील क्षेत्रों में **अवैध घुसपैठ और रोजगार** को रोकने में मदद मिलेगी।

VAID ICS LUCKNOW

- **पूरे देश में एकरूपता (Uniformity)** लाने का प्रयास, हालांकि प्रारंभिक चरण में इसका फोकस अभी असम पर रहेगा।

संबंधित प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के मामले:

मामला (Case)	**वर्ष (Year)**	**महत्व (Relevance)**
सर्बानंद सोनोवाल बनाम भारत संघ (Sarbananda Sonowal v. Union of India)	2005	IMDT अधिनियम, 1983 को असंवैधानिक करार दिया क्योंकि यह असम में अवैध प्रवास को रोकने में विफल रहा।
असम NRC मामला (Assam NRC Case)	2013–2019	सुप्रीम कोर्ट ने पूरे NRC अपडेट प्रक्रिया की निगरानी की, जिसके तहत **19 लाख लोगों** को बाहर कर दिया गया।
स्टेट ऑफ असम बनाम मोसलेमुद्दीन (State of Assam v. Moslemuddin)	चल रहा है (Ongoing)	FTs की **संचालन शक्तियों और कार्यप्रणाली** से संबंधित मामला।

ब्लड मून (Blood Moon)

समाचार में क्यों?7 सितम्बर की शाम को खगोल प्रेमियों ने एक अद्भुत खगोलीय घटना का अवलोकन किया — **पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse)**, जिसे '**चंद्र ग्रहण**' भी कहा जाता है। यह इस वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण था और इसने एक विशेष घटना उत्पन्न की जिसे **ब्लड मून** कहा जाता है।

पूर्ण ग्रहण के समय चंद्रमा का रंग लालिमा लिए दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। यह शब्द कभी-कभी अन्य खगोलीय घटनाओं के लिए भी प्रयुक्त होता है।

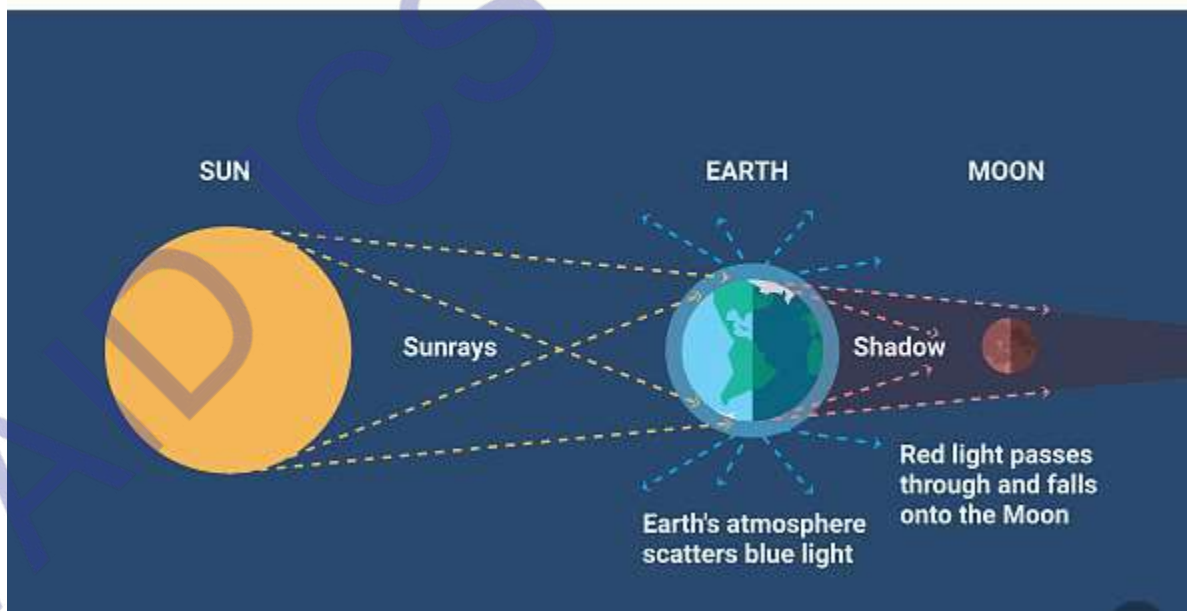

ब्लड मून की तीन परिभाषाएँ:

हालाँकि यह कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं है, परंतु इसे सामान्यतया तीन विभिन्न घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है —

1. **पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse)**
2. **लूनर टेट्राड (Lunar Tetrad)**
3. **अक्टूबर की पूर्णिमा (Full Moon in October)**

ब्लड मून लाल क्यों होता है?

- जब चंद्रमा, पृथ्वी की **छाया (Umbra)** से होकर गुजरता है, तो पृथ्वी सीधे सूर्य की किरणों को रोक लेती है।
- फिर भी, कुछ **लाल प्रकाश** पृथ्वी के वायुमंडल से होकर अपवर्तित (refraction) होकर चंद्रमा तक पहुँचता है और उसकी सतह को लाल, पीली या नारंगी आभा प्रदान करता है।
- जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती हैं, तो **रेली स्कैटरिंग (Rayleigh Scattering)** के कारण बैंगनी और नीली तरंगदैर्घ्य वाली किरणें बिखर जाती हैं।
- लाल तरंगदैर्घ्य सबसे कम प्रभावित होती हैं, इसलिए चंद्रमा पर लालिमा युक्त प्रकाश पहुँचता है।
- वायुमंडल की संरचना के आधार पर चंद्रमा का रंग **पीला, नारंगी, भूरा** या गहरा लाल भी दिखाई दे सकता है।

पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse):

- यह तब होता है जब पृथ्वी सीधे **सूर्य और चंद्रमा** के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया पूर्ण रूप से चंद्रमा को ढक लेती है।
- यह घटना केवल **पूर्णिमा (Full Moon)** पर घटित होती है, जब **सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा (Syzygy)** में होते हैं।

लूनर टेट्राड (Lunar Tetrad):

- **ब्लड मून** का प्रयोग चार लगातार पूर्ण चंद्र ग्रहणों की श्रृंखला के लिए भी किया जाता है।
- यह लगभग दो वर्षों में चार बार होता है, प्रत्येक ग्रहण के बीच लगभग **छः महीने** का अंतर होता है, और बीच में पाँच पूर्णिमा होती हैं।
- चूँकि केवल एक-तिहाई चंद्र ग्रहण ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं, अतः टेट्राड काफी **दुर्लभ घटना** है।
- 2014-2015 के टेट्राड ने विशेष ध्यान आकर्षित किया जब कुछ धार्मिक समूहों ने इसे बाइबिल की भविष्यवाणियों से जोड़ा।

लूनर टेट्राड की आवृत्ति:

- **इतालवी खगोलशास्त्री जियोवानी शियापरेली (Giovanni Schiaparelli)** के अनुसार, टेट्राड की आवृत्ति सदियों में बदलती रहती है।
- कुछ सदियों में कई टेट्राड होते हैं, जबकि कुछ सदियों में एक भी नहीं होता।
- उदाहरण:
    - **1582 से 1908** तक कोई टेट्राड नहीं हुआ।
    - **1909 से 2156** तक कुल **17 टेट्राड** होंगे।
    - **21वीं सदी (2001-2100)** में **8 टेट्राड** होंगे।

आगामी टेट्राड (2032-2033):

- 25/26 अप्रैल, 2032

VAIDICS LUCKNOW

- 18/19 अक्टूबर, 2032
- 14/15 अप्रैल, 2033
- 8 अक्टूबर, 2033

हंटर का मून (Hunter's Moon):

- ब्लड मून का तीसरा अर्थ चंद्र ग्रहण से संबंधित नहीं है।
- **उत्तर अमेरिकी परंपराओं** में अक्टूबर की पूर्णिमा को ब्लड मून कहा जाता है।
- अक्टूबर के समय शिकार कर मांस को सर्दियों के लिए संग्रहित करने की परंपरा रही है।
- इसे **हंटर मून (Hunter's Moon)** या **हार्वेस्ट मून (Harvest Moon)** भी कहा जाता है।

सारांश:

- **ब्लड मून** वह घटना है जिसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा लालिमा युक्त दिखाई देता है।
  - इसका कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का अपवर्तन और लाल किरणों का चंद्रमा तक पहुँचना है।
- यह घटना दुर्लभ है और खगोलीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

Upcoming 5 Total Lunar Eclipses

7–8 Sep 2025	Lunar Eclipse (Total)	Europe, Asia, Australia, Africa, West in North America, East in South America, Pacific, Atlantic, Indian Ocean, Arctic, Antarctica	
2–3 Mar 2026	Lunar Eclipse (Total)	East in Europe, Asia, Australia, North America, South America, Pacific, Atlantic, Indian Ocean, Arctic, Antarctica	
31 Dec 2028–1 Jan 2029	Lunar Eclipse (Total)	Europe, Asia, Australia, Africa, North/West North America, Pacific, Atlantic, Indian Ocean, Arctic	
25–26 Jun 2029	Lunar Eclipse (Total)	Europe, West in Asia, Africa, North America, South America, Pacific, Atlantic, Indian Ocean, Antarctica	
20–21 Dec 2029	Lunar Eclipse (Total)	Europe, Asia, North/West Australia, Africa, North America, South America, Pacific, Atlantic, Indian Ocean, Arctic	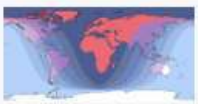

दीर्घकालीन वीजा

समाचार में क्यों?केंद्र सरकार के **गृह मंत्रालय** ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसके तहत **9 जनवरी, 2015 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों** को **विदेशी अधिनियम, 1946 (Foreigners Act, 1946)** के दंडात्मक प्रावधानों से **छूट (Exemption)** दी गई है।

- इस आदेश के बाद उन्हें **"अवैध प्रवासी (Illegal Migrants)"** नहीं माना जाएगा।
- लेकिन **दीर्घकालीन वीजा (LTV)** के लिए पात्रता **नहीं** दी गई है।
- सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल श्रीलंकाई तमिल **LTV के लिए आवेदन नहीं कर सकते**।

VAID ICS LUCKNOW

- वे सीधे **नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955)** के तहत **पंजीकरण (Registration)** या **स्वाभाविकीकरण (Naturalization)** के माध्यम से **नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं**, यदि वे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं।

मुख्य बिंदु (Key Points):

लाभार्थी (Beneficiaries):

- 9 जनवरी, 2015 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले **श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी**।
- जो **सरकारी अभिलेखों में पंजीकृत (Registered)** हैं।

गृह मंत्रालय का निर्णय (MHA Decision):

- विदेशी अधिनियम के तहत दंड से **मुक्ति**।
- **अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा**, लेकिन LTV पात्रता नहीं।

नागरिकता पर प्रभाव (Impact on Citizenship):

- सामान्यतः LTV धारकों को **स्वाभाविकीकरण (Naturalization)** और बाद में **नागरिकता** प्रदान की जाती है।
- **LTV न होने पर**, श्रीलंकाई तमिलों को **सीधे नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा**, जो **अधिक कठोर मानदंडों** पर आधारित है।

वर्तमान विधिक प्रावधान (Existing Legal Provision):

नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कोई भी विदेशी व्यक्ति निम्न तरीकों से **भारतीय नागरिकता** के लिए आवेदन कर सकता है:

पंजीकरण द्वारा (By Registration):

- यदि आवेदक का विवाह भारतीय नागरिक से हुआ है या
- वह भारतीय मूल (Indian Origin) का है।

स्वाभाविकीकरण द्वारा (By Naturalization):

- भारत में **निर्धारित अवधि तक निवास (Residence)** करने के बाद।

दीर्घकालीन वीजा (Long-Term Visa - LTV) के बारे में:

परिभाषा (Definition):

- **LTV** वह वीजा है जो उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जो **धार्मिक उत्पीड़न (Religious Persecution)** का सामना कर रहे हैं या **पड़ोसी देशों** की **अल्पसंख्यक समुदायों** से संबंधित हैं, जैसे — **अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश**।

अवधि (Duration):

- **1 वर्ष से 5 वर्ष** तक, और इसे नवीनीकृत (Renew) किया जा सकता है।

जारी करने वाली संस्था (Issuing Authority):

- **गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs - MHA)**।

LTV का उद्देश्य (Purpose of LTV):

VAIDICS LUCKNOW

1. धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को **कानूनी निवास का अधिकार (Legal Residency Status)** देना।
2. **भारतीय नागरिकता प्राप्त करने** की दिशा में पहला कदम।
3. सीमित **सामाजिक, शैक्षणिक और रोजगार लाभ** उपलब्ध कराना।

LTV के लिए पात्रता (Eligibility for LTV):

- केवल निम्नलिखित देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक पात्र हैं:
  पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश।
- समुदाय: **हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई**।
- **31 दिसंबर, 2014** या उससे पहले भारत में प्रवेश।
- अपने देश में **धार्मिक उत्पीड़न का सामना** कर रहे हों।
- **श्रीलंकाई तमिल** इस श्रेणी में **शामिल नहीं** हैं।

भारत में वीज़ा के प्रकार (Types of Visas in India):

वीज़ा का प्रकार	उद्देश्य	वैधता अवधि
टूरिस्ट वीज़ा (Tourist Visa)	पर्यटन, व्यक्तिगत यात्रा	30 दिन – 10 वर्ष
बिज़नेस वीज़ा (Business Visa)	व्यापारिक बैठकें, वाणिज्यिक गतिविधि	1 वर्ष – 5 वर्ष
रोज़गार वीज़ा (Employment Visa)	भारत में रोज़गार	1 वर्ष – 5 वर्ष
स्टूडेंट वीज़ा (Student Visa)	शिक्षा प्राप्ति	पाठ्यक्रम की अवधि तक
मेडिकल वीज़ा (Medical Visa)	चिकित्सा उपचार	60 दिन – 1 वर्ष
एंट्री वीज़ा (X-Visa)	विदेशी नागरिकों के आश्रितों के लिए	6 माह – 5 वर्ष
रिसर्च वीज़ा (Research Visa)	अकादमिक या वैज्ञानिक अनुसंधान	अधिकतम 5 वर्ष
कॉन्फ्रेंस वीज़ा (Conference Visa)	सेमिनार, सम्मेलन में भाग लेने हेतु	कार्यक्रम की अवधि तक
ट्रांज़िट वीज़ा (Transit Visa)	भारत से होकर अन्य देश में जाने हेतु	15 दिन
दीर्घकालीन वीज़ा (LTV)	धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों के लिए	1 वर्ष – 5 वर्ष

भारत ने जीता हॉकी एशिया कप 2025

क्यों चर्चा में? 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण 29 अगस्त से 7 सितंबर, 2025 तक बिहार, भारत के **बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम, राजगीर** में आयोजित किया गया।
यह टूर्नामेंट **एशियन हॉकी फेडरेशन (AHF)** द्वारा आयोजित किया गया था और यह **2026 एफआईएच पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप (बेल्जियम और नीदरलैंड्स)** के लिए क्वालीफायर के रूप में कार्यरत रहा।

- विजेता टीम को सीधे वर्ल्ड कप में प्रवेश मिला।

VAID IAS LUCKNOW

- जबकि दूसरे से छठे स्थान तक की टीमें वर्ल्ड कप क्वालीफायर में शामिल होंगी।

भारत ने फाइनल मुकाबले में **दक्षिण कोरिया** को **4-1** से हराकर खिताब जीता। यह फाइनल राजगीर में खेला गया।

पुरुष हॉकी एशिया कप का इतिहास:

- **शुरुआत और आवृत्ति**:
  टूर्नामेंट की शुरुआत **1982** में कराची, पाकिस्तान से हुई और यह सामान्यतः हर **चार वर्ष** में आयोजित होता है। 2022 का संस्करण **COVID-19** के कारण विलंबित हुआ।
- **प्रमुख विजेता टीमें एवं उनका प्रभुत्व**:
  - **दक्षिण कोरिया** – सबसे सफल टीम, **5 खिताब** (1994, 1999, 2009, 2013, 2022)
  - **भारत** – **4 खिताब** (2003, 2007, 2017, 2025)
  - **पाकिस्तान** – **3 खिताब** (1982, 1985, 1989)
- **महत्वपूर्ण क्षण**:
  - **1982** – पाकिस्तान ने पहले संस्करण में भारत को हराकर खिताब जीता।
  - **2003-2007** – भारत का स्वर्णिम दौर, लगातार दो बार खिताब।
  - **2017** – भारत ने ढाका में मलेशिया को हराकर जीत दर्ज की।
  - **2022** – दक्षिण कोरिया ने खिताब जीता, भारत को कांस्य पदक मिला।

रिकॉर्ड:

- भारत और पाकिस्तान दोनों टूर्नामेंट में निरंतर दावेदार रहे हैं।
- भारत एशियाई टीमों में **सबसे उच्च विश्व रैंकिंग** रखता है।
- **2025** में भारत ने **कजाखस्तान** को **15-0** से हराया, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे बड़े अंतर में से एक है।

एशियन हॉकी फेडरेशन (AHF) के बारे में:

- स्थापना – **1958**
- मुख्यालय – **कुआलालंपुर, मलेशिया**
- कार्य – एशिया में हॉकी का विकास, प्रचार-प्रसार और आयोजन।
- **37 सदस्य संघों** का प्रबंधन करता है।

RNAscope और Xenium

समाचार में क्यों? शोधकर्ता उन्नत स्पैशियल तकनीकों **(Spatial Techniques) जैसे** RNAscope **और** Xenium **का उपयोग कर** रहे हैं ताकि यह सटीक रूप से पुष्टि की जा सके कि **RNA सिग्नेचर वास्तव में** प्रोजेनिटर कोशिकाओं (Progenitor Cells) **से संबंधित हैं। ये कोशिकाएँ ऊतक (Tissue) के पुनर्जनन (Regeneration) और विकास (Development) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं।**

VAID ICS LUCKNOW

RNAscope के बारे में:

RNAscope एक **उन्नत इन-सीटू हाइब्रिडाइजेशन (In Situ Hybridization - ISH)** तकनीक है, जिसका उपयोग **RNA अणुओं (Molecules)** का प्रत्यक्ष रूप से ऊतक के अंदर **सिंगल-सेल और सब-सेलुलर स्तर** पर पता लगाने और दृश्यांकन (Visualization) के लिए किया जाता है।

कैसे काम करता है?

- इसमें एक विशेष **"डबल-Z" प्रोब प्रणाली** का उपयोग होता है।
- केवल तभी सिग्नल उत्पन्न होता है जब **दो प्रोब** लक्ष्य RNA अनुक्रम (Sequence) से पूरी तरह जुड़ते हैं।
- इसके बाद **सिग्नल एम्प्लीफिकेशन कैस्केड (Signal Amplification Cascade)** होता है, जिससे प्रत्येक RNA अणु के स्थान पर एक **दृश्य बिंदु (Dot)** बनता है।
- प्रत्येक डॉट **एक RNA अणु** का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह डिज़ाइन पृष्ठभूमि शोर (Background Noise) को न्यूनतम करता है और **विशिष्टता (Specificity)** को बढ़ाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **उच्च संवेदनशीलता (High Sensitivity) और विशिष्टता (Specificity):** बहुत कम मात्रा में उपस्थित RNA अणु का भी पता लगाया जा सकता है।
- **मात्रात्मक दृश्यांकन (Quantitative Visualization):** प्रत्येक डॉट एक RNA अणु का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे गिनती करना आसान होता है।
- **मल्टीप्लेक्सिंग क्षमता:** एक ही समय में कई RNA लक्ष्यों का पता लगाया जा सकता है।
- **RNA और प्रोटीन का संयुक्त अध्ययन:** इसे **इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री (Immunohistochemistry)** के साथ मिलाकर प्रयोग किया जा सकता है।

प्रयोग / अनुप्रयोग:

- **जीन अभिव्यक्ति (Gene Expression) डेटा का सत्यापन**, विशेषकर सिंगल-सेल या बल्क RNA सीक्वेंसिंग से।
- दुर्लभ कोशिका समूहों जैसे **स्टेम सेल या प्रोजेनिटर सेल** की पहचान।
- **ऊतक संगठन** और **रोग प्रक्रियाओं** (जैसे कैंसर, तंत्रिका संबंधी रोग) को समझना।

Xenium के बारे में:

Xenium एक **स्पैशियल ट्रांसक्रिप्टोमिक्स (Spatial Transcriptomics)** प्लेटफॉर्म है, जो **हाई-प्लेक्स (High-Plex)** और **सब-सेलुलर रिज़ॉल्यूशन** पर ऊतक खंडों (Tissue Sections) में **जीन अभिव्यक्ति का मानचित्रण (Mapping)** करता है।

कैसे काम करता है?

- इसमें **पैडलॉक प्रोब्स (Padlock Probes)** का उपयोग होता है, जो लक्ष्य RNA से जुड़ते हैं।
- प्रोब्स के जुड़ने के बाद उन्हें **सर्कुलराइज़ (Circularize)** किया जाता है और **रोलिंग-सर्कल एम्प्लीफिकेशन (Rolling-Circle Amplification)** से बढ़ाया जाता है।
- इसके बाद **फ्लोरोसेंट मार्कर्स (Fluorescent Markers)** का उपयोग करके प्रत्येक RNA अणु को उसके **सटीक स्थान** पर दृश्य बनाया जाता है।
- **इमेजिंग साइकल्स** के माध्यम से हजारों जीनों का एक ही प्रयोग में मानचित्रण किया जा सकता है।

VAID IOS LUCKNOW

मुख्य विशेषताएँ:

- **हाई मल्टीप्लेक्सिंग क्षमता:** हजारों RNA लक्ष्यों का एक साथ पता लगाने की क्षमता।
- **सब-सेलुलर रिज़ॉल्यूशन:** कोशिका के भीतर RNA अणु का सटीक स्थान दिखाना।
- **उन्नत डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर:** जीन अभिव्यक्ति के सटीक मानचित्र तैयार करना।
- अन्य तकनीकों जैसे **Visium HD** के साथ मिलकर व्यापक और सूक्ष्म ऊतक अध्ययन।

प्रयोग / अनुप्रयोग:

- स्वास्थ्य और रोग की स्थिति में **ऊतक संरचना का मानचित्रण (Tissue Architecture Mapping)।**
- विकास प्रक्रिया को समझना, विशेषकर **प्रोजेनिटर कोशिकाओं** की पहचान।
- **ट्यूमर माइक्रोएन्वायरनमेंट** और **इम्यून सेल इंटरैक्शन** का अध्ययन।
- जीन अभिव्यक्ति पैटर्न को **ऊतक की कार्यात्मक गतिविधियों** से जोड़ना।

दोनों तकनीकों का संयुक्त उपयोग:

- **RNAscope:** कुछ विशिष्ट RNA अणुओं की **सटीक और लक्षित पुष्टि** करता है।
- **Xenium:** पूरे ऊतक का **व्यापक और उच्च-थ्रूपुट मानचित्रण** प्रदान करता है।
- **साथ में प्रयोग करने पर:**
    - Xenium से समग्र चित्र मिलता है।
    - RNAscope से उन निष्कर्षों की **सटीक पुष्टि (Validation)** होती है।

ESG मानक (Environmental, Social, Governance Standards)

समाचार में क्यों? यू.के.-इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज (UKIIFB) **ने अपनी** पहली वर्षगांठ **लंदन में एक रिपोर्ट जारी करके मनाई।**

- यह पहल **भारत और यू.के. सरकारों** द्वारा **सितंबर 2024** में शुरू की गई थी।
- इसका उद्देश्य भारत के **बुनियादी ढांचा (Infrastructure)** क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है, जिसे **2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर** की आवश्यकता होगी।
- नई रिपोर्ट ने पहले के **परियोजना-विशिष्ट निवेश** से ध्यान हटाकर **आठ रणनीतिक सिफारिशों** पर जोर दिया है।
- इसमें **नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)** क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया है ताकि **वैश्विक निवेशकों** को आकर्षित किया जा सके।

मुख्य सुझाव:

- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं (Global Best Practices)** जैसे **यू.के. के Five Case Model** के अनुरूप **प्रोक्योरमेंट प्रक्रियाओं** को संरेखित करना।
- परियोजना योजना में **पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों** को शामिल करना।
- **संचालन संबंधी जोखिमों** को कम करना और निर्माण प्रक्रिया में **अनिश्चितता व पारदर्शिता की कमी** को दूर करना।

VAIBHAV IAS LUCKNOW

ESG मानकों के बारे में:

ESG मानक ऐसे **मापदंडों का सेट** हैं, जिनके आधार पर किसी कंपनी या परियोजना की **सततता (Sustainability)** और **नैतिक प्रभाव (Ethical Impact)** का मूल्यांकन किया जाता है।

ये वैश्विक **संस्थागत निवेशकों (Institutional Investors)** को आकर्षित करने और **दीर्घकालिक, जिम्मेदार विकास** सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

पर्यावरण (Environmental - E):

- परियोजना के **पर्यावरण पर प्रभाव** पर केंद्रित।
- इसमें शामिल है:
    - **जलवायु परिवर्तन शमन (Climate Change Mitigation)**,
    - **प्रदूषण नियंत्रण (Pollution Control)**,
    - **नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग (Renewable Energy Use)**,
    - **संसाधनों का कुशल प्रबंधन (Efficient Resource Management)**।

सामाजिक (Social - S):

- परियोजना का **लोगों और समुदायों** पर प्रभाव।
- इसमें शामिल है:
    - **श्रमिक अधिकार (Labor Rights)**,
    - **विविधता और समावेशन (Diversity & Inclusion)**,
    - **सामुदायिक विकास (Community Development)**,
    - **सुरक्षा मानक (Safety Standards)**।

शासन (Governance - G):

- **प्रबंधन पद्धतियों**, **पारदर्शिता**, और **जवाबदेही** से संबंधित।
- इसमें शामिल है:
    - **भ्रष्टाचार विरोधी उपाय (Anti-Corruption Measures)**,
    - **निष्पक्ष निर्णय प्रक्रिया (Fair Decision-Making)**,
    - **नियमों का पालन (Regulatory Compliance)**।

भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में ESG का महत्व:

- **विदेशी पूंजी आकर्षित करना** – वैश्विक निवेश मानकों को पूरा करके।
- **निवेशक विश्वास बढ़ाना** – पारदर्शिता और सतत प्रथाओं के माध्यम से।
- **दीर्घकालिक जोखिम कम करना** – पर्यावरणीय और सामाजिक अनुपालन सुनिश्चित करके।
- **महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक** – जैसे **नवीकरणीय ऊर्जा**, **स्मार्ट सिटी**, और **परिवहन**, ताकि **जलवायु लक्ष्यों** और **विकास उद्देश्यों** को प्राप्त किया जा सके।

VAIDICS LUCKNOW

निष्कर्ष:

भारत में ESG मानकों का पालन न केवल **वैश्विक निवेशकों को आकर्षित** करेगा, बल्कि **सतत विकास** को भी बढ़ावा देगा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को **पारदर्शी, जिम्मेदार और जोखिम मुक्त** बनाएगा।

नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस (NACEJ)

समाचार में क्यों: नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस (NACEJ), जो नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स (NAPM) का हिस्सा है, ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्रालय को **अरावली ज़ू सफारी पार्क परियोजना** रद्द करने का ज्ञापन भेजा है। समूह ने पारिस्थितिक नुकसान, सामुदायिक अधिकारों का उल्लंघन और पर्यावरणीय कानूनों की अवहेलना को लेकर चिंता व्यक्त की।

मुख्य बिंदु:

- ज्ञापन में कहा गया है कि अरावली क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील है और दिल्ली-एनसीआर को रेगिस्तानीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक बाधा का काम करता है।
- प्रस्तावित सफारी पार्क वन्यजीव मार्गों को बाधित कर सकता है, वनावरण को कम कर सकता है और जैव विविधता के लिए खतरा बन सकता है।
- फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है।
- पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाए बिना इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के विकल्प सुझाए गए हैं, जैसे कि सामुदायिक संरक्षण और नियंत्रित पर्यटन।
- सरकार से आग्रह किया गया है कि जलवायु-सक्षम योजना और संरक्षण नीतियों को प्राथमिकता दें।

अरावली ज़ू सफारी पार्क परियोजना के बारे में:

- हरियाणा सरकार द्वारा गुड़गांव और नूह जिलों में प्रस्तावित।
- क्षेत्रफल: लगभग 10,000 एकड़ अरावली क्षेत्र।
- दुनिया के सबसे बड़े क्यूरेटेड सफारी पार्कों में से एक बनने का लक्ष्य, जिसमें शामिल हैं:
    - बड़े बिल्लियों के लिए क्षेत्र (सिंह, बाघ, तेंदुआ)
    - विदेशी पक्षी और पशु
    - सरीसृप क्षेत्र
    - जलीय जैव विविधता क्षेत्र

चिंताएँ:

- वनों की कटाई और वन्यजीव आवास के टुकड़े होने का खतरा।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष और वनों का व्यावसायिक शोषण होने का जोखिम।
- फॉरेस्ट कंजरवेशन एक्ट, 1980 और वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 के तहत पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन।

नेशनल अलायंस फॉर क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल जस्टिस (NACEJ) के बारे में:

- यह एक राष्ट्रीय संगठन है जिसमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, पारिस्थितिकीविद्, जलवायु वैज्ञानिक, पर्यावरण शोधकर्ता और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हैं।

VAIDICS LUCKNOW

- यह नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स (NAPM) का हिस्सा है, जो सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय पर काम करता है।

उद्देश्य:

- जलवायु न्याय और पारिस्थितिक स्थिरता की वकालत करना।
- फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, 2006 जैसे कानूनों के तहत समुदाय के अधिकारों की रक्षा।
- ऐसे विनाशकारी विकास परियोजनाओं को चुनौती देना जो पारिस्थितिकी और स्थानीय जीविकाओं को नुकसान पहुँचाती हैं।
- सामुदायिक-चालित संरक्षण और समान संसाधन प्रबंधन जैसे सतत विकल्पों को बढ़ावा देना।

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD)

चर्चा में क्यों? ICIMOD हिमालयी क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरणीय खतरों जैसे **ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)**, **भूस्खलन (Landslides)** और अन्य **प्राकृतिक आपदाओं** पर सक्रिय रूप से शोध कर रहा है।

- हाल ही में ICIMOD की रिपोर्ट में बताया गया कि **हिमालयी क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में तेज़ी से गर्म हो रहा है**, जिससे **ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं** और **आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है**।

ICIMOD के बारे में:

- **स्थापना (Established):** 1983
- **मुख्यालय (Headquarters):** काठमांडू, नेपाल
- **प्रकृति (Nature):** यह **क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन (Regional Intergovernmental Organization)** है, जो **हिंदू कुश हिमालय (Hindu Kush Himalaya - HKH)** क्षेत्र पर केंद्रित है।

सदस्य देश (8 Member Countries):

1. अफगानिस्तान (Afghanistan)
2. बांग्लादेश (Bangladesh)
3. भूटान (Bhutan)
4. चीन (China)
5. भारत (India)
6. म्यांमार (Myanmar)
7. नेपाल (Nepal)
8. पाकिस्तान (Pakistan)

मिशन (Mission):

- **सतत पर्वतीय विकास (Sustainable Mountain Development)** को बढ़ावा देना।
- **हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र** के लोगों के जीवन स्तर को **शोध, ज्ञान साझा करने और नीति निर्माण** के माध्यम से बेहतर बनाना।

ICIMOD के प्रमुख कार्य (Key Functions):

VAID ICS LUCKNOW

जलवायु परिवर्तन निगरानी (Climate Change Monitoring):

- बढ़ते तापमान का **ग्लेशियर, बर्फ की परत, और जैव विविधता** पर प्रभाव का अध्ययन।
- **ग्लेशियर पिघलने और नई ग्लेशियल झीलों के बनने** पर डेटा उपलब्ध कराना।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction):

- **GLOF, भूस्खलन और बाढ़** के कारणों और प्रभावों पर शोध करना।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems)** और **आपदा रोकथाम रणनीतियाँ** विकसित करना।

सतत आजीविका (Sustainable Livelihoods):

- **इको-टूरिज्म, एग्रोफॉरेस्ट्री** और **स्थानीय उद्यमिता** को बढ़ावा देना।
- पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के **आर्थिक सशक्तिकरण** पर कार्य करना।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (Transboundary Cooperation):

- आठ सदस्य देशों के बीच **जल संसाधन, जैव विविधता संरक्षण** और **जलवायु लचीलापन (Climate Resilience)** को लेकर सहयोग बढ़ाना।

डेटा साझा करना और ज्ञान केंद्र (Data Sharing and Knowledge Hub):

- हिमालयी क्षेत्र से संबंधित **वैज्ञानिक शोध का साझा प्लेटफॉर्म** उपलब्ध कराना।
- **नीति निर्माण** में सहयोग प्रदान करना।

निष्कर्ष:

ICIMOD हिमालयी क्षेत्र की **जलवायु सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, और सतत विकास** के लिए एक **महत्वपूर्ण संगठन** है। यह न केवल **वैज्ञानिक शोध** करता है, बल्कि **सदस्य देशों के बीच सहयोग** बढ़ाकर **स्थानीय समुदायों की सुरक्षा और आजीविका** को भी मजबूत करता है।

आदिवासी जनजातियों के संरक्षण विनियमन:1956

चर्चा में क्यों? केंद्र सरकार ने लिटिल और ग्रेट निकोबार के **जनजातीय परिषद** की शिकायत पर **अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन** से एक वास्तविक रिपोर्ट मांगी है।

- शिकायत में कहा गया है कि **81,000 करोड़ रुपये के ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट** के लिए 13,000 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्जन (अगस्त 2022) करने से पहले **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** के तहत जनजातियों के अधिकारों का निपटारा नहीं किया गया।
- परिषद का आरोप है कि उनकी **सहमति दबाव में लेकर** प्राप्त की गई और बाद में उन्होंने औपचारिक रूप से इसे वापस ले लिया।
- इससे स्थानीय जनजातीय समुदाय के साथ संवाद की कमी और **कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन** को लेकर गंभीर चिंताएँ सामने आई हैं।

मुख्य बिंदु:

परियोजना की पृष्ठभूमि:

- यह **81,000 करोड़ रुपये** की बड़ी विकास योजना है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर लागू की जा रही है।

VAIDIOS LUCKNOW

- **13,000 हेक्टेयर वन भूमि** इस परियोजना के लिए चिन्हित की गई है।
- परियोजना का उद्देश्य –
    - पर्यटन केंद्रों का विकास
    - ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का निर्माण
    - रक्षा अवसंरचना का विकास
    - कनेक्टिविटी में सुधार

जनजातीय परिषद की शिकायत:

- जनजातीय परिषद का कहना है कि **वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006** को लागू किए बिना ही वन भूमि का डायवर्जन कर दिया गया।
- भूमि हस्तांतरण के लिए उनकी सहमति **दबाव में ली गई** और बाद में इसे **औपचारिक रूप से पत्र लिखकर वापस ले लिया गया**।
- परिषद को एक **18 अगस्त 2022** का प्रमाणपत्र मिला जिसमें **उपायुक्त** द्वारा यह गलत घोषणा की गई कि अधिकारों की पहचान और निपटारा पूरा हो चुका है।
- परिषद का दावा है कि **ऐसी कोई प्रक्रिया ज़मीन पर शुरू ही नहीं हुई थी**।

आदिवासी जनजातियों के संरक्षण विनियमन, 1956 (अंडमान और निकोबार द्वीप विनियमन, 1956):

उद्देश्य: यह एक विशेष कानून है जिसे **अंडमान और निकोबार द्वीपों** की आदिवासी जनजातियों की **भूमि, संस्कृति और अधिकारों की सुरक्षा** के लिए बनाया गया था।

मुख्य उद्देश्य:

- आदिवासी जनजातियों को **शोषण, विस्थापन और पारंपरिक भूमि की हानि** से बचाना।
- उनकी **अद्वितीय संस्कृति और जीवन शैली** का संरक्षण।
- बाहरी व्यक्तियों की **प्रवेश और गतिविधियों को नियंत्रित करना**।
- **गैर-जनजातीय व्यक्तियों को आदिवासी भूमि से दूर रखना**, ताकि उनकी भूमि न छीनी जाए।

मुख्य प्रावधान:

आदिवासी भूमि की सुरक्षा:

- आदिवासी भूमि को **प्रशासनिक अनुमति** के बिना किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।
- **अनधिकृत कब्ज़ा या भूमि का अवैध हस्तांतरण** गैरकानूनी है और प्रशासन द्वारा हटाया जा सकता है।

प्रतिबंधित क्षेत्र (Buffer Zones):

- कुछ आदिवासी क्षेत्रों को **"प्रतिबंधित क्षेत्र"** घोषित किया जाता है।
- बाहरी लोगों का इन क्षेत्रों में प्रवेश **विशेष परमिट** के बिना नहीं हो सकता।
- इसका उद्देश्य जनजातियों को **बाहरी प्रभाव, शोषण और बीमारियों के प्रसार** से बचाना है।

गतिविधियों का नियमन:

- **व्यापार, पर्यटन, मछली पकड़ना और निर्माण कार्य** जैसी गतिविधियों को कड़ी निगरानी में किया जाता है।

VAID ICS LUCKNOW

- बिना अनुमति के **वन, समुद्री संसाधन या जनजातीय श्रम का वाणिज्यिक शोषण** प्रतिबंधित है।

प्रशासनिक शक्तियाँ:

- अंडमान और निकोबार द्वीपों के **लेफ्टिनेंट गवर्नर/प्रशासक** को अधिकार है:
    - किसी क्षेत्र को **जनजातीय आरक्षित क्षेत्र** घोषित करना।
    - गैर-जनजातीय व्यक्तियों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करना।
    - कानून उल्लंघन पर **दंड लागू करना**।

शोषण से सुरक्षा:

- किसी गैर-जनजातीय व्यक्ति या कंपनी को जनजातियों के साथ **शोषणकारी व्यापार** करने या उनका **दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं** है।
- प्रशासन अवैध समझौतों या अनुबंधों को **रद्द कर सकता है**।

इस कानून के तहत संरक्षित जनजातियाँ:

1. **सेंटिनलीज़ (Sentinelese)** – पूरी तरह अलग-थलग, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहते हैं।
2. **निकोबारी (Nicobarese)** – मुख्य रूप से निकोबार द्वीप समूह में।
3. **शोम्पेन (Shompens)** – ग्रेट निकोबार द्वीप पर अर्ध-घुमंतू जीवन शैली।
4. **ग्रेट अंडमानीज़ (Great Andamanese)** – अंडमान के विभिन्न भागों में।
5. **जड़वा (Jarwas)** – अंडमान द्वीप समूह में।
6. **ओंगे (Onges)** – अंडमान के छोटे द्वीपों में।

ग्रैंड इथियोपियन रेनैसां डैम (GERD)

चर्चा में क्यों ? इथियोपिया ने **ग्रैंड इथियोपियन रेनैसां डैम (GERD)** का उद्घाटन किया है, जो **अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट** है।

- इस परियोजना का उद्देश्य देश की **ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाना** है।
- **मिस्र (Egypt)** ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है क्योंकि वह अपनी **97% जल आवश्यकताओं** के लिए **नाइल नदी** पर निर्भर है और इस बांध को अपने **जल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा** मानता है।
- मिस्र ने इस मुद्दे को **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)** में उठाया है और इसे **अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन** करार दिया है।

VAIDIOS LUCKNOW

मुख्य बिंदु:

राष्ट्रीय महत्व (National Significance)

- यह बांध इथियोपिया के लिए **राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक** है, खासकर **आंतरिक संघर्ष के समय** में।

मिस्र का विरोध (Egypt's Opposition)

- मिस्र इस बांध को अपनी **अस्तित्व के लिए खतरा (Existential Threat)** मानता है।
- मिस्र का आरोप है कि **इथियोपिया ने बिना किसी उचित समझौते के** एकतरफा तरीके से बांध का निर्माण किया।
- मिस्र ने इस पर **UN सुरक्षा परिषद में विरोध दर्ज कराया** है।

सूडान की स्थिति (Sudan's Position)

- **सूडान** ने पानी के प्रवाह पर संभावित प्रभाव को लेकर **चिंता जताई**, लेकिन उसकी स्थिति **तटस्थ (Neutral)** रही है।

क्षेत्रीय तनाव (Regional Tensions)

- यह मुद्दा **यदि कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से हल नहीं हुआ**, तो यह एक **क्षेत्रीय संघर्ष (Regional Conflict)** का रूप ले सकता है।

ग्रैंड इथियोपियन रेनैसां डैम (GERD) के बारे में:

- **स्थान (Location):** ब्लू नाइल नदी (Blue Nile River) पर, **इथियोपिया–सूडान सीमा** के पास।
- **ऊँचाई (Height):** 170 मीटर

अफ्रीका की अन्य प्रमुख बांध परियोजनाएँ:

अस्वान हाई डैम (Aswan High Dam) – *मिस्र (Egypt)*

- नाइल नदी पर निर्मित।
- **सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन** के लिए महत्वपूर्ण।

करिबा डैम (Kariba Dam) – *जाम्बिया–जिम्बाब्वे (Zambia–Zimbabwe)*

- जाम्बेजी नदी (Zambezi River) पर निर्मित।

VAID ICS LUCKNOW

- दुनिया की सबसे बड़ी **कृत्रिम झीलों (Man-Made Lakes)** में से एक का निर्माण किया।

कैहोरा बासा डैम (Cahora Bassa Dam) – *मोज़ाम्बिक (Mozambique)*

- जाम्बेजी नदी पर स्थित।
- **मोज़ाम्बिक और आस-पास के देशों के लिए प्रमुख विद्युत स्रोत।**

इंगा डैम्स (Inga Dams) – *कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic of Congo)*

- कांगो नदी (Congo River) पर स्थित।
- **अफ्रीका की दीर्घकालिक जलविद्युत विकास योजनाओं** का केंद्र।

निष्कर्ष:

GERD परियोजना इथियोपिया की **ऊर्जा आत्मनिर्भरता** की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन इससे **मिस्र और सूडान की जल सुरक्षा** पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि इस विवाद को **कूटनीतिक समाधान** से नहीं निपटाया गया, तो यह **क्षेत्रीय संघर्ष** का कारण बन सकता है।

नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस-2025

चर्चा में क्यों ? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह **ने** ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) **को निर्देश दिया है कि वह** स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) **तैयार करे ताकि** स्वार्थी हितों द्वारा प्रेरित बड़े पैमाने पर होने वाले आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों **को रोकने और प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सके। यह SOP पिछले आंदोलनों और उनके** फंडिंग पैटर्न **का अध्ययन कर तैयार की जाएगी।**

मुख्य बिंदु (Key Points):

SOP का उद्देश्य:

- भविष्य में बड़े पैमाने पर होने वाले आंदोलनों को **रोकना और नियंत्रित करना**।
- ऐसे आंदोलनों पर फोकस करना जो **विदेशी या घरेलू वित्तीय सहयोग और स्वार्थी हितों** से प्रभावित हों।

पिछले आंदोलनों का विश्लेषण:

- BPR&D **स्वतंत्रता के बाद**, विशेष रूप से **1974 के बाद हुए प्रमुख आंदोलनों** का अध्ययन करेगा।
- जांच के मुख्य पहलू:
  - आंदोलनों के **कारण**।
  - आंदोलनों की **वित्तीय संरचना** (फंडिंग का स्रोत)।
  - आंदोलनों का **परिणाम**।
  - पर्दे के पीछे शामिल **मुख्य व्यक्ति और संगठन**।

एजेंसियों की भागीदारी:

- **राज्य पुलिस विभाग** पुराने केस फाइल्स और CID रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे।
- **वित्तीय जांच एजेंसियां** फंडिंग का पता लगाने में सहयोग करेंगी, जैसे:
  - **एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED)**
  - **फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND)**

VAID ICS LUCKNOW

- **सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT)**

धार्मिक सभाओं के प्रबंधन में सहयोग:

- BPR&D, राज्य पुलिस के साथ मिलकर **धार्मिक आयोजनों में भगदड़ जैसी घटनाओं** का अध्ययन करेगा।
- बड़े आयोजनों की **निगरानी और नियंत्रण** के लिए SOP तैयार करेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका:

- **NIA, BSF और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** की रणनीतियां:
  - अज्ञात **आतंकी नेटवर्क** की पहचान।
  - **खालिस्तानी उग्रवाद** और **संगठित अपराध** से निपटना, विशेष रूप से पंजाब में।
  - **जेलों के भीतर से संचालित आपराधिक नेटवर्क** को खत्म करना।

खुफिया आधारित दृष्टिकोण:

- **मल्टी-एजेंसी टास्क फोर्स** का गठन होगा।
- इसमें केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच **रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग** होगी।

महत्व (Significance):

- **आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना**।
- **विदेशी और घरेलू फंडिंग** की ट्रैकिंग में मदद।
- **खुफिया एजेंसियों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय**।
- हिंसक आंदोलनों को रोकने के लिए **प्रभावी योजना**।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट – इंडिया (FIU-IND):

स्थापना:

- **18 नवंबर 2004**

मुख्यालय:

- **नई दिल्ली**

प्रशासनिक नियंत्रण:

- **वित्त मंत्रालय, भारत सरकार** के **राजस्व विभाग** के अंतर्गत।

प्रमुख भूमिका (Primary Role):

- संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की **जानकारी प्राप्त करना, प्रोसेस करना, विश्लेषण करना और आगे भेजना**।
- **मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद वित्त पोषण और आर्थिक अपराधों** के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका।

मुख्य कार्य (Functions):

वित्तीय जानकारी का संग्रह (Collection):

- निम्नलिखित रिपोर्टिंग संस्थानों से जानकारी प्राप्त करता है:
  - बैंक
  - वित्तीय संस्थान
  - स्टॉक एक्सचेंज

VAD ICS LUCKNOW

- बीमा कंपनियां
- कैसिनो आदि

वे निम्नलिखित रिपोर्ट जमा करते हैं:

- **सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट (STRs)**
- **कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट (CTRs)**
- **क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट (CBWTRs)**
- **नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट (NTRs)**

रिपोर्ट्स का विश्लेषण (Analysis):

- डेटा का **विश्लेषण और डाटा माइनिंग** करता है ताकि:
  - **मनी लॉन्ड्रिंग के पैटर्न**,
  - **आतंकवाद वित्त पोषण के रास्ते**,
  - **अवैध वित्तीय लेन-देन** का पता लगाया जा सके।

खुफिया जानकारी का प्रसार (Dissemination):

- विश्लेषण के बाद जानकारी को साझा करता है:
  - **ED (एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट)**
  - **CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन)**
  - **NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी)**
  - **आयकर विभाग**
  - **पुलिस विभाग**

पिंक टैक्स (Pink Tax)

चर्चा में क्यों? पिंक टैक्स **का मुद्दा चर्चा में है क्योंकि यह** लैंगिक आधारित मूल्य भेदभाव **(Gender-Based Price Discrimination) को दर्शाता है, जहाँ** महिलाओं के लिए लक्षित उत्पाद और सेवाएं**, पुरुषों के समान उत्पादों की तुलना में** महंगी होती हैं**।**

हालाँकि यह कोई वास्तविक टैक्स **नहीं है, लेकिन यह** घरों के बजट को प्रभावित करता है **और** आर्थिक असमानता **को दर्शाता है।**

मुख्य बिंदु (Key Points):

पिंक टैक्स क्या है?

- यह **वास्तविक टैक्स नहीं**, बल्कि एक **मूल्य निर्धारण की प्रवृत्ति (Pricing Phenomenon)** है, जहाँ महिलाएँ अपने लिए विशेष रूप से बनाए गए उत्पादों और सेवाओं के लिए **अधिक कीमत** चुकाती हैं।
- यह अंतर **उत्पादन लागत** के कारण नहीं, बल्कि **मार्केटिंग रणनीतियों और ब्रांडिंग** के कारण होता है।

उदाहरण:

- हेयरकट और **सैलून सेवाएं**

VAID ICS LUCKNOW

- गुलाबी रंग के **खिलौने और एसेसरीज़**
- **रेज़र, शैम्पू, लोशन, डियोडरेंट्स**
- **टी-शर्ट, जींस** जैसी कपड़े
- **ड्राई-क्लीनिंग सेवाएं**

वैश्विक परिप्रेक्ष्य (Global Perspective):

- **शब्द की उत्पत्ति (Origin):** 1994 में **कैलिफोर्निया, अमेरिका** से।

अध्ययनों के निष्कर्ष:

अमेरिका में:

- महिलाओं के **पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स** 13% अधिक महंगे।
- महिलाओं के **कपड़े** 7-8% महंगे।
- महिलाओं की **शर्ट्स की ड्राई-क्लीनिंग** 90% ज्यादा महंगी।

यू.के. (ब्रिटेन) में:

- महिलाओं का **डियोडरेंट** 8.9% महंगा।
- महिलाओं का **फेशियल मॉइस्चराइज़र** 34.28% महंगा।

संयुक्त राष्ट्र (2017):

- देशों से आग्रह किया कि **लैंगिक मूल्य भेदभाव** को समाप्त किया जाए ताकि **समान आर्थिक भागीदारी** को बढ़ावा मिले।

भारत में पिंक टैक्स (Pink Tax in India):

जागरूकता का अभाव:

- **IFSA (Indian Financial Survey Agency)** के अध्ययन में पाया गया कि **67% भारतीयों को पिंक टैक्स के बारे में जानकारी नहीं** है।

GST सुधार (2018):

- **सैनिटरी नैपकिन और टैम्पोन** को **12% जीएसटी से मुक्त** किया गया, जिससे लैंगिक मूल्य निर्धारण पर ध्यान गया।

उपभोक्ता संरक्षण:

- **NCDRC (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग)** ने यह कहा कि कंपनियों को **समान और न्यायसंगत मूल्य निर्धारण नीतियों** का पालन करना चाहिए और **लैंगिक भेदभाव नहीं करना चाहिए।**

प्रभाव (Impact):

- महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में **कम कमाती हैं**, ऐसे में अधिक भुगतान करने से **आर्थिक असमानता बढ़ती है**।
- परिवारों में, विशेषकर जहाँ महिलाएं **काम नहीं करतीं**, वहाँ यह **घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ** डालता है।

पिंक टैक्स से बचने के उपाय (Ways to Avoid Pink Tax):

1. **जेंडर-न्यूट्रल या पुरुषों के वेरिएंट** वाले उत्पाद चुनें।
2. खरीदारी से पहले **यूनिट प्राइस (प्रति मि.ली./ग्राम)** की तुलना करें।
3. **यूनिसेक्स सैलून** का चयन करें या **न्यायसंगत दर पर बातचीत** करें।

VAID ICS LUCKNOW

4. **जेंडर-न्यूट्रल ब्रांड्स** की जानकारी लें और **कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स** का समर्थन करें।
5. **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स** पर खरीदने से पहले **मूल्य अंतर की जांच करें**।

निष्कर्ष:

पिंक टैक्स **महिलाओं पर आर्थिक बोझ बढ़ाता है** और **लैंगिक असमानता** को बढ़ावा देता है। इस समस्या के समाधान के लिए **जागरूकता**, **न्यायसंगत मूल्य निर्धारण**, और **सख्त उपभोक्ता नीतियों** की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं **समान आर्थिक अवसर** प्राप्त कर सकें।

अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (International Seabed Authority - ISA)

चर्चा में क्यों ? भारत को पहली बार **अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA)** से **वैश्विक लाइसेंस** प्राप्त हुआ है, जिसके तहत भारत **नॉर्थ-वेस्ट इंडियन ओशन** में स्थित **कार्ल्सबर्ग रिज (Carlsberg Ridge)** क्षेत्र में **पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स (PMS)** की खोज कर सकेगा।

- यह भारत के **डीप-सी एक्सप्लोरेशन (Deep-Sea Exploration)** और **ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy)** लक्ष्यों के लिए एक **महत्वपूर्ण मील का पत्थर** है।
- यह समझौता **नई दिल्ली में हस्ताक्षरित** किया गया।
- इससे भारत को **मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल और कॉपर** जैसे मूल्यवान खनिजों की खोज का अधिकार मिला है।
- ये खनिज **स्वच्छ ऊर्जा तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी** और **इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण** के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

भारत के आवेदन और स्वीकृत क्षेत्र (Application and Approved Areas):

भारत ने **जनवरी 2024** में दो क्षेत्रों में अन्वेषण अधिकार के लिए आवेदन किया था:

1. **कार्ल्सबर्ग रिज (Carlsberg Ridge)** – *स्वीकृति प्राप्त*। ✅
2. **अफनासी-निकिटिन सी-माउंट (Afanasy-Nikitin Seamount - ANS)** – *अभी स्वीकृति लंबित*, क्योंकि **श्रीलंका ने भी इस क्षेत्र पर दावा किया है**।

भारत को पूर्व में प्राप्त अनुबंध (Previous ISA Contracts):

2002: सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन (Central Indian Ocean Basin) में अन्वेषण का अधिकार।

- दो बार विस्तार के बाद यह अनुबंध **मार्च 2027** तक मान्य।

2016 : :इंडियन ओशन रिज के एक अन्य हिस्से में **पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स** के लिए अनुबंध।

- यह अनुबंध **सितंबर 2031** तक मान्य।

- वर्तमान में **19 देशों** के पास ऐसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों के अन्वेषण का अधिकार है। □

कार्ल्सबर्ग रिज और उसका महत्व (Carlsberg Ridge and Its Importance):

- यह एक विशाल **मिड-ओशन रिज (Mid-Ocean Ridge)** है, जो लगभग **3,00,000 वर्ग किलोमीटर** क्षेत्र में फैला है।
- इसका विस्तार **रोड्रिग्स द्वीप** (Rodrigues Island, दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर) से लेकर **ओवेन फ्रैक्चर ज़ोन (Owen Fracture Zone, अरब सागर के पास)** तक है।

VAID ICS LUCKNOW

- इस क्षेत्र में **पॉलीमेटैलिक सल्फाइड्स (PMS)** पाए जाते हैं, जो निम्नलिखित खनिजों से समृद्ध हैं:
    - **मैंगनीज (Manganese)**
    - **कोबाल्ट (Cobalt)**
    - **निकल (Nickel)**
    - **कॉपर (Copper)**

ये खनिज **नवीकरणीय ऊर्जा संरचना**, **इलेक्ट्रिक वाहनों**, और **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों** के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

- यह क्षेत्र **किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर** है, इसलिए इसे **"हाई सीज़ (High Seas)"** कहा जाता है।
- ऐसे क्षेत्रों में अन्वेषण और खनन का अधिकार केवल **ISA** द्वारा **UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea)** के नियमों के तहत दिया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि (UNCLOS) के बारे में:

- UNCLOS को अक्सर **"Constitution of the Oceans" (महासागरों का संविधान)** कहा जाता है।
- इसे **1982 में अपनाया गया** और **1994 में लागू** किया गया।
- **मुख्यालय:** मोंटेगो बे, जमैका (Montego Bay, Jamaica)।

मुख्य प्रावधान:

Exclusive Economic Zone (EEZ):

- किसी देश को **अपने तट से 200 नॉटिकल माइल (NM)** तक के क्षेत्र पर **विशेष आर्थिक अधिकार** मिलते हैं।
- इसमें मछली पकड़ने, खनिज खोज और अन्य समुद्री संसाधनों के दोहन के अधिकार शामिल हैं।

Continental Shelf Extension:

- महाद्वीपीय शेल्फ (Continental Shelf) को **350 नॉटिकल माइल तक बढ़ाया जा सकता है**।
- कुछ विशेष क्षेत्रों, जैसे **बंगाल की खाड़ी**, में इसे **500 नॉटिकल माइल तक** बढ़ाने की अनुमति है।

High Seas:

- किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र।
- इसे **"Common Heritage of Mankind" (मानव जाति की साझा संपत्ति)** माना जाता है।
- यहां के संसाधनों का प्रबंधन **ISA** द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है।

भारत UNCLOS का हस्ताक्षरकर्ता है, इसलिए उसे इन क्षेत्रों में अन्वेषण अधिकार के लिए आवेदन करने का अधिकार है।

अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (ISA) के बारे में:

- **स्थापना:** 1994 (UNCLOS के तहत)।
- **मुख्यालय:** किंग्स्टन, जमैका (Kingston, Jamaica)।
- **सदस्य:** 168 देश + यूरोपीय संघ।

ISA की भूमिका:

- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में **खनिज संसाधनों की खोज और दोहन** को नियंत्रित करना।
- इसमें तीन प्रमुख खनिज शामिल हैं:

VAIDICS LUCKNOW

1. **Polymetallic Nodules (PMN)**
2. **Polymetallic Sulphides (PMS)**
3. **Cobalt-Rich Ferromanganese Crusts**

- **ISA का मुख्य सिद्धांत:**
  - यह संसाधन पूरी मानव जाति की साझा संपत्ति हैं।
  - इनका **सामूहिक लाभ के लिए सतत प्रबंधन** किया जाना चाहिए।

भारत **"Pioneer Investor Country"** है क्योंकि उसे 2002 में सबसे पहले अन्वेषण अनुबंध मिला था।

ISA के मुख्य अंग:

1. **Assembly (सर्वसाधारण सभा)**
2. **Council (परिषद)**
3. **Secretariat (सचिवालय)**

भारत के लिए महत्व (Significance for India):

महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा (Critical Mineral Security):

- कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज और कॉपर जैसे खनिज भारत को **स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों** और **EV बैटरियों** के लिए आत्मनिर्भर बनाएंगे।
- चीन पर आयात निर्भरता कम होगी।

ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा (Boost to Blue Economy):

- यह भारत के **डीप ओशन मिशन** और **सतत समुद्री संसाधन उपयोग** की दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है।

भूराजनीतिक लाभ (Geostrategic Leverage):

- गहरे समुद्र में उपस्थिति से भारत का **भारतीय महासागर क्षेत्र (IOR)** में प्रभाव बढ़ेगा।
- चीन और अन्य प्रमुख शक्तियों की उपस्थिति को संतुलित करने में मदद।

वैज्ञानिक प्रगति (Scientific Advancement):

- महासागरीय विज्ञान, **समुद्री तकनीक**, और **डीप-सी अनुसंधान** में भारत की क्षमता बढ़ेगी।

वैश्विक नेतृत्व (Global Leadership):

- समुद्री संसाधनों का जिम्मेदार प्रबंधन कर भारत **वैश्विक महासागर शासन** में नेतृत्व कर सकता है।

16वीं संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन (CCC): 2025

क्यों चर्चा में? प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** ने कोलकाता में **16वीं संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन (Combined Commanders' Conference - CCC)** का उद्घाटन किया।

- पीएम मोदी ने **रक्षा मंत्रालय** को आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta), **नवाचार (Innovation)** और **सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता (Jointness)** को मजबूत करने के लिए त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए।

VAID ICS LUCKNOW

- इस सम्मेलन का विषय (Theme) है – **"Year of Reforms – Transformation for the Future"** (*सुधारों का वर्ष – भविष्य के लिए रूपांतरण*)।

मुख्य बिंदु:

सुरक्षा स्थिति की समीक्षा (Review of Security Situation):

- पीएम मोदी ने **सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल तैयारी (Operational Preparedness)** की समीक्षा की।
- **ऑपरेशन सिंदूर** से उत्पन्न *नई परिस्थितियों*, **भविष्य की युद्ध तकनीकों** और **आधुनिक युद्ध रणनीतियों** पर विशेष ध्यान दिया गया।

विजन दस्तावेज़ का शुभारंभ (Launch of Vision Document):

- पीएम मोदी ने **"Indian Armed Forces Vision 2047"** जारी किया।
- यह दस्तावेज़ एक **रोडमैप** है, जिसका उद्देश्य उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए **भविष्य-तैयार सेना** का निर्माण करना है।

ऑपरेशनल उपलब्धियां (Operational Achievements Highlighted):

पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों की निम्नलिखित उपलब्धियों की सराहना की –

- **ऑपरेशन सिंदूर** – रणनीतिक लक्ष्यों को सुरक्षित करने में सफलता।
- **अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में समुद्री डकैती विरोधी मिशन (Anti-piracy missions)**।
- वैश्विक संघर्ष क्षेत्रों से **भारतीय नागरिकों की निकासी (Evacuation Operations)**।
- **राष्ट्र निर्माण और आपदा राहत कार्यों** में योगदान।

चर्चा के प्रमुख क्षेत्र (Focus Areas of Discussion):

- अत्याधुनिक तकनीक के साथ **बलों का आधुनिकीकरण**।
- **थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्तता और एकीकरण** को बढ़ावा।
- **मल्टी-डोमेन वारफेयर (भूमि, वायु, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष)** के लिए तैयारी।
- **संरचनात्मक और प्रशासनिक सुधार** करके कार्यकुशलता बढ़ाना।

प्रतिभागी (Participants):

- **रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह**,
- **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल**,
- **थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारी**।

नोट: CCC में वरिष्ठ *नागरिक और सैन्य नेतृत्व* एक साथ आकर राष्ट्रीय रक्षा से जुड़े उच्च-स्तरीय रणनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं।

संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन (CCC) के बारे में:

- यह सम्मेलन **हर दो साल में एक बार** आयोजित किया जाता है।
- यह सशस्त्र बलों का **सर्वोच्च-स्तरीय विचार-विमर्श मंच (Apex-level forum)** है।
- **प्रधानमंत्री** इसकी अध्यक्षता करते हैं और **राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं** पर मार्गदर्शन देते हैं।
- इसमें शामिल होते हैं:

VAID ICS LUCKNOW

- रक्षा मंत्री,
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA),
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS),
- सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख।

उद्देश्य:

1. **रणनीतिक, परिचालन और संरचनात्मक मुद्दों** की समीक्षा।
2. **अंतर-सेवा तालमेल** और नागरिक-सैन्य नेतृत्व के बीच बेहतर समन्वय।
3. सशस्त्र बलों को **उभरती वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों** के लिए तैयार करना।

16वीं CCC का महत्व (Significance):

- **2025 को "Year of Defence Reforms"** के रूप में चिह्नित करता है।
- भारत की **रक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों** की दिशा में कदम।
- **मल्टी-डोमेन वारफेयर** से निपटने की क्षमता बढ़ाने की दिशा में तैयारी।
- **आत्मनिर्भर भारत** को मजबूत करना और **स्वदेशी रक्षा उत्पादन व नवाचार** को बढ़ावा देना।

सामान्य वित्तीय नियम (General Financial Rules - GFR)

चर्चा में क्यों ? भारत ने **जून 2025** में अपने **सामान्य वित्तीय नियमों (GFR)** में सुधार किए हैं, ताकि **अनुसंधान और विकास (R&D) संबंधी खरीद प्रक्रियाओं** को तेज़ और सरल बनाया जा सके।

- इन सुधारों का उद्देश्य **सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM)** जैसी कठोर खरीद प्रक्रियाओं से उत्पन्न बाधाओं को दूर करना है, जो अक्सर **नवाचार (Innovation)** को धीमा करती थीं और **अनुसंधान की गुणवत्ता** को प्रभावित करती थीं।

मुख्य बिंदु (Key Points):

पूर्व प्रणाली की समस्याएं (Issues with Previous System):

- पुराने GFR नियमों के तहत **₹200 करोड़ तक के सभी R&D उपकरणों** की खरीद **GeM प्लेटफॉर्म** के माध्यम से अनिवार्य थी।
- वैज्ञानिकों को **विशेष उपकरणों** के लिए लंबी छूट प्रक्रिया (Exemption Process) से गुजरना पड़ता था।
- GeM पर उपलब्ध **विक्रेताओं द्वारा कम गुणवत्ता वाले उपकरण** सप्लाई किए जाते थे, जिससे **अनुसंधान परिणामों की गुणवत्ता प्रभावित** होती थी।
- नियमों का ज़्यादा ध्यान **वैज्ञानिक आवश्यकताओं के बजाय प्रक्रियात्मक अनुपालन** पर था, जिससे **नवाचार को बाधा** पहुंचती थी।

किए गए प्रमुख बदलाव (Major Changes Introduced):

- **विशेष उपकरणों** की खरीद के लिए **GeM को बाईपास (Bypass)** करने की अनुमति दी गई।
- **प्रत्यक्ष खरीद सीमा (Direct Purchase Limit)** ₹1 लाख से बढ़ाकर **₹2 लाख** कर दी गई।
- नियमों में ढील देकर **अनुसंधान संबंधी खरीद** को तेज़ करने और **उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों की उपलब्धता** सुनिश्चित करने का लक्ष्य।

VAID ICS LUCKNOW

सुधारों का महत्व (Significance of Reforms):

- **नवाचार-उन्मुख खरीद (Innovation-driven procurement)** को बढ़ावा।
- **वैश्विक मानकों के वैज्ञानिक उपकरणों** की खरीद में लगने वाले **प्रशासनिक विलंब** को कम करना।
- **सार्वजनिक खर्च** के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देकर **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं (Global Best Practices)** के अनुरूप बनाना।

GFR के बारे में (About General Financial Rules):

- **GFR** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी **वित्तीय प्रबंधन और सरकारी खरीद संबंधी नियमों** का एक सेट है।
- **उद्देश्य:**
    - **पारदर्शिता (Transparency)**,
    - **उत्तरदायित्व (Accountability)**,
    - और **दक्षता (Efficiency)** को सुनिश्चित करना।

कवर किए गए प्रमुख क्षेत्र:

1. बजट निर्माण और व्यय प्रबंधन (Budgeting and Expenditure)
2. वस्तुओं और सेवाओं की खरीद (Procurement of Goods and Services)
3. सार्वजनिक धन का प्रबंधन (Management of Public Funds)

- **नवीनतम सुधार (जून 2025):**
    - विशेष रूप से **R&D संबंधी खरीद** पर केंद्रित, ताकि भारत के **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem)** को मजबूती मिले।

आगे की राह (Way Forward):

1. **निरंतर निगरानी** ताकि गुणवत्ता बनी रहे और नियमों में दी गई छूट का दुरुपयोग न हो।
2. **वैश्विक मानकों** पर आधारित **विशेष R&D खरीद नीतियों** का विकास।
3. **वैज्ञानिक संस्थानों की क्षमता बढ़ाना**, ताकि वे खरीद प्रक्रियाओं को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकें।
4. **निजी क्षेत्र और स्टार्टअप्स के साथ सहयोग** बढ़ाना, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिले।

तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone - CRZ)

समाचार में क्यों ? राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) के गालाथेया बे के नाजुक तटीय क्षेत्रों को 81,000 करोड़ रुपये की प्रस्तावित मेगा अवसंरचना परियोजना से बाहर रखने की मांग की गई है।

- चिंता यह है कि कानून पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति नहीं देता।

परियोजना का विवरण:

इस परियोजना में शामिल हैं:

- एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल।
- टाउनशिप और क्षेत्रीय विकास।

VAID IAS LUCKNOW

- 450 MVA गैस एवं सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट।
- दोहरे उपयोग वाला (सिविल और सैन्य) हवाई अड्डा।

उठाई गई चिंताएं:

- पर्यावरण संरक्षण कानूनों के उल्लंघन की संभावना।
- गालाथेया बे क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी और जैव विविधता को खतरा।
- आर्थिक विकास और पारिस्थितिकीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती।

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के बारे में:

- **CRZ नियमों का प्रावधान** *पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986* के तहत **CRZ अधिसूचना, 2019** में किया गया है।
- इसका उद्देश्य तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे **मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, रेतीले टीलों (Sand Dunes), कछुओं के घोंसले वाले क्षेत्र** आदि की रक्षा करना और सतत विकास की अनुमति देना है।
- यह नियम **भारत की 7,500 किमी लंबी तटीय रेखा**, जिसमें द्वीप भी शामिल हैं, पर **निर्माण, पर्यटन, मछली पकड़ने और बंदरगाह विकास** जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं।

मुख्यभूमि और द्वीपों के लिए CRZ की श्रेणियाँ:

CRZ-I (अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र):

- ऐसे क्षेत्र जहाँ **कोई भी विकास कार्य वर्जित है**।
- इनमें **मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री पार्क, कछुओं के घोंसले, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव आवास** शामिल हैं।
- **उदाहरण:**
    - गालाथेया बे (ग्रेट निकोबार द्वीप)
    - सुंदरबन (पश्चिम बंगाल)

CRZ-II (विकसित शहरी क्षेत्र):

- तट के पास के **विकसित शहरी क्षेत्र**।
- नगर नियोजन मानकों के अनुसार **निर्माण और पुनर्विकास की अनुमति**।
- **उदाहरण:** मुंबई, चेन्नई जैसे तटीय शहर।

CRZ-III (ग्रामीण क्षेत्र):

- अपेक्षाकृत **अविकसित ग्रामीण और तटीय गाँव**।
- **निर्माण की सीमित अनुमति:**
    - द्वीपों पर: उच्च ज्वार रेखा (HTL) से 50 मीटर दूरी पर।
    - मुख्यभूमि पर: उच्च ज्वार रेखा (HTL) से 200 मीटर दूरी पर।

CRZ-IV (जल क्षेत्र):

- **निम्न ज्वार रेखा (LTL) से 12 नॉटिकल मील तक का समुद्री क्षेत्र**, जिसमें ज्वारीय जल निकाय भी शामिल हैं।
- **कड़ी निगरानी वाली गतिविधियाँ:**
    - मछली पकड़ना

VAID ICS LUCKNOW

- कचरा निपटान
- समुद्री जैव विविधता की रक्षा।

द्वीपों (अंडमान-निकोबार एवं लक्षद्वीप) के लिए विशेष प्रावधान:

- **50 मीटर नो-डेवलपमेंट ज़ोन** (HTL से)।
- **सतत पर्यटन और आजीविका गतिविधियों** को प्राथमिकता।
- CRZ-I क्षेत्रों में **बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों की मनाही**।

गालाथेया बे विवाद से संबंध:

- **गालाथेया बे (ग्रेट निकोबार) CRZ-I श्रेणी** में आता है।
- यहाँ बड़े बुनियादी ढाँचे की परियोजनाएँ **अनुमति योग्य नहीं हैं**।
- प्रस्तावित **81,000 करोड़ रुपये की परियोजना** CRZ मानकों का उल्लंघन कर सकती है, जिसके कारण यह मामला **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** के समक्ष चुनौती बना हुआ है।

एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF)

खबरों में क्यों ? केंद्रीय गृहमंत्री **अमित शाह** ने अपराधियों, विशेषकर नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल अपराधियों के निर्वासन (Deportation) की प्रक्रियाओं को **सरल और तेज़** बनाने पर ज़ोर दिया। उन्होंने विदेश में सक्रिय **ड्रग लॉर्ड्स** को भारतीय कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

एजेंसियों के बीच समन्वय:

- गृहमंत्री ने **ANTF** प्रमुखों को **CBI निदेशक** के साथ मिलकर एक मजबूत **प्रत्यर्पण प्रणाली (Extradition System)** विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
- यह प्रणाली केवल **मादक पदार्थों की तस्करी** तक सीमित न रहकर **आतंकवाद और गैंगस्टर से जुड़े अपराधों** पर भी केंद्रित होनी चाहिए।
- उन्होंने स्पष्ट किया कि **प्रत्यर्पण (Extradition)** और **निर्वासन (Deportation)** दोनों को साथ-साथ चलाना होगा ताकि अंतरराष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हो सके।

संयुक्त तंत्र (Joint Mechanism) का प्रस्ताव:

अमित शाह ने निम्नलिखित एजेंसियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त तंत्र का सुझाव दिया:

- नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (**NCB**)
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (**CBI**)
- **राज्य पुलिस बल**

उद्देश्य:

विदेशों में छिपे अपराधियों और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े फरार अपराधियों को वापस लाना और उनके नेटवर्क को खत्म करना।

ड्रग-फ्री इंडिया मिशन में NCORD की भूमिका:

- गृहमंत्री ने **नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल (NCORD)** की महत्ता को रेखांकित किया।

VAIDICS LUCKNOW

- **सफलता की कुंजी:**
    - जिले स्तर पर **पुलिस और शिक्षा अधिकारियों** की जागरूकता।
- हालांकि जिला स्तरीय **NCORD बैठकों** की संख्या बढ़ी है,
    - **272 जिलों** में अब तक **एक भी बैठक नहीं हुई**, जो समन्वय में कमी दर्शाता है।

सिंथेटिक ड्रग्स और अवैध प्रयोगशालाओं पर चेतावनी:

- गृहमंत्री ने **सिंथेटिक ड्रग्स** और **अवैध मादक पदार्थ निर्माण प्रयोगशालाओं** के बढ़ते खतरे के प्रति सतर्क किया।
- ANTF प्रमुखों को निर्देश:
    - सतर्क रहें और ऐसी लैब्स को **पहचानकर ध्वस्त** करें।
    - पिछले वर्ष में हुई **प्रगति की सराहना** की, लेकिन नए प्रयोगशालाओं की स्थापना रोकने के लिए **निवारक कार्रवाई** जारी रखने को कहा।

जब्त ड्रग्स का नष्टिकरण:

- गृहमंत्री ने जानकारी दी कि **1,37,917 किलोग्राम नशीले पदार्थ**,
    - जिनकी अनुमानित कीमत **₹4,800 करोड़** है,
    - **11 स्थानों पर नष्ट किए गए**।
- उन्होंने सुझाव दिया कि **प्रत्येक राज्य** में हर **तीन महीने में वैज्ञानिक एवं मानकीकृत तरीके** से जब्त ड्रग्स का नष्टिकरण किया जाए।

ANTF के बारे में:

- **एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF)** राज्य स्तर पर स्थापित एक **विशेष इकाई** है, जिसका उद्देश्य **नशीले पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों** पर अंकुश लगाना है।
- यह **राज्य पुलिस विभागों** के अधीन कार्य करती है, लेकिन **NCB, CBI** और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ निकट समन्वय बनाए रखती है।

ANTF के उद्देश्य:

- **मादक पदार्थों की तस्करी और खपत पर रोक लगाना।**
- **राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करना।**
- **संगठित अपराध सिंडिकेट्स की पहचान और उन पर कड़ी कार्रवाई करना।**
- **अन्य राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के साथ मजबूत समन्वय स्थापित करना।**

ANTF की संरचना:

- एक **वरिष्ठ पुलिस अधिकारी** (अक्सर **DIG** या **IG** रैंक) इसके प्रमुख होते हैं।
- इसमें **विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी** शामिल होते हैं, जो मादक पदार्थ नियंत्रण अभियानों में दक्ष होते हैं।
- **जिला स्तरीय पुलिस इकाइयों और स्थानीय खुफिया नेटवर्क** के साथ समन्वय में कार्य करता है।
- ड्रग नेटवर्क पर निगरानी रखने के लिए **आधुनिक निगरानी और ट्रैकिंग उपकरणों** से सुसज्जित होता है।

VAID ICS LUCKNOW

ईरान और यूरोपीय देश (E3)

खबरों में क्यों ?17 सितंबर, 2025 को **ईरान और यूरोपीय देश (E3: ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी)** ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर वार्ता की।

- इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य **"स्नैपबैक मैकेनिज्म"** को लागू होने से रोकना था।
- यह मैकेनिज्म स्वचालित रूप से **संयुक्त राष्ट्र (U.N.) के प्रतिबंधों** को बहाल कर देता है यदि ईरान परमाणु समझौते का उल्लंघन करता है।
- वार्ता में सीमित प्रगति हुई और पश्चिमी राजनयिकों ने चेतावनी दी कि **स्पष्ट समयसीमा** न होने पर ईरान **निरीक्षणों (Inspections)** को रोकने की रणनीति जारी रख सकता है।

मुख्य बिंदु:

स्नैपबैक मैकेनिज्म:

- यह **2015 के ईरान परमाणु समझौते (JCPOA)** के तहत पेश किया गया था।
- यदि ईरान समझौते का उल्लंघन करता है, तो **प्रतिबंध स्वचालित रूप से फिर से लागू** हो जाते हैं।
- **E3** ने इसे लागू करने में **6 महीने की देरी** का प्रस्ताव दिया ताकि वार्ता जारी रह सके।

E3 द्वारा रखी गई शर्तें:

- ईरान को **U.N. परमाणु निरीक्षकों को फिर से प्रवेश की अनुमति** देनी होगी।
- ईरान को अपने **संपन्न यूरेनियम भंडार (Enriched Uranium Stockpile)** का पूरा विवरण देना होगा।
- ईरान को **अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ वार्ता में शामिल** होना होगा।

E3 के बारे में:

E3 का तात्पर्य है:

- **ब्रिटेन (United Kingdom)**
- **फ्रांस (France)**
- **जर्मनी (Germany)**

इन तीन यूरोपीय देशों की भूमिका:

- **2015 में JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action)** के समझौते में **महत्वपूर्ण भूमिका** निभाई।
- ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए **यूरोप के राजनयिक प्रयासों** का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **अमेरिका, यूरोपीय संघ (EU)** और **IAEA (International Atomic Energy Agency)** के साथ **परमाणु अप्रसार (Non-Proliferation)** के मुद्दों पर समन्वय करते हैं।

JCPOA (जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन) – 2015:

- यह समझौता **ईरान और P5+1 देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी)** के बीच हुआ था।
- **उद्देश्य:**
    - ईरान की **परमाणु गतिविधियों को सीमित करना**,
    - इसके बदले में **आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना**।
- समझौते के तहत **IAEA द्वारा सख्त निगरानी** की अनुमति दी गई थी।

VAIDICS LUCKNOW

- **2018 में**, अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रम्प** के कार्यकाल में अमेरिका ने इस समझौते से **वापसी** की और **ईरान पर पुनः प्रतिबंध लगाए**।

हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर (HSN) कोड्स

समाचार में क्यों? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पियूष गोयल ने 20 सितंबर 2025 को "Celebrating 10 Years of Make in India and Discussion on Next Gen-Reforms 2.0" कार्यक्रम के दौरान **हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर (HSN) कोड्स के मैपिंग गाइडबुक** का विमोचन किया। यह गाइडबुक **प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT)** द्वारा तैयार की गई है।

गाइडबुक के प्रमुख अंश:

दायरा और कवरेज:

- 12,167 HSN कोड्स को भारत सरकार के 31 मंत्रालयों और विभागों से मैप किया गया।
- प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए स्पष्ट स्वामित्व और जिम्मेदारी निर्धारित।

उद्देश्य:

- डेटा-संचालित नीति निर्माण को बढ़ावा देना।
- विनिर्माण विकास को मजबूत करना।
- निवेश को बढ़ावा देना।
- व्यापार सुगमता और व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाना।

अनुपालन और प्रक्रिया:

- सभी 12,167 HSN कोड्स के लिए वैल्यू चेन और उपयोग-मामला विश्लेषण (CBIC टैरिफ मैनुअल से डेटा लिया गया)।
- **Allocation of Business (AoB) Rules, 1961** की समीक्षा करके मैपिंग को उत्पाद की प्रकृति और उपयोग के अनुसार संरेखित किया गया।
- व्यापक परामर्श:
    - कई अंतर-मंत्रालयीय परामर्श।
    - कई संयुक्त कार्य समूह बैठकें।
    - मंत्रालयों और विभागों के साथ 300+ वन-ऑन-वन बैठकें।
    - उद्योग हितधारकों के साथ कई परामर्श।

हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर (HSN) के बारे में:

- HSN एक अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत प्रणाली है, जिसका उपयोग व्यापारिक उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है।
- **विश्व कस्टम्स संगठन (WCO)** द्वारा विकसित, यह वैश्विक व्यापार में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक भाषा का काम करता है।
- वैश्विक रूप से लॉन्च: 1988
- भारत में अपनाया गया: 1986 (GST से पहले, कस्टम्स और उत्पाद शुल्क वर्गीकरण के लिए उपयोग किया गया)।

VAIDICS LUCKNOW

HSN का उद्देश्य:

समान उत्पाद वर्गीकरण:

- देशों को उत्पादों की पहचान में सहायता करता है और व्यापार एवं कराधान में निरंतरता सुनिश्चित करता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना:

- समान वर्गीकरण से वैश्विक व्यापार में भ्रम और विवाद कम होता है।

कराधान को सरल बनाना:

- सरकारें कस्टम्स ड्यूटी, उत्पाद शुल्क और GST लगाने के लिए HSN कोड्स का उपयोग करती हैं।

डेटा संग्रहण:

- व्यापारिक आंकड़े और आर्थिक विश्लेषण करने में मदद करता है।

स्मॉग-ईटिंग फोटोकैटेलिटिक कोटिंग्स

समाचार में क्यों? दिल्ली लंबे समय से गंभीर **वायु प्रदूषण** की समस्या से जूझ रहा है, खासकर सर्दियों में।

- इसके प्रमुख कारण:
  1. पराली जलाना (Stubble Burning)
  2. वाहन उत्सर्जन (Vehicular Emissions)
  3. औद्योगिक गतिविधियाँ (Industrial Activity)
  4. मौसम संबंधी परिस्थितियाँ, जो प्रदूषकों को हवा में फँसा देती हैं।
- **समाधान हेतु पहल:**
  - दिल्ली सरकार ने एक **नई तकनीक** — *टाइटेनियम ऑक्साइड आधारित फोटोकैटेलिटिक कोटिंग* — का अध्ययन करने और संभवत: इसे लागू करने की योजना बनाई है।

तकनीक के बारे में (About the Technology):

टाइटेनियम ऑक्साइड आधारित फोटोकैटेलिटिक कोटिंग (Titanium Oxide-Based Photocatalytic Coating):

- यह एक **विशेष कोटिंग** है, जिसे **सड़कों और सार्वजनिक स्थलों** पर लगाया जाता है।
- यह **सूर्य के प्रकाश और पराबैंगनी किरणों (UV Light)** का उपयोग करके **रासायनिक प्रतिक्रिया (Chemical Reaction)** करती है, जिससे वायु प्रदूषकों का विघटन होता है।

मुख्य कार्य:

1. **नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2)** को तोड़ना।
2. **हानिकारक हाइड्रोकार्बन (HCs)** को कम हानिकारक यौगिकों में परिवर्तित करना।

परिणाम: वायु गुणवत्ता में सुधार, विशेषकर भीड़-भाड़ और उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में।

वैश्विक उपयोग (Global Use):

- इस तकनीक का सफल **परीक्षण और उपयोग** कुछ अंतरराष्ट्रीय शहरों में हो चुका है।
- भारत में पहली बार **बड़े पैमाने पर अध्ययन** के लिए इसे **दिल्ली** में आजमाया जाएगा।

VAID ICS LUCKNOW

दिल्ली सरकार की योजना – चरणबद्ध दृष्टिकोण (Delhi Plan – Step-by-Step Approach):

1. **30 दिनों के भीतर** → तकनीक का मूल्यांकन करने के लिए **वैज्ञानिक साझेदार का चयन**।
2. **मैदान परीक्षण (Field Trials)** → वास्तविक शहर की सड़कों पर।
3. **6 महीने में अंतिम रिपोर्ट** → जिसमें शामिल होंगे:
    - सुरक्षा (Safety)
    - स्थिरता (Sustainability)
    - लागत-प्रभावशीलता (Cost-Effectiveness)

कार्यान्वयन रणनीति (Deployment Strategy):

- यदि परीक्षण सफल रहते हैं, तो **मंत्रिमंडल में प्रस्ताव** पेश किया जाएगा।
- **प्राथमिक स्थान:**
    1. व्यस्त यातायात कॉरिडोर (Busy Traffic Corridors)
    2. बाजार (Markets)
    3. सार्वजनिक स्थल (Public Spaces)

मूल्यांकन के प्रमुख क्षेत्र (Focus Areas for Evaluation):

सुरक्षा (Safety):

- यह सुनिश्चित करना कि कोई हानिकारक दुष्प्रभाव न हो।

स्थिरता (Sustainability):

- लंबे समय तक पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन।

लागत-प्रभावशीलता (Cost-Effectiveness):

- बड़े पैमाने पर लागू करने की वित्तीय संभावना।

सप्लायर मैपिंग (Supplier Mapping):

- भरोसेमंद निर्माताओं की पहचान।

संभावित लाभ (Expected Benefits):

- **NO_2 और हाइड्रोकार्बन जैसे प्रमुख प्रदूषकों** में कमी।
- उच्च घनत्व वाले शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार।
- विशेष रूप से संवेदनशील समूहों के लिए लाभ:
    1. बच्चे
    2. बुजुर्ग
    3. दिहाड़ी मजदूर
    4. कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाले समुदाय

चुनौतियाँ एवं विचारणीय बिंदु (Challenges & Considerations):

1. **टाइटेनियम ऑक्साइड की उच्च लागत** और आवेदन प्रक्रिया महंगी होना।

VAIDICS LUCKNOW

2. **भारतीय मौसम परिस्थितियों** में कोटिंग की टिकाऊपन पर सवाल।
3. समय-समय पर **रखरखाव (Maintenance)** की आवश्यकता।
4. बड़े पैमाने पर अपनाने से पहले **वैज्ञानिक प्रमाणन (Scientific Validation)** जरूरी।
5. नगर निकायों और सड़क प्राधिकरणों के साथ **समन्वय की आवश्यकता**।

दिल्ली और भारत के लिए महत्व (Significance for Delhi & India):

- यदि सफल रहा, तो **दिल्ली अन्य प्रदूषित शहरी केंद्रों** के लिए एक **मॉडल शहर** बन सकता है।
- यह पहल **भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)** के उद्देश्यों के अनुरूप है।
- यह **एसडीजी 11 (Sustainable Cities and Communities)** जैसे वैश्विक लक्ष्यों को भी पूरा करने में सहायक होगी।
- यह केवल **नियामक उपायों (Regulatory Measures)** पर निर्भर न रहकर **वैज्ञानिक और नवाचारी दृष्टिकोण** को अपनाता है।

आनंद विवाह अधिनियम, 1909

समाचार में क्यों? हाल ही में **सुप्रीम कोर्ट (SC)** ने **17 राज्यों** और **8 केंद्रशासित प्रदेशों (UTs)** को निर्देश दिया है कि वे **आनंद विवाह अधिनियम, 1909** के तहत **सिख विवाहों के पंजीकरण हेतु नियम** चार महीने के भीतर तैयार करें।

- जब तक ये नियम नहीं बनाए जाते, तब तक **राज्य और UTs को मौजूदा विवाह पंजीकरण कानूनों** के तहत आनंद कारज विवाह को स्वीकार और पंजीकृत करना होगा।
- इसका उद्देश्य यह है कि **सिख समुदाय अपने धार्मिक परंपराओं के अनुसार विवाह पंजीकृत करवा सकें**, जो अब तक सभी राज्यों में समान रूप से उपलब्ध नहीं था।

अधिनियम और इसका संशोधन:

- **आनंद कारज** एक **सिख धार्मिक समारोह** है जिसका अर्थ है *"आनंदमय मिलन"*, जो **गुरु ग्रंथ साहिब** की उपस्थिति में संपन्न होता है।
- प्रारंभ में इस प्रकार के विवाहों के **पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं था**।
- **2012 के आनंद विवाह (संशोधन) अधिनियम** द्वारा **धारा 6** जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत **राज्य सरकारों को विवाह पंजीकरण हेतु नियम बनाने का प्रावधान किया गया।**
- लेकिन आज तक **अधिकांश राज्यों और UTs ने नियम नहीं बनाए**, जिसके कारण सिख जोड़ों को अन्य कानूनों के तहत विवाह पंजीकरण कराना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप:

- **2022 में एक याचिका** दायर की गई, जिसमें नियमों की कमी के कारण होने वाली व्यावहारिक समस्याओं को उठाया गया, जैसे:
    - विवाह प्रमाणपत्र की अनुपलब्धता,
    - निवास, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े मुद्दे।

VAID ICS LUCKNOW

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:

- राज्यों पर यह *"सकारात्मक दायित्व"* है कि वे एक **कारगर पंजीकरण प्रणाली बनाएँ।**
- नियम न बनाने से संसद द्वारा दिए गए **वैधानिक लाभ प्रभावित होते हैं।**
- **नियमों की अनुपस्थिति में भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।**

वर्तमान समस्याएँ:

- वर्तमान में अधिकांश **सिख जोड़े हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (HMA)** के तहत अपना विवाह पंजीकृत कराते हैं।
- लेकिन HMA में:
- सिख परंपराओं के अनुरूप **तलाक या वैवाहिक विवादों का प्रावधान नहीं है।**
- यह **सिख पहचान और धार्मिक प्रथाओं को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करता।**
- **2012 संशोधन** ने केवल पंजीकरण की समस्या को हल किया लेकिन **तलाक से संबंधित प्रावधान नहीं जोड़े**, जिससे सिख समुदाय में असंतोष है।

सिख समुदाय की चिंताएँ:

- समुदाय के नेताओं का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था:
- बहुत **सीमित और प्रतीकात्मक** है।
- इसमें **व्यावहारिक अधिकार और उपचार** का अभाव है।
- उनकी मांगें:
    1. सिख विवाह परंपराओं और रीति-रिवाजों को प्रतिबिंबित करने वाले **व्यापक नियम**।
    2. **ऐसा कानूनी ढांचा** जो केवल प्रतीकात्मक मान्यता ही नहीं बल्कि **वास्तविक अधिकार और समाधान** भी प्रदान करे।

आनंद विवाह अधिनियम, 1909 के बारे में:

- **आनंद विवाह अधिनियम, 1909** ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था।
- इसका उद्देश्य था **आनंद कारज विधि से संपन्न सिख विवाहों को वैधानिक मान्यता प्रदान करना।**

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संदर्भ:

- **1909 से पहले**, सिख विवाहों को आमतौर पर **हिंदू विवाह प्रथाओं** के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता था।
- इससे **सिख धार्मिक पहचान सही तरीके से प्रदर्शित नहीं होती थी।**
- **आनंद कारज**, जिसका अर्थ *"आनंदमय मिलन"* है, परंपरागत रूप से **गुरु ग्रंथ साहिब** की उपस्थिति में किया जाने वाला सिख विवाह संस्कार है।
- **सिख सुधार आंदोलनों** (जैसे **सिंह सभा आंदोलन**) के बढ़ते प्रभाव के साथ यह मांग तेज हुई कि **सिख विवाहों को अलग वैधानिक मान्यता मिले।**
- इस दबाव और मांग के चलते ब्रिटिश सरकार ने **आनंद विवाह अधिनियम, 1909** पारित किया।
- इसके तहत **आनंद कारज विधि से संपन्न विवाहों को कानूनी मान्यता** प्रदान की गई।

VAIDICS LUCKNOW

न्यू START संधि (New START Treaty)

समाचार में क्यों? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को घोषणा की कि मास्को अमेरिका के साथ न्यू START संधि के तहत परमाणु हथियारों की सीमाओं का पालन एक और वर्ष जारी रखेगा, जबकि यह संधि फरवरी 2026 में समाप्त होने वाली है। उन्होंने वाशिंगटन से भी यही कदम उठाने का आग्रह किया।

मुख्य बिंदु

न्यू START संधि का परिचय:

- 2010 में हस्ताक्षरित न्यू START संधि यू.एस. और रूस के बीच अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता है।
- यह दोनों देशों के तैनात रणनीतिक परमाणु वारहेड, बम और लॉन्चरों पर केंद्रीय मात्रा संबंधी सीमाएँ लगाती है।
- संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाली है, जिससे हथियार नियंत्रण विशेषज्ञ चिंतित हैं।

रूस का दृष्टिकोण:

- पुतिन ने चेतावनी दी कि संधि समाप्त होने से वैश्विक सुरक्षा अस्थिर हो सकती है और परमाणु हथियारों का प्रसार बढ़ सकता है।
- उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति बनाए रखना एक नए रणनीतिक हथियार दौड़ को रोकने और स्वीकार्य स्तर की संयम बनाए रखने में मदद करेगा।
- रूस संधि की केंद्रीय सीमाओं का पालन समाप्ति तिथि के एक वर्ष बाद भी करने के लिए तैयार है।

वैश्विक प्रभाव:

- हथियार नियंत्रण समर्थकों ने हमेशा चिंता व्यक्त की है कि न्यू START की समाप्ति नई परमाणु हथियार दौड़ शुरू कर सकती है।
- यदि संधि न रहे, तो दोनों देश बिना किसी रोक के अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा सकते हैं, जिससे रणनीतिक अस्थिरता और संभावित परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ जाएगा।

महत्व:

- रूस की घोषणा रणनीतिक हथियार नियंत्रण में स्थिरता की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- यह विस्तार वैश्विक समुदाय के लिए अस्थायी आश्वासन प्रदान करता है और संभावित नए वार्ता के लिए समय खरीदता है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की प्रतिक्रिया तय करेगी कि क्या पारस्परिक विस्तार या नया समझौता संभव हो पाएगा।

अन्य संबंधित संधियाँ:

START I & II (1991–2009)

- START I: अमेरिका-सोवियत / रूस संधि, तैनात रणनीतिक वारहेड और डिलीवरी सिस्टम सीमित।
- START II: कभी पूरी तरह लागू नहीं हुई, रणनीतिक परमाणु भंडार कम करना और MIRVed ICBMs पर प्रतिबंध।

मध्यम-सीमा परमाणु बल संधि (INF Treaty, 1987–2019)

VAID ICS LUCKNOW

- अमेरिका और USSR / रूस के बीच 500–5,500 किमी दूरी वाली ग्राउंड-लॉन्च बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पर प्रतिबंध।
- अमेरिका ने 2019 में रूसी उल्लंघनों का हवाला देते हुए संधि से बाहर निकल लिया।

परमाणु हथियार गैर-प्रसार संधि (NPT, 1968)

- 190+ देशों ने हस्ताक्षर की।
- उद्देश्य: परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, निरस्त्रीकरण बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना।

मुख्य दायित्व:

- गैर-परमाणु देशों को हथियार विकसित नहीं करने।
- परमाणु देशों को निरस्त्रीकरण के प्रयास करने।

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT, 1996)

- परीक्षण के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर वैश्विक प्रतिबंध।
- 185 राज्यों ने हस्ताक्षर किया, लेकिन प्रमुख परमाणु सक्षम देशों द्वारा अनुमोदन न होने के कारण लागू नहीं।

रणनीतिक आक्रामक कमी संधि (SORT / Moscow Treaty, 2002–2011)

- अमेरिका-रूस संधि, तैनात रणनीतिक वारहेड को 1,700–2,200 तक कम करना।
- 2011 में न्यू START द्वारा प्रतिस्थापित।

यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बल संधि (CFE, 1990)

- मुख्यतः पारंपरिक हथियारों के लिए; यूरोप में सैन्य बल संतुलन और बड़े पैमाने पर संघर्ष के जोखिम को कम करना।

विभिन्न प्लूटोनियम और फिसाइल सामग्री समझौते

- Plutonium Management and Disposition Agreement (PMDA, 2000): अमेरिका और रूस के बीच हथियार-ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान।
- Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT, प्रस्तावित): अभी लागू नहीं; परमाणु हथियारों के लिए फिसाइल सामग्री के उत्पादन पर प्रतिबंध।

औद्योगिक उत्पादन (IIP) और कोर उद्योग सूचकांक (ICI)

समाचार में क्यों? भारत के कोर सेक्टर का उत्पादन अगस्त 2025 में 13 महीने के उच्चतम स्तर 6.3% वार्षिक वृद्धि (YoY) पर पहुँच गया। इसका मुख्य कारण कोयला उत्पादन में सुधार और स्टील व सीमेंट के मजबूत प्रदर्शन थे।

यह अगस्त 2024 में -1.5% सिकुड़न और जुलाई 2025 में 3.7% वृद्धि के बाद एक तेज़ सुधार को दर्शाता है। डेटा, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 22 सितंबर 2025 को जारी किया**, औद्योगिक उत्पादन (IIP) में** सकारात्मक रुझान को दिखाता है। अगस्त 2025 के लिए IIP वृद्धि का अनुमान 4.5-5.5% है। यह FY26 की अप्रैल-अगस्त की 2.8% की धीमी संचयी वृद्धि के बावजूद बुनियादी ढांचे वाले सेक्टरों की मजबूती को दर्शाता है।

VAID IAS LUCKNOW

मुख्य बिंदु:

- **कुल कोर सेक्टर प्रदर्शन:**
  कोर इंडस्ट्रीज सूचकांक (ICI) आठ सेक्टरों को कवर करता है और IIP में इसका वजन 40.27% है। अगस्त में खनन और निर्माण में सुधार के कारण ICI ने तेज़ी दिखाई, हालांकि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के कारण कुछ दबाव रहा।
- **लो बेस प्रभाव:**
  अगस्त 2024 में -1.5% उत्पादन होने के कारण, YoY तुलना में वृद्धि दिख रही है; FY26 की संचयी वृद्धि अभी भी 2.8% पर कम है।
- **सेक्टोरल ड्राइवर्स:**
  कोयला, स्टील और सीमेंट ने मुख्य वृद्धि दर्ज की, साथ ही रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और बिजली ने भी सकारात्मक योगदान दिया। विश्लेषकों का कहना है कि कोयला में सुधार जुलाई की गिरावट के बाद हुआ।
- **आर्थिक प्रभाव:**
  यह बुनियादी ढांचे में सुधार और संभावित IIP वृद्धि को दर्शाता है; अनुमानित IIP वृद्धि 4.5-5.5% है, खनन क्षेत्र में चार महीने की गिरावट के बाद सुधार इसे समर्थन देता है।
- **आगे की चुनौतियाँ:**
  सीमेंट क्षेत्र में मानसून के कारण 10 महीने के निचले स्तर की वृद्धि और FY26 की शुरुआती मंदी से नीति समर्थन के बिना निरंतर गति बनाए रखने में चिंता है।

औद्योगिक उत्पादन (IIP) और कोर इंडस्ट्रीज सूचकांक (ICI) के बारे में:

औद्योगिक उत्पादन (IIP):

- IIP एक समग्र सूचक है जो भारत में औद्योगिक गतिविधियों की वृद्धि दर मापता है, इसमें खनन, निर्माण और बिजली सेक्टर शामिल हैं।
- यह उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है और आर्थिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। इसे मासिक रूप से **सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** जारी करता है।
- अगस्त 2025 के लिए IIP वृद्धि का अनुमान 4.5-5.5% है, जो हाल ही में कोर सेक्टर में सुधार से प्रभावित है।

कोर इंडस्ट्रीज सूचकांक (ICI):

- ICI आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा सेक्टरों—कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली—के उत्पादन को ट्रैक करता है।
- यह IIP के 40.27% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह औद्योगिक रुझानों के लिए अग्रिम संकेतक के रूप में कार्य करता है। अगस्त 2025 में, ICI ने 13 महीने में उच्चतम 6.3% वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जिसमें कोयला (11.4%) और स्टील (14.2%) ने मुख्य योगदान दिया, जबकि कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ने दबाव डाला।

VAID IAS LUCKNOW

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs)

समाचार में क्यों?भारत AI डेटा सेंटर सेक्टर की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) की ओर रणनीतिक बदलाव पर विचार कर रहा है।

- 22 सितंबर 2025 की खबर के अनुसार, केंद्र सरकार SMR-आधारित न्यूक्लियर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है ताकि इस क्षेत्र की क्लीन एनर्जी जरूरतें पूरी हो सकें।
- यह पहल पहले से ही अमेरिका और अन्य देशों में देखी जा रही है।

उद्देश्य:

- नवीकरणीय ऊर्जा की सीमाओं को दूर करना।
  अनुमान है कि भारत का डेटा सेंटर बाजार 2024 **में $5.12 बिलियन से बढ़कर 2026 तक $10 बिलियन** तक पहुँच सकता है, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग की मांग बढ़ने के कारण।

मुख्य बिंदु:

AI डेटा सेंटर का बूम:

- AI एप्लिकेशन्स के तेजी से विस्तार से डेटा सेंटर की ऊर्जा मांग तीन गुना बढ़ गई है।
- भारत में वैश्विक टेक जायंट्स के फैसिलिटी लगाने से मांग बढ़ रही है।

SMR के रूप में समाधान:

- SMRs की क्षमता 300 MW से 3000 MW तक होती है।
- ये क्लीन, 24/7 पावर स्रोत प्रदान करते हैं, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिरता की समस्या दूर होती है।

सरकारी पहल:

- केंद्र सरकार न्यूक्लियर ऊर्जा के विकल्प पर विचार कर रही है।
- पावर खपत और इन्फ्रास्ट्रक्चर लागत जैसे प्रमुख खर्चों की समीक्षा जारी है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

- अमेरिका और अन्य देश SMRs अपना रहे हैं।
- भारत पीछे है, जिससे निवेश आकर्षित करने और भविष्य की ऊर्जा मांग पूरी करने हेतु नीति परिवर्तन की संभावना है।

चुनौतियाँ:

- मानसून में व्यवधान और नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता ने प्रगति को धीमा किया।
- 2030 तक न्यूक्लियर इंटीग्रेशन के साथ संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) के बारे में:

- SMRs उन्नत न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता **300 MW(e) से 3000 MW(e)** तक होती है, जो पारंपरिक रिएक्टरों से बहुत छोटे हैं।
- ये फैक्ट्री में निर्मित और मॉड्यूलर होते हैं, जिससे इन्हें आसानी से ट्रांसपोर्ट, इंस्टाल और स्केल किया जा सकता है।
- भारत में AI डेटा सेंटर की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए इन्हें अपनाया जा रहा है।
- SMRs कम निर्माण समय (3-5 साल बनाम पारंपरिक 10+ साल) और बेहतर सुरक्षा फीचर्स के कारण दूर-दराज़ क्षेत्रों में भी उपयुक्त हैं।

VAID ICS LUCKNOW

रिएक्टर के प्रकार:

प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर (PWRs):

- सबसे सामान्य प्रकार।
- प्रेशराइज्ड पानी को कूलेंट और मॉडरेटर के रूप में उपयोग।
- लगभग 1500 MW(e) क्षमता।
- अमेरिका और यूरोप में स्थिर बेसलोड पावर के लिए व्यापक उपयोग।

बॉयलिंग वाटर रिएक्टर (BWRs):

- PWR के समान, लेकिन रिएक्टर कोर में पानी उबालकर सीधे टरबाइन भाप उत्पन्न।
- 500-1500 MW(e) क्षमता।
- जापान और अमेरिका में प्रचलित।

गैस-कूल्ड रिएक्टर (GCRs):

- कूलेंट: CO_2 या हीलियम; मॉडरेटर: ग्रेफाइट।
- UK के Magnox और AGR रिएक्टर (1000 MW(e) तक)।
- उच्च तापमान संचालन के लिए उपयुक्त।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBRs):

- तेज न्यूट्रॉन्स का उपयोग करके अधिक फिसाइल सामग्री उत्पन्न।
- संसाधन कम क्षेत्रों के लिए आदर्श।
- भारत का प्रोटोटाइप FBR, कल्पक्कम में 500 MW(e) उत्पादन और थोरियम उपयोग में सहायक।

मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर (MSRs):

- प्रयोगात्मक रिएक्टर, जिसमें मोल्टन सॉल्ट ईंधन और कूलेंट।
- 100-1000 MW(e) क्षमता, अंतर्निहित सुरक्षा।
- चीन समेत विश्वभर में विकासाधीन।

उत्तर प्रदेश में जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध

सामाचार में क्यों? 16 सितंबर 2025 को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश विनोद दिवाकर ने उत्तर प्रदेश सरकार को सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में जाति गौरव फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि जाति-आधारित रैलियाँ, कार्यक्रम और सार्वजनिक प्रदर्शन गहरी सामाजिक दरारें पैदा कर रहे हैं और सार्वजनिक व्यवस्था व राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बन रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार का नोटिफिकेशन

21 सितंबर 2025 को, यूपी सरकार ने कार्यकारी मुख्य सचिव दीपक कुमार के माध्यम से हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने हेतु एक व्यापक नोटिफिकेशन जारी किया। यह नोटिफिकेशन सामाजिक सौहार्द बनाए रखने, कानून-व्यवस्था मजबूत करने और राज्य में जाति-आधारित राजनीतिक जुटान को रोकने के उद्देश्य से था।

VAD ICS LUCKNOW

मुख्य उपाय:

जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध:

- सभी राजनीतिक रैलियाँ, सम्मेलन और जाति के नाम पर आयोजित होने वाली सभा प्रतिबंधित।
- जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रमुखों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश।

सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी:

- किसी भी सोशल मीडिया सामग्री पर निगरानी, जो:
  - किसी जाति की महिमा करे,
  - अन्य जातियों का अपमान करे,
  - जातीय घृणा भड़काए या हिंसा को बढ़ावा दे।
- उल्लंघन करने वालों के खिलाफ साइबरक्राइम और आपराधिक कानूनों के तहत कार्रवाई।

वाहनों पर नियंत्रण:

- वाहनों पर जाति नाम, स्टिकर या नारे लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित।
- उल्लंघन करने वाले वाहनों को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के तहत चालान।

जाति-आधारित साइनबोर्ड हटाना:

- स्थानीय अधिकारियों को निर्देश कि वे जाति गौरव वाले साइनबोर्ड या सार्वजनिक चिन्ह हटाएँ।
- **उदाहरण: "यादव एस्टेट", "ठाकुर का इलाका**" आदि।

पुलिस रिकॉर्ड में सुधार:

- अपराधियों की जाति अब पुलिस मामलों में दर्ज नहीं की जाएगी।
- CCTNS पोर्टल पर जाति फील्ड को स्थायी रूप से हटाने के लिए NCRB द्वारा अपडेट।
- तब तक केस दर्ज करते समय जाति फील्ड को खाली रखा जाएगा।

अपवाद:

- **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989** के तहत दर्ज मामलों में जाति की जानकारी आवश्यक रहने के कारण जारी रहेगी।

आलोचना और मुद्दे:

दोहरे मानक का आरोप:

- आलोचकों का कहना है कि सरकार ने पहले चुनावों से पहले जाति-आधारित रैलियाँ आयोजित की थीं।
- सार्वजनिक प्रदर्शन जो जाति-आधारित नेतृत्व दिखाते हैं, वह प्रतिबंध के विपरीत।
- **राजनीतिक रूप से प्रेरित समय:**
- प्रतिबंध की घोषणा प्रमुख जाति-आधारित रैली की योजना के तुरंत बाद हुई।
- आलोचना कि यह केवल विशिष्ट समूहों को रोकने का प्रयास है।

वैध जाति आधारित आवाजों को दबाने का खतरा:

- जाति से जुड़ी अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए आवाज़ दब सकती है।
- मूल असमानताओं को हल किए बिना सार्वजनिक अभिव्यक्ति पर नियंत्रण।

VAID ICS LUCKNOW

चयनात्मक प्रवर्तन का डर:

- डर कि कानून राजनीतिक आधार पर कुछ समूहों पर लागू होगा और कुछ को छोड़ा जाएगा।

संरचनात्मक सुधारों की कमी:

- रैलियों को रोकना जाति भेदभाव और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को नहीं हल करता।

इस कदम का महत्व:

सार्वजनिक व्यवस्था मजबूत करना:

- जाति आधारित हिंसा और अशांति को रोकने में मदद।

सामाजिक एकता बढ़ाना:

- समुदायों के बीच सौहार्द और सह-अस्तित्व को बढ़ावा।

निष्पक्ष शासन:

- पुलिस रिकॉर्ड से जाति हटाने से न्याय प्रणाली अधिक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष बनेगी।

71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

समाचार में क्यों: हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति **द्रौपदी मुर्मू** ने प्रतिष्ठित **दादासाहेब फाल्के पुरस्कार (2023) वरिष्ठ अभिनेता मोहनलाल** को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया।

यह समारोह उन फिल्मों और प्रदर्शनियों का जश्न मनाता है जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय मूल्यों को भी उजागर करती हैं।

मुख्य विशेषताएँ:

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार 2023:

- **प्राप्तकर्ता:** मोहनलाल
- **महत्व:** भारतीय सिनेमा में जीवनभर के योगदान को मान्यता देता है।
- **मोहानलाल का बयान:** "सिनेमा मेरी आत्मा की धड़कन है। जय हिंद।"

राष्ट्रपति का भाषण:

- मोहनलाल के बहुमुखी अभिनय की प्रशंसा की, जो कोमल से लेकर तीव्र भूमिकाओं तक फैला है।
- महिलाओं के संघर्ष और सशक्तिकरण पर केंद्रित फिल्मों की सराहना की।
- जोर दिया:
    - केंद्रीय और क्षेत्रीय जूरी पैनलों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व।
    - समाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने में सिनेमा की भूमिका, विशेषकर युवाओं में।
    - बच्चों, विशेषकर लड़कियों पर केंद्रित फिल्मों को प्रोत्साहित करना।
- **विशेष:** इस वर्ष छह बाल कलाकारों ने पुरस्कार जीते।

मुख्य पुरस्कार:

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार:

VAID ICS LUCKNOW

सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता (साझा):

- शाहरुख खान – *Jawan* (हिंदी)
- विक्रांत मास्से – *12th Fail* (हिंदी)

- **सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता:**
  - रानी मुखर्जी – *Mrs. Chatterjee vs Norway* (हिंदी)

सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणियाँ:

- **सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म:** *12th Fail* (हिंदी)
- **सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म (संपूर्ण मनोरंजन):** *Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani* (हिंदी) – निर्देशक: करण जोहर
- **राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म:** *Sam Bahadur* (हिंदी) – निर्देशक: मेघना गुलजार
- **सर्वश्रेष्ठ बच्चों की फिल्म:** *Naal 2* (मराठी) – निर्देशक: सुधाकर रेड्डी यकांति
- **सर्वश्रेष्ठ एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक श्रेणी की फिल्म:** *Hanu-Man* (तेलुगु)

सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और छायांकन:

- **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक:** सुदीप्त सेन – *The Kerala Story* (हिंदी)
- **सर्वश्रेष्ठ छायांकन:** प्रसांतनु मोहापात्र – *The Kerala Story* (हिंदी)

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में:

- यह भारत का सबसे बड़ा सिनेमा सम्मान है, जो हर साल भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट जीवनकाल योगदान के लिए दिया जाता है।
- इसे भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रस्तुत करती है।
- यह पुरस्कार **धुंडीराज गोविंद फाल्के** (दादासाहेब फाल्के) के नाम पर है, जिन्हें भारत के पहले पूर्ण लंबाई फीचर फिल्म ***राजा हरिश्चंद्र*** (1913) के निर्देशक के रूप में "भारतीय सिनेमा का पिता" माना जाता है।

इतिहास:

स्थापना: 1969, दादासाहेब फाल्के की जन्म शताब्दी के अवसर पर।

पहला प्राप्तकर्ता: देविका रानी, भारतीय सिनेमा की पहली महिला, **1969** में।

COP 30

समाचार में क्यों ? भारत COP30 के शुरुआत में, Belém, ब्राज़ील में लगभग 10 नवंबर 2025 को अपना अपडेटेड **नेशनल्ली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशंस (NDCs)**, जिसे **NDC 3.0** कहा जा रहा है, प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है। इन अपडेट्स में मजबूत प्रतिबद्धताओं की उम्मीद है, खासकर **ऊर्जा दक्षता में सुधार** और **उत्सर्जन तीव्रता को और कम करने** के लिए।

यह कदम तब आया है जब वैश्विक प्रयास **पेरिस समझौते** के लक्ष्य से पीछे हैं: इस सदी के अंत तक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे, और संभव हो तो 1.5°C तक सीमित करना।

VAID ICS LUCKNOW

पिछली प्रतिबद्धताएँ – NDC 2.0 (2022 अपडेट):

भारत ने अगस्त 2022 में पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु लक्ष्यों को अपडेट किया।

मुख्य प्रतिबद्धताएँ थीं:

- **उत्सर्जन तीव्रता में कमी:** भारत ने 2030 तक अपने GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 स्तर की तुलना में 45% कम करने का वचन दिया।
  उत्सर्जन तीव्रता का अर्थ है GDP के प्रति इकाई कार्बन उत्सर्जन, यानी भारत ने कुल उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद **स्वच्छ आर्थिक विकास** का लक्ष्य रखा।
- **गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता:** भारत ने कुल स्थापित पावर जनरेशन क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन, हाइड्रो और परमाणु) से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा।
- **कार्बन सिंक निर्माण:** भारत ने 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का लक्ष्य रखा, जिससे वन और वृक्ष कवर बढ़े।

अब तक की प्रगति:

भारत ने संयुक्त राष्ट्र को महत्वपूर्ण प्रगति की रिपोर्ट दी है:

- 2019 तक, भारत ने 2005 स्तर की तुलना में **33% उत्सर्जन तीव्रता में कमी** की, जो 2030 लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगति को दर्शाता है।
- जून 2025 तक, भारत ने कुल पावर जनरेशन क्षमता का **50% गैर-जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त कर लिया**, लक्ष्य पांच साल पहले ही पूरा कर लिया।

NDC 3.0 से क्या अपेक्षा है:

आगामी NDC 3.0 में अपेक्षित है:

- 2035 तक जलवायु लक्ष्यों का विस्तार और नए, अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करना।
- ऊर्जा दक्षता और **क्षेत्र-विशिष्ट उत्सर्जन घटाने की रणनीतियों** पर ध्यान।
- **भारत कार्बन मार्केट** 2026 में शुरू करना, जो पावर, स्टील, सीमेंट और परिवहन जैसे 13 प्रमुख सेक्टर्स को कवर करेगा।

इस मार्केट मैकेनिज्म के तहत:

- प्रत्येक सेक्टर के लिए **अनिवार्य उत्सर्जन तीव्रता कमी लक्ष्य** होंगे।
- अतिरिक्त कमी करने वाली कंपनियाँ **एमीशन रिडक्शन सर्टिफिकेट्स** कमाएँगी, जिन्हें लक्ष्य पूरा न करने वाली कंपनियों को बेचा जा सकेगा।
- इससे स्वच्छ तकनीकों और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए **मार्केट-ड्रिवन दृष्टिकोण** बनेगा।

वैश्विक संदर्भ:

- 190+ देशों में से केवल 30 देशों ने COP30 से पहले अपना अपडेटेड NDC प्रस्तुत किया है।

मुख्य वैश्विक विकास:

- **यूरोपीय संघ (EU):**
  - 2050 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन का दीर्घकालिक लक्ष्य।

VAIDICS LUCKNOW

- 2035 लक्ष्य पर बहस चल रही है: 1990 स्तर की तुलना में 66.25% से 72.5% उत्सर्जन कमी का अनुमान।
- अंतिम निर्णय प्रमुख सदस्य राज्यों (जैसे फ्रांस और जर्मनी) के बीच मतभेद के कारण विलंबित।

- **ऑस्ट्रेलिया:**
  - 2035 तक 2005 स्तर की तुलना में 62% से 70% उत्सर्जन कमी की घोषणा।

वैश्विक तापमान का परिदृश्य:

- यदि सभी मौजूदा प्रतिबद्धताएँ पूरी हों भी, तो 2100 तक वैश्विक तापमान लगभग **3°C बढ़ने** का अनुमान, जो पेरिस समझौते के लक्ष्य से काफी अधिक है।

H-1B वीज़ा: भारतीय आईटी उद्योग पर प्रभाव

समाचार में क्यों? ट्रम्प प्रशासन ने H-1B वीज़ा पर वार्षिक $100,000 शुल्क लागू किया है। इस नीति का उद्देश्य भारत की आईटी कंपनियों और बड़ी टेक कंपनियों द्वारा श्रम अंतर का लाभ उठाने को रोकना और अमेरिकी विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप्स की सुरक्षा करना है। हालांकि, इसका अमेरिकी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पर व्यापक प्रभाव अभी अनिश्चित है।

पृष्ठभूमि:

- H-1B वर्कर्स अब अमेरिका की आईटी वर्कफोर्स का 65% हिस्सा हैं, जबकि 2003 में यह केवल 32% था।
- इसके बावजूद, कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स में 6.1% और कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में 7.5% बेरोज़गारी है।
- कुछ टेक कंपनियों ने FY2024 में 10,000 से अधिक H-1B आवेदन दायर किए, जबकि अमेरिकी कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी की।

भारतीय आईटी उद्योग पर प्रभाव:

- टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS), इंफोसिस और विप्रो जैसी कंपनियाँ H-1B वीज़ा के जरिए कम लागत पर इंजीनियरों को अमेरिका में भेजती थीं।
- $100,000 प्रति वीज़ा होने से यह आर्थिक रूप से भारी पड़ता है। कंपनियों को या तो कीमतें बढ़ानी होंगी या काम ऑफ़शोर शिफ्ट करना होगा, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हो जाएगी।

अमेरिकी टेक कंपनियों पर प्रभाव:

- प्रत्येक H-1B भर्ती अब बड़ी पूंजी आवंटन का प्रतिनिधित्व करती है और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी आवश्यक है।
- इससे आवेदन केवल अत्यधिक कुशल उम्मीदवारों तक सीमित हो सकते हैं, जो कार्यक्रम के मूल उद्देश्य के अनुरूप है।
- स्टार्टअप्स और मध्यम आकार की कंपनियां बड़ी कंपनियों जैसे Google और Microsoft की तुलना में अधिक प्रभावित हो सकती हैं।

असाधारण परिणाम:

- अंतरराष्ट्रीय छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष $40 बिलियन से अधिक योगदान करते हैं; आधे से अधिक STEM क्षेत्रों में हैं।
- शुल्क वैश्विक प्रतिभा को हतोत्साहित कर सकता है, जिससे वे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके की ओर रुख कर सकते हैं।

VAID IAS LUCKNOW

- इससे अगली पीढ़ी के तकनीकी नवप्रवर्तकों को प्रतिस्पर्धी देशों के हाथ में जाने का खतरा है, खासकर चीन के साथ भू-राजनीतिक तनाव के बीच।

नीति पर आलोचना:

- डिज़ाइन में सरलता लेकिन सटीकता की कमी: शुल्क समान रूप से लागू है, बजाय इसके कि यह वेतन स्तर, श्रेष्ठ ग्रेजुएट या शोध क्षेत्रों के आधार पर हो।
- इसे कठोर दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है, जो नवाचार और प्रतिभा आकर्षण को नुकसान पहुंचा सकता है।
- यह अमेरिकी कर्मचारियों के लिए अधिक अवसर पैदा करने की बजाय नौकरियों को ऑफ़शोर शिफ्ट करने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **उद्देश्य:** H-1B वेतन अंतर को कम करना और घरेलू कर्मचारियों की सुरक्षा करना।
- **जोखिम:** अमेरिकी वैश्विक प्रतिभा आकर्षण में कमी, अवसरों का बड़े फर्मों में केंद्रीकरण, नौकरियों का संभावित ऑफ़शोर।
- **भारतीय आईटी प्रभाव:** उच्च लागत के कारण मूल्य वृद्धि या ऑफ़शोर डिलीवरी मॉडल अपनाने की जरूरत, प्रतिस्पर्धात्मकता पर चुनौती।
- **वैश्विक प्रभाव:** प्रतिस्पर्धी देश उन प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकते हैं जिन्हें अमेरिका अब नहीं पकड़ पाएगा।

निष्कर्ष:

$100,000 H-1B शुल्क श्रम अंतर को लक्षित करने वाला एक गंभीर कदम है, लेकिन इसके साथ महत्वपूर्ण अप्रत्याशित जोखिम भी हैं: यह अमेरिकी प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकता है, ऑफ़शोरिंग को तेज कर सकता है और वैश्विक प्रतिभा को अन्य देशों की ओर मोड़ सकता है। घरेलू कर्मचारियों की सुरक्षा और नवाचार संरक्षण के बीच संतुलन इस नीति की दीर्घकालिक सफलता तय करेगा।

मिशन शक्ति 5.0

समाचार में क्यों? मिशन शक्ति 5.0, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख पहल, 23 सितंबर 2025 को डीजीपी राजीव कृष्ण द्वारा जारी नई दिशानिर्देशों के साथ शुरू की गई। यह कदम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर पुलिस की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के प्रयासों के बीच आया है। मिशन शक्ति 5.0 राज्यभर में सिंगल-विंडो शिकायत केंद्रों का विस्तार कर रही है।

मिशन शक्ति 5.0 के मुख्य उद्देश्य:

- **सिंगल-विंडो सिस्टम:** महिलाओं को घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और अन्य मामलों की शिकायत करने के लिए एक ही जगह समाधान प्रदान करना, जिससे प्रशासनिक देरी कम हो।
- **रोकथाम और पुनर्वास का सुदृढ़ीकरण:** सामुदायिक संवेदनशीलता, कानूनी सहायता, चिकित्सा जांच और पीड़ितों के लिए पुनर्वास समर्थन पर ध्यान।
- **जांच दक्षता:** नई प्रक्रियाओं के तहत एफआईआर पंजीकरण और जांच त्वरित, संवेदनशील और लंबी सुनवाई से मुक्त हों।

VAIDICS LUCKNOW

पुलिस स्टेशनों के लिए नई दिशानिर्देश:

- **स्टाफिंग आवश्यकताएँ:** प्रत्येक केंद्र में कम से कम 40-50% महिला स्टाफ होना चाहिए, जिसमें जांच के लिए चार अतिरिक्त सब-इंस्पेक्टर, प्रशिक्षित काउंसलर और होम गार्ड शामिल हों।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर मापदंड:** केंद्र में रिकॉर्ड, स्टेशनरी, महिलाओं के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए; लॉन्च के दो सप्ताह के भीतर संचालन।
- **प्रशिक्षण और पात्रता:** अधिकारियों को 3-5 साल का प्रशिक्षण; साइबर अपराध रोकथाम, एंटी-रोमियो स्क्वाड, और महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता शामिल।
- **सुपरवाइजरी संरचना:** निर्धारित पर्यवेक्षक अधिकारी (ICPs सहित) नियमित निरीक्षण करेंगे; रेंज अधिकारी मासिक अपराध बैठकों की समीक्षा करेंगे और अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

मिशन शक्ति के बारे में:

मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख पहल है, जिसे 2020 में मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया गया। यह सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और जागरूकता के समग्र दृष्टिकोण पर काम करता है। मिशन शक्ति विभिन्न चरणों में लागू की गई है, जिसमें नवीनतम चरण मिशन शक्ति 5.0 है।

उद्देश्य:

1. महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना।
2. प्रशिक्षण, कौशल विकास और उद्यमिता सहायता के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
3. कानूनी अधिकार और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
4. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
5. तत्काल शिकायत निवारण और दीर्घकालिक पुनर्वास के लिए संस्थागत समर्थन प्रणाली बनाना।

विशेष अभियान:

- **ऑपरेशन गरुड़:** महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने वाले साइबर अपराध के खिलाफ।
- **ऑपरेशन मजनू:** सार्वजनिक स्थानों में उत्पीड़न और पीछा रोकने के लिए।
- **ऑपरेशन बचपन:** बच्चों की सुरक्षा और बचाव के लिए।
- **ऑपरेशन नशा मुक्ति:** युवाओं में नशे की लत के खिलाफ।
- **ऑपरेशन रक्षा:** घरेलू हिंसा के मामलों पर केंद्रित।
- **ऑपरेशन ईगल:** यौन अपराधों की जांच पर विशेष ध्यान।

वर्ल्ड फ़ूड इंडिया 2025

समाचार में क्यों ? प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** ने **वर्ल्ड फ़ूड इंडिया 2025** के **चौथे संस्करण** का उद्घाटन **भारत मंडपम, नई दिल्ली** में किया।

- यह आयोजन **भारत की वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण, नवाचार और निवेश हब** के रूप में उभरती स्थिति को रेखांकित करता है।

VAID ICS LUCKNOW

- प्रधानमंत्री ने वैश्विक खाद्य क्षेत्र में भारत की **"त्रिस्तरीय शक्ति" – उत्पादन की विविधता, नवाचार और निवेश के अवसर** – पर जोर दिया।
- यह आयोजन **विकसित भारत 2047** की दृष्टि के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को **विकसित, समावेशी और प्रतिस्पर्धी राष्ट्र** बनाना है।

मुख्य बिंदु:

प्रधानमंत्री का संबोधन:

- भारत का **विविध खाद्य उत्पादन** वैश्विक भूख के परिदृश्य को बदल रहा है और **निवेशकों को आकर्षित** कर रहा है।
- पिछले **10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर** आए हैं, जिससे **उत्साही और आकांक्षी उपभोक्ता वर्ग** बना है।
- भारत अब **विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम** बन गया है, विशेषकर **फूड और एग्री-टेक स्टार्टअप्स** में तेज़ी से वृद्धि हुई है।
- **PLI योजना का विस्तार** और **मेगा फूड पार्क्स** के विकास ने पिछले 10 वर्षों में **खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को 20 गुना बढ़ाया** है।
- **प्रोसेस्ड फूड निर्यात दोगुना** हो गया है, जिससे भारत की **वैश्विक मौजूदगी मजबूत** हुई है।
- **GST सुधारों** ने खाद्य क्षेत्र में **नवाचार और निवेश** को प्रोत्साहन दिया है।

सरकारी पहल:

- **₹770 करोड़ से अधिक** की **क्रेडिट-लिंक्ड सहायता** लगभग **26,000 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों** को दी जाएगी।
- **कुल परियोजना लागत:** ₹2,510 करोड़, **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (PMFME) योजना** के तहत।
- **क्लाइमेट-स्मार्ट तकनीक** और **मार्केट इंटीग्रेशन** पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे भारत **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी** बनेगा।

द्विपक्षीय वार्ता:

- पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान **रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पत्रुशेव** से मुलाकात की।
- चर्चा का केंद्र **कृषि, उर्वरक और खाद्य प्रसंस्करण** में सहयोग रहा।
- प्रधानमंत्री ने **"विन-विन सहयोग"** की अवधारणा को रेखांकित किया, जिससे दोनों देशों को लाभ होगा।

महत्व:

- भारत को **वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण और कृषि नवाचार** का **नेता** स्थापित करता है।
- **विदेशी निवेश**, **स्टार्टअप्स** और **निर्यात-उन्मुख उत्पादन** को बढ़ावा देता है।
- **मूल्य संवर्धन** के माध्यम से **भारत की खाद्य सुरक्षा** और **किसानों की आय** को मजबूत करता है।
- **विकसित भारत 2047** के लक्ष्यों का समर्थन करता है, जिससे **खाद्य प्रणाली सतत, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी** बने।

VAID ICS LUCKNOW

वर्ल्ड फ़ूड इंडिया के बारे में:

- **शुरुआत:** 2017 में **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)** द्वारा एक **फ्लैगशिप इवेंट** के रूप में लॉन्च किया गया।
- **उद्देश्य:**

- भारत के **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र** में **निवेश, नवाचार और साझेदारी** को बढ़ावा देना।
- **किसानों, उद्यमियों और वैश्विक नेताओं** को जोड़ना।

प्रांतीय नागरिकता (Provincial Citizenship)

समाचार में क्यों ? अलोक रंजन के शोध पर आधारित "**प्रांतीय नागरिकता**" हाल ही में **Studies in Indian Politics (सितंबर 2025)** में ऑनलाइन प्रकाशित हुआ।

- अध्ययन **झारखंड की डोमिसाइल नीतियों** पर केंद्रित है और यह बताता है कि ये नीतियाँ **आंतरिक प्रवासन, पहचान और नागरिकता की राजनीति** को कैसे बदल रही हैं।

प्रांतीय नागरिकता – अवधारणा:

- **प्रस्तावक:** आलोक रंजन (JNU)।
- यह **अनौपचारिक, राज्य-स्तरीय नागरिकता** की अवधारणा है, जो **राष्ट्रीय पहचान के बजाय क्षेत्रीय और स्थानीय नाइटीववाद (nativist politics)** पर आधारित होती है।
- **डोमिसाइल आधारित नीतियों** द्वारा संचालित, जो **स्थानीय लोगों या 'सन्स ऑफ द सॉइल'** को नौकरी, कल्याण लाभ और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में प्राथमिकता देती हैं।
- यह एक **समानांतर पहचान** बनाती है, जो **भारतीय संवैधानिक नागरिकता** की अवधारणा के साथ प्रतिस्पर्धा करती है।

झारखंड का केस स्टडी:

- झारखंड, **2000 में बना**, ने **डोमिसाइल नीतियों** का उपयोग **अल्पसंख्यक प्रभावशाली वर्गों के मुकाबले बहुसंख्यक पहचान** को स्थापित करने के लिए किया।
- यह नीतियाँ **सिक्स्थ शेड्यूल जनजातीय क्षेत्रों** से अलग पूरी राज्य पर लागू होती हैं और सीधे **अनुच्छेद 16(2)** को चुनौती देती हैं, जो जन्म या निवास स्थान पर आधारित भेदभाव को रोकता है।
- इसके परिणामस्वरूप **राज्य हित और राष्ट्रीय नागरिकता अधिकारों** के बीच टकराव उत्पन्न हुए, जिनमें अक्सर **सुप्रीम कोर्ट** का हस्तक्षेप आवश्यक हुआ।

अन्य राज्यों के साथ तुलना:

- **जम्मू और कश्मीर:** 2019 में अनुच्छेद 370 समाप्ति के बाद नई डोमिसाइल नीतियाँ लागू की गईं, जो **अल्पसंख्यकों** जैसे वल्मिकी, गोरखा और पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों को शामिल करती हैं।
- **असम:** NRC और आप्रवासी-विरोधी राजनीति ने नागरिकता और डोमिसाइल नीतियों को प्रभावित किया।
- **महाराष्ट्र:** "मराठी माणूस" अभियान ने स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों की मांग की।

VAIDICS LUCKNOW

संवैधानिक चिंता:

- **स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन (SRC) 1955** ने चेताया था कि डोमिसाइल आधारित नियम:
  - **अनुच्छेद 15, 16, 19** का उल्लंघन करते हैं (समानता, गैर-भेदभाव और आंदोलन की स्वतंत्रता)।
  - **सामान्य भारतीय नागरिकता** की अवधारणा को कमजोर करते हैं।
- SRC ने सुझाव दिया कि डोमिसाइल नियमों को **समान संसदीय कानून** द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

प्रांतीय नागरिकता के प्रभाव:

- आंतरिक प्रवासियों और स्थानीय आबादी के बीच **तनाव** पैदा करती है।
- **स्थानीय-आधारित राजनीति और बहिष्कारी नीतियों** को बढ़ावा देती है।
- **अखंड भारत** के संवैधानिक दृष्टिकोण को चुनौती देती है।
- विवादों के समाधान के लिए अक्सर **सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप** आवश्यक होता है।
- राष्ट्रीय एकता की बजाय **स्थानीय पहचान पर राजनीतिक mobilisation** को प्रोत्साहित करती है।

परिभाषा और मुख्य विशेषताएँ:

- **परिभाषा:** प्रांतीय नागरिकता एक **अनौपचारिक, राज्य-स्तरीय पहचान** है, जो उन लोगों को दी जाती है जिन्हें **स्थानीय या मूल निवासी** माना जाता है, और यह **सांस्कृतिक, भावनात्मक और राजनीतिक जुड़ाव** पर आधारित होती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- डोमिसाइल नीतियों (निवास आधारित कोटा और आरक्षण) में निहित।
- संवैधानिक ढांचे के बाहर काम करती है लेकिन **राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव** रखती है।
- **स्थानीय लोगों को प्राथमिकता** देती है – सरकारी नौकरी, कल्याण योजनाएँ, राजनीतिक प्रतिनिधित्व।
- अक्सर **ऐतिहासिक शिकायतों या उप-राष्ट्रीय आंदोलनों** से उत्पन्न होती है।

उदाहरण:

- **झारखंड:** जनजातीय और क्षेत्रीय पहचान पर आधारित डोमिसाइल नीतियाँ।
- **असम:** NRC और नागरिकता को लेकर बहिष्कार की राजनीति।
- **महाराष्ट्र:** सन्स ऑफ द सॉइल नीति के तहत स्थानीय लोगों के लिए नौकरियाँ।
- **जम्मू और कश्मीर:** 2019 के बाद डोमिसाइल सुधार, ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत समूहों को शामिल करने के लिए।

K वीजा – चीन

समाचार में क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्तावित **H-1B वीजा कट्स** का उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करना है। इसके तहत अमेरिका में **विदेशी तकनीकी पेशेवरों**, खासकर भारत जैसे देशों से आने वाले लोगों की संख्या घट सकती है।

- विशेषज्ञों का मानना है कि **चीन** इस अवसर का लाभ अपने **नए K वीजा** के माध्यम से उठा सकता है, जो विज्ञान और तकनीक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

K वीजा का परिचय:

VAD IAS LUCKNOW

- **जनता की गणराज्य चीन की स्टेट काउंसिल** ने **विदेशियों के प्रवेश और निकासी प्रशासन के नियम** जारी किए, और **1 अक्टूबर 2025** से K वीजा लागू किया।
- यह वीजा **युवा विदेशी प्रतिभाओं**, विशेष रूप से **विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान** में काम करने वालों को आकर्षित करने के लिए है।
- K वीजा, 2013 में **R वीजा** के विस्तार के रूप में आया, जिसे उच्च-स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रतिभा को लाने के लिए पेश किया गया था।

उद्देश्य और ध्यान:

- अगली पीढ़ी के **वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं** पर केंद्रित।
- **विज्ञान और तकनीक के युवा पेशेवरों** को लक्षित करता है।
- उम्र सीमा, वैधता अवधि, रहने की अवधि और अनुवर्ती निवास नीतियों जैसी विशेषताएँ अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं।

महत्त्व और रणनीतिक उद्देश्य:

- चीन की **वैज्ञानिक और तकनीकी महाशक्ति बनने की योजना** के अनुरूप।
- US के H-1B वीजा प्रतिबंधों से प्रभावित प्रतिभाओं को आकर्षित करने का अवसर।
- H-1B वीजा की तुलना में **अधिक चयनात्मक**, उच्च क्षमता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता।
- युवा बेरोजगारी और रियल एस्टेट संकट जैसे आर्थिक चुनौतियों को कम करने में मदद।

विशेषज्ञ की राय:

- **Yin Zhengzhi**, एसोसिएट प्रोफेसर, Tsinghua University के अनुसार, K वीजा **चीन के प्रतिभा पूल को मजबूत** कर सकता है और **तकनीकी नवाचार** को तेज़ कर सकता है।
- यह **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में चीन की स्थिति** को मजबूत करेगा और शीर्ष वैज्ञानिकों व युवा पेशेवरों को आकर्षित करेगा।

K वीजा के मुख्य बिंदु:

- **लक्ष्य समूह:** विज्ञान और तकनीक के युवा विदेशी पेशेवर।
- **वैधता और निवास:** उम्र सीमा, अवधि और अनुवर्ती निवास नीति पूरी तरह स्पष्ट नहीं।
- **चयन प्रक्रिया:** अपेक्षित रूप से H-1B वीजा से अधिक चयनात्मक, उच्च क्षमता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता।

महत्त्व:

- चीन के **वैज्ञानिक और तकनीकी महाशक्ति बनने के लक्ष्य** का समर्थन।
- US H-1B वीजा कट्स को अवसर में बदलकर **वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करना**।
- युवा बेरोजगारी को कम करने और **अनुसंधान एवं नवाचार क्षमता** को मजबूत करने में मदद।

दुनिया का प्रथम AI-डिज़ाइन जीनोम

समाचार में क्यों? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला पूरी तरह से **AI-डिज़ाइन किया गया जीनोम** सफलतापूर्वक बनाया है, विशेष रूप से **बैक्टीरियोफेज़** के लिए—ये वायरस हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित कर मारते हैं।

VAIDICS LUCKNOW

- यह AI के जीवविज्ञान में पिछले प्रयोगों से एक बड़ा कदम है, जो अब तक **प्रोटीन डिज़ाइन या छोटे जीन सिस्टम तक ही सीमित थे।**
- पूरा जीनोम डिज़ाइन करना कहीं अधिक जटिल है, क्योंकि इसमें **एक साथ कई इंटरैक्टिंग जीन और रेगुलेटरी स्विच** का समन्वय करना पड़ता है ताकि **सही प्रतिकृति, होस्ट विशिष्टता और विकासात्मक फिटनेस** सुनिश्चित हो सके।

कैसे किया गया?

- टीम ने **Evo नामक जीनोमिक लैंग्वेज मॉडल** का उपयोग किया, जिसे हजारों वायरल जीनोम पर प्रशिक्षित किया गया था, ताकि हजारों संभावित बैक्टीरियोफेज डिज़ाइन तैयार किए जा सकें।
- इन डिज़ाइनों को प्रयोगशाला में **E. coli बैक्टीरिया** पर परीक्षण किया गया, जिनमें **एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी स्ट्रेन** भी शामिल थे। 302 AI-डिज़ाइन किए गए बैक्टीरियोफेज में से **16 ने बैक्टीरिया को सफलतापूर्वक संक्रमित किया।**
- कुछ कार्यशील वायरस में **दर्जनों से सैकड़ों नए म्यूटेशन** पाए गए, जिनमें **दूर संबंधी DNA-पैकिंग प्रोटीन को अपनाना** भी शामिल था—जो मानव वैज्ञानिक पहले नहीं कर पाए थे।

टेस्ट केस वायरस:

- AI कार्य **बैक्टीरियोफेज ΦX174 (phi-X-174)** पर केंद्रित था, जिसमें **5,386 DNA अक्षर और 11 ओवरलैपिंग जीन** हैं, जिसे पहली बार 1977 में अनुक्रमित किया गया और 2003 में संश्लेषित किया गया।
- यह वायरस अब **पहला ऐसा वायरस बन गया है जिसे पूरी तरह AI ने डिज़ाइन किया।**

बैक्टीरियोफेज क्या हैं?

परिभाषा:

बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो **विशेष रूप से बैक्टीरिया को संक्रमित और उनके भीतर प्रतिकृति करते हैं।** "बैक्टीरियोफेज" का अर्थ है **"बैक्टीरिया खाने वाला।"**

संरचना:

- ये **विभिन्न आकार** के हो सकते हैं, जैसे **आइकोसाहेड्रल (गोल), फिलामेंटस या हेड और टेल वाला जटिल संरचना।**
- इनका जीनोम **DNA या RNA**, सिंगल-स्ट्रैंडेड या डबल-स्ट्रैंडेड हो सकता है।
- कुछ में **विशेष प्रोटीन** होते हैं जो बैक्टीरिया की सतह से जुड़कर अपना जीनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करते हैं।

जीवन चक्र:

1. **संलग्नन (Attachment):** फेज बैक्टीरिया की सतह पर विशिष्ट रिसेप्टर्स से जुड़ता है।
2. **प्रवेश (Penetration):** अपना जीन सामग्री होस्ट बैक्टीरिया में इंजेक्ट करता है।
3. **प्रतिकृति (Replication):** बैक्टीरिया की मशीनरी का उपयोग करके फेज घटक बनाता है।
4. **संयोजन (Assembly):** नए फेज कण बैक्टीरिया के अंदर संयोजित होते हैं।
5. **रिलीज़ (Release):** बैक्टीरिया अक्सर **फट जाता है (lysis)** और नए फेज बाहर निकलते हैं।

प्रकार:

- **लिटिक फेज़ (Lytic phages):** प्रतिकृति के तुरंत बाद होस्ट बैक्टीरिया को मार देते हैं।
- **लाइसोजेनिक (Temperate) फेज़:** अपना जीनोम होस्ट DNA में जोड़ देते हैं और **निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं**, फिर बाद में लिटिक चक्र सक्रिय कर सकते हैं।

VAID IOS LUCKNOW

विकसित उत्तर प्रदेश: विजन 2047 कॉन्क्लेव

समाचार में क्यों ? उत्तर प्रदेश सरकार ने **विजन 2047 योजना** के तहत राज्य को भारत का प्रमुख **आर्थिक और सामाजिक केंद्र** बनाने की रणनीति प्रस्तुत की है।

विकसित उत्तर प्रदेश: विजन 2047 कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन **द टाइम्स ऑफ इंडिया** ने किया, में **प्रमुख सचिव (योजना) आलोक कुमार** ने यह रोडमैप प्रस्तुत किया।

इसका लक्ष्य **6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनाना और **भारत के जीडीपी में 20% योगदान** करना है।

मुख्य बिंदु (Key Highlights):

विजन 2047 के लक्ष्य:

- भारत के **जीडीपी में 20% योगदान** देना।
- उत्तर प्रदेश को **6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनाना।
- **समानतामूलक, सतत विकास** और **उच्च जीवन स्तर** पर जोर।
- शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर गए लोगों को **वापस लाना**।

जन भागीदारी और सुझाव (Citizen Participation & Feedback):

- **जनता से सुझाव एकत्र करने के लिए बड़ा अभियान** – अब तक *9 लाख से अधिक सुझाव* प्राप्त।
- सुझावों के बेहतर विश्लेषण के लिए **एआई आधारित प्रणाली**।
- प्रत्येक जिले से **शीर्ष 3 सुझाव** और राज्य से **5 सुझावों** को पुरस्कृत किया जाएगा।

योजना और सहयोग (Planning & Collaboration):

- योजना **नीति आयोग के साथ मिलकर तैयार की जाएगी**।
- **क्षेत्र विशेषज्ञों, निजी क्षेत्र के हितधारकों** से सुझाव लिए जाएंगे।
- अंतिम योजना **विधानसभा में प्रस्तुत** की जाएगी।
- योजना को **12 क्षेत्रों** में बांटा गया है, जो तीन थीम्स पर आधारित हैं:
    1. **आर्थिक विकास (Economic Growth)**
    2. **सहायक क्षेत्र (Supporting Sectors)**
    3. **मानव विकास (Human Development)**

प्राथमिकता वाले क्षेत्र (Priority Sectors):

- उद्योग एवं **मैन्युफैक्चरिंग हब**
- **टेक्सटाइल पार्क और टॉय पार्क**
- **नया लेदर पॉलिसी**
- **आईटी उद्योग और सेमीकंडक्टर सेक्टर**
- **उभरती हुई नई तकनीकें (Emerging Technologies)**

युवाओं पर फोकस (Youth-Centric Development):

- **अगले 22 वर्षों तक जनसांख्यिकीय लाभ (Demographic Dividend)** का उपयोग।
- युवाओं को **नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला** बनाना।

VAID ICS LUCKNOW

- **शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार** और **उद्योगों के साथ सहयोग**।
- **पाठ्यक्रम में सुधार और इंटर्नशिप योजनाएँ**।

कृषि और फूड प्रोसेसिंग (UP-AGRIS Project):

- **विश्व बैंक के सहयोग** से फसल उत्पादकता में **35% वृद्धि** का लक्ष्य।
- उत्तर प्रदेश को **शीर्ष उत्पादक राज्य** से **फूड प्रोसेसिंग में अग्रणी** राज्य बनाना।

महिला सशक्तिकरण और भागीदारी (Women Empowerment & Workforce Participation):

- महिला श्रम भागीदारी **7 वर्षों में 15% से बढ़कर 35%** तक पहुँची।
- राष्ट्रीय औसत से अभी भी **7-8% कम**।
- औद्योगिक नगरों एवं छोटे शहरों में **कार्यरत महिलाओं के लिए हॉस्टल की योजना**।

शहरीकरण और सतत विकास (Urbanization & Sustainability):

- **2047 तक शहरीकरण 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य**।
- **सतत एवं जलवायु-संवेदनशील विकास** पर जोर।
- **विश्व बैंक के सहयोग से क्लीन एयर प्रोजेक्ट**।
- **सौर ऊर्जा से 50% बिजली उत्पादन** का लक्ष्य।
- **बड़े पैमाने पर वनीकरण अभियान**।

पर्यटन विकास (Tourism Development):

- उत्तर प्रदेश को **वैश्विक पर्यटन केंद्र** बनाना।
- पर्यटन के विविध क्षेत्रों में विकास:
    - **गाँव पर्यटन (Village Tourism)**
    - **वेलनेस पर्यटन (Wellness Tourism)**
    - **ईको-टूरिज्म (Eco-Tourism)**
    - **सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन (Cultural & Heritage Tourism)**

महत्त्व (Significance):

- **विकसित भारत 2047** के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की **भूमिका को मजबूत करना**।
- **आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशिता और सतत विकास** को बढ़ावा।
- **रिवर्स माइग्रेशन (Reverse Migration)** को प्रोत्साहित कर प्रतिभा और पूँजी को राज्य में बनाए रखना।
- उत्तर प्रदेश को **भारत के विकास का प्रमुख चालक** बनाना।

सीएजी: राज्यों की वृहद्-वित्तीय स्थिति

समाचार में क्यों ? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने राज्यों की **मैक्रो-फिस्कल स्वास्थ्य** पर एक दशक का विश्लेषण जारी किया। इस रिपोर्ट में राज्यों के **उधारी पैटर्न, राजस्व सृजन और व्यय संरचना** से जुड़े महत्वपूर्ण रुझान सामने आए हैं।

राजस्व अधिशेष और उसके निहितार्थ:

VAIDICS LUCKNOW

- उत्तर प्रदेश ने **₹37,000 करोड़ का राजस्व अधिशेष** दर्ज किया, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है और गुजरात के अधिशेष का **दो गुना से अधिक** है।
- यूपी के **42% राजस्व स्वयं उत्पन्न** हैं, जबकि **58% केंद्र से मिलने वाले ट्रांसफर** पर निर्भर हैं, जिससे वर्टिकल फिस्कल असंतुलन (Vertical Fiscal Imbalance) झलकता है।
- कुछ राज्य जैसे **महाराष्ट्र 70%** राजस्व स्वयं उत्पन्न करते हैं, जबकि **अरुणाचल प्रदेश मात्र 9%** उत्पन्न कर पाता है, जो **क्षेत्रीय असमानता** को दर्शाता है।

असमान और अस्थिर राजस्व स्रोत:

कई राज्य **अस्थिर और अनिश्चित राजस्व स्रोतों** पर निर्भर हैं:

- **केरल:** लॉटरी से ₹12,000 करोड़।
- **ओडिशा:** गैर-कर राजस्व का 90% खनन रॉयल्टी से।
- **तेलंगाना:** भूमि बिक्री से ₹9,800 करोड़।

चुनौतियां:

- लॉटरी पर निर्भरता टिकट बिक्री पर निर्भर करती है।
- खनन रॉयल्टी वैश्विक कमोडिटी कीमतों पर निर्भर है।
- भूमि को बार-बार नहीं बेचा जा सकता, यह सीमित और अस्थायी स्रोत है।

उधारी और ऋण के रुझान (2016-17 से 2022-23):

सीएजी के आंकड़े राज्यों के बीच **भिन्न उधारी पैटर्न** को दर्शाते हैं।

भारी उधारकर्ता और बढ़ता ऋण:

- **आंध्र प्रदेश:** उधारी तीन गुना बढ़कर ₹1.86 लाख करोड़, ऋण **GSDP का 35%**।
- **बिहार:** उधारी दोगुनी, ऋण **GSDP का 39%**।
- **राजस्थान:** उधारी चार गुना बढ़कर ₹1.60 लाख करोड़, ऋण **GSDP का 40%**।
- **तमिलनाडु:** स्थिर वृद्धि, ऋण **GSDP का 33%**।
- **पंजाब:** लगातार उच्च उधारी, ऋण **GSDP का 45%**।

नियंत्रित उधारी वाले राज्य:

- **गुजरात:** उधारी में क्रमिक वृद्धि, ऋण **19-20% GSDP** पर स्थिर।
- **महाराष्ट्र:** महामारी के दौरान उधारी ₹1.18 लाख करोड़ तक बढ़ी, बाद में कम हुई, ऋण **20% GSDP** पर स्थिर।
- **कर्नाटक:** 2020-21 में उधारी बढ़ी, बाद में घटाई, देनदारियां **28% GSDP** के आसपास।
- **उत्तर प्रदेश:** उधारी ₹67,685 करोड़ (2016-17) से घटकर ₹66,847 करोड़ (2022-23), देनदारियां **31% GSDP** पर स्थिर।
- **ओडिशा:** उधारी घटाकर मात्र ₹5,347 करोड़, ऋण **15% GSDP** (भारत में सबसे कम)।

छोटे पूर्वोत्तर राज्य और उच्च ऋण बोझ:

- उधारी की राशि छोटी है, लेकिन **GSDP के अनुपात में बहुत अधिक:**

VAID IAS LUCKNOW

- **मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड**: देनदारियां **40-60% GSDP**, उच्च वित्तीय तनाव और निर्भरता का संकेत।

महामारी का प्रभाव:

- कोविड-19 के दौरान **स्वास्थ्य व कल्याण योजनाओं** पर खर्च बढ़ने से उधारी में उछाल आया।
- महामारी के बाद तीन प्रकार के रुझान देखे गए:
    1. **लगातार उधारी में वृद्धि:** आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना।
    2. **नियंत्रित उधारी और कमी:** कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र।
    3. **तेजी से ऋण में कमी:** ओडिशा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा।

वेलफेयर पैरेडॉक्स (कल्याणकारी विरोधाभास):

कई राज्यों में **कागज पर अधिशेष** दिखता है, लेकिन:

- वे केंद्रीय हस्तांतरण, ऑफ-बजट लोन, और GST मुआवजा देरी पर निर्भर हैं।
- कल्याणकारी योजनाओं के लिए **वास्तविक धन की कमी** है।
- लेखा अधिशेष और वास्तविक विकास में बड़ा अंतर है।

संरचनात्मक चुनौतियों के उदाहरण:

- **पंजाब:** लगातार उच्च ऋण, लेकिन सीमित राजस्व वृद्धि।
- **केरल:** लॉटरी पर अत्यधिक निर्भरता।
- **आंध्र प्रदेश व यूपी:**
    - मुफ्त बिजली योजनाएं,
    - कृषि ऋण माफी,
    - गारंटी और SPVs जैसे अपारदर्शी वित्तीय साधनों से लागत को भविष्य के लिए टालना।

केंद्रीय योजनाएं बनाम राज्यों की वित्तीय क्षमता:

- पीएम-किसान, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत जैसी **केंद्रीय योजनाएं** बड़े पैमाने पर संचालित।
- लेकिन राज्यों के पास इन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करने की वित्तीय क्षमता नहीं।
- भारत का **कल्याणकारी राज्य** बहुत बड़ा है,
- लेकिन मध्यम आय वाले देशों में यह **सबसे पतला वित्तीय आधार** (Thin Fiscal Base) रखता है।
- जिससे यह **उधारी पर अत्यधिक निर्भर** हो जाता है।

CAG रिपोर्ट का महत्व:

- राज्यों के बीच **वित्तीय स्वास्थ्य और उधारी पैटर्न में अंतर** उजागर किया।
- बताया कि **राजस्व अधिशेष अक्सर गहरे वित्तीय संकट को छुपाता है**।
- जोर दिया गया कि:
- राज्यों के लिए **स्थिर और टिकाऊ राजस्व स्रोत** आवश्यक हैं।
- **संतुलित उधारी और ऋण प्रबंधन** की जरूरत है।
- केंद्रीय ट्रांसफर पर अत्यधिक निर्भरता कम करते हुए **सतत कल्याणकारी वित्तपोषण** पर ध्यान देना होगा।

VAID IAS LUCKNOW

प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य

एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण

हाल में क्यों चर्चा में? वैश्विक भूख निगरानी संस्था ने घोषणा की है कि गाज़ा में अकाल (Famine) की स्थिति **है, लगभग दो वर्ष बाद जब इस क्षेत्र में इस्राइल ने सैन्य अभियान शुरू किया था।**

- यह पुष्टि **एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC)** ने की, जो एक **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त निकाय** है और खाद्य असुरक्षा तथा भूख संकट की गंभीरता का आकलन और वर्गीकरण करता है।

IPC क्या है?

- **Integrated Food Security Phase Classification (IPC)** एक ऐसा उपकरण है जो **खाद्य सुरक्षा विश्लेषण और निर्णय-निर्माण को बेहतर बनाने** में मदद करता है।
- यह एक **मानकीकृत पैमाना** है, जो खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका संबंधी जानकारी को एकीकृत कर यह बताता है कि संकट की प्रकृति और गंभीरता क्या है तथा इसके लिए कौन-सी रणनीतिक प्रतिक्रिया आवश्यक है।

उत्पत्ति और विकास:

- **2004 में सोमालिया** के लिए संयुक्त राष्ट्र के **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** की **Food Security Analysis Unit (FSAU)** ने इसे प्रारंभिक रूप से विकसित किया।
- इसके बाद इसे अन्य खाद्य सुरक्षा संदर्भों में अनुकूलित करने के लिए कई राष्ट्रीय सरकारें और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ मिलकर कार्य कर रही हैं।

इसमें शामिल प्रमुख संस्थाएँ:

- CARE International
- यूरोपीय आयोग संयुक्त अनुसंधान केंद्र (European Commission Joint Research Centre - EC JRC)
- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)
- USAID/FEWS NET
- Oxfam GB
- Save the Children (UK/US)
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme - WFP)

इंडिया हैबिटेट सेंटर (IHC)

क्यों चर्चा में: इंडिया हैबिटेट सेंटर (IHC) ने **"उत्सव"** नामक एक नई श्रृंखला शुरू की है, जिसका उद्देश्य **भारत के विभिन्न सांस्कृतिक और पाक (Culinary) त्योहारों** का जश्न मनाना है।

VAID ICS LUCKNOW

- इसकी शुरुआत **ओणम (Onam)** समारोह के साथ की गई, जिसमें **3 से 5 सितंबर** तक **Ann रेस्तरां** में पारंपरिक **सद्या भोजन (Sadhya Meal)** परोसा गया।
- पूरे वर्ष के दौरान यह रेस्तरां **बैसाखी, बिहू, उगादी** जैसे विभिन्न त्योहारों से जुड़े **क्षेत्रीय व्यंजनों** को प्रदर्शित करेगा।
- इसका उद्देश्य **भोजन के माध्यम से भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर** को बढ़ावा देना है।

इंडिया हैबिटेट सेंटर (IHC) के बारे में:

- **IHC** एक **बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक और सम्मेलन केंद्र** (Cultural and Convention Centre) है, जो **नई दिल्ली** में स्थित है।
- इसे **1993** में स्थापित किया गया था, ताकि **आवास (Habitat) और सतत विकास (Sustainable Development)** से जुड़े विभिन्न संगठनों के पेशेवरों को एक साथ लाया जा सके।
- यह केंद्र **सम्मेलनों, कला प्रदर्शनियों, नाट्य प्रस्तुतियों, सांस्कृतिक उत्सवों और कार्यशालाओं** का प्रमुख मंच है।
- इसमें कई **रेस्तरां और सांस्कृतिक स्थल** हैं, जो **क्षेत्रीय व्यंजनों और स्थानीय परंपराओं** को बढ़ावा देते हैं।
- यह **सांस्कृतिक आदान-प्रदान, स्थिरता (Sustainability)** और **शहरी विकास मुद्दों पर सार्वजनिक भागीदारी** को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) प्रस्ताव 1172 (1998)

लेख का सार:

लेख में अटल बिहारी वाजपेयी की भारत-चीन संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है, विशेषकर उनके 1979 के विदेश मंत्री के रूप में चीन दौरे पर—जो 1962 के युद्ध के बाद किसी वरिष्ठ भारतीय नेता का पहला दौरा था। लेख में 1998 के बाद के परमाणु परीक्षणों से उत्पन्न तनावों से लेकर शांति स्थापना प्रयासों तक के द्विपक्षीय संबंधों का अवलोकन किया गया है। यह भारत-चीन सीमा (LAC) पर चल रहे तनाव और विवादों के बीच इन ऐतिहासिक घटनाओं की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है, जिसमें **UNSC प्रस्ताव 1172** भी शामिल है।

UN Security Council Resolution 1172 (1998) के बारे में:

- **गोद लिए जाने की तारीख:** 6 जून 1998
- **प्रसंग:** मई 1998 में भारत और पाकिस्तान ने क्रमशः पोखरण-II और चगाई-I नामक परमाणु परीक्षण किए।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया:** वैश्विक समुदाय चिंतित हुआ, क्योंकि दक्षिण एशिया में परमाणु शस्त्र दौड़ का खतरा था।
- **सह-प्रायोजन:** यह प्रस्ताव चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सह-प्रायोजित किया गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ।

मुख्य प्रावधान:

- भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों की निंदा।
- दोनों देशों से आगे परीक्षण रोकने और अपने परमाणु कार्यक्रम को हथियारीकृत न करने का आग्रह।
- दोनों देशों से **Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)** पर हस्ताक्षर करने और **Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)** में गैर-परमाणु हथियार राज्यों के रूप में शामिल होने का अनुरोध।
- क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए संयम और संवाद की आवश्यकता।

VAID ICS LUCKNOW

- सभी देशों से आग्रह कि वे भारत या पाकिस्तान को उनके परमाणु हथियार कार्यक्रम में सहायता न करें।

टिवा लांगखुन महोत्सव

चर्चा में क्यों? हाल ही में **टिवा लांगखुन महोत्सव** का उत्सव उमसोवाई गाँव, **करबी आंगलोंग ज़िला, असम** में बड़े धूमधाम से मनाया गया।

- यह पारंपरिक त्योहार **टिवा जनजाति** द्वारा **अच्छी फसल और समृद्धि की कामना** के लिए विभिन्न **अनुष्ठानों और सांस्कृतिक नृत्यों** के माध्यम से मनाया जाता है।
- यह त्योहार **टिवा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर** और **सामुदायिक एकता** को दर्शाता है।

टिवा जनजाति के बारे में:

- **स्थान (Location):**
  - मुख्य रूप से **असम के मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों** में निवास करते हैं।
  - विशेष रूप से **करबी आंगलोंग, मोरीगाँव, और नगाँव जिलों** में पाए जाते हैं।
  - कुछ जनसंख्या **मेघालय** में भी पाई जाती है।
- **जातीय समूह (Ethnic Group):**
  - असम में **अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe - ST)** के रूप में मान्यता प्राप्त।
- **भाषा (Language):**
  - **टिवा भाषा**, जो **तिब्बती-बर्मन भाषा परिवार** का हिस्सा है।
  - साथ ही **असमिया भाषा** भी बोली जाती है।

अर्थव्यवस्था (Economy):

- मुख्य रूप से **कृषि आधारित (Agrarian)**।
- **झूम खेती (Shifting Cultivation)** और **धान की गीली खेती (Wet Rice Cultivation)** दोनों का अभ्यास।
- कृषि, **वन उत्पाद**, और **बुनाई** पर पारंपरिक निर्भरता।

सामाजिक प्रणाली (Social System):

- **क्लान-आधारित संगठन (Clan-based Organization)** के लिए प्रसिद्ध।
- सामाजिक संरचना दो भागों में विभाजित:
  1. **पहाड़ी टिवा (Hill Tiwas)**
  2. **मैदानी टिवा (Plain Tiwas)** – दोनों में थोड़े सांस्कृतिक अंतर।

प्रमुख त्योहार (Famous Festivals):

लांगखुन महोत्सव (Langkhun Festival):

- युवा लड़कों के **वयस्कता में प्रवेश (Initiation into Adulthood)** और **अच्छी फसल की कामना** से जुड़ा त्योहार।

सोग्रा मिसावा महोत्सव (Sogra Misawa Festival):

- **उर्वरता (Fertility)** और **कृषि समृद्धि** से संबंधित।

VAIDICS LUCKNOW

जोनबील मेला (Jonbeel Mela):

- **वस्तु विनिमय व्यापार (Barter Trade)** के लिए प्रसिद्ध, जहाँ पहाड़ी और मैदानी जनजातियाँ आपस में सामान का आदान-प्रदान करती हैं।

बांडुंग सम्मेलन 1955

- बांडुंग सम्मेलन को अक्सर **निर्गुट आंदोलन (NAM)** की नींव के रूप में याद किया जाता है।
- यह भारत की विदेश नीति के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर ***दक्षिण-दक्षिण सहयोग, एशियाई-अफ्रीकी*** *एकजुटता*, और नवस्वतंत्र राष्ट्रों में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका के लिए।
- हाल ही में, कूटनीतिक बैठकों के दौरान एशिया और अफ्रीका के नेताओं ने *वैश्विक शांति* और *सहयोग* को बढ़ावा देने के लिए बांडुंग की भावना का उल्लेख किया, खासकर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच।

आधिकारिक नाम: एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन:

- **स्थान:** बांडुंग, इंडोनेशिया
- **तिथि:** 18 अप्रैल – 24 अप्रैल, 1955
- **मेजबान देश:** इंडोनेशिया, बर्मा (वर्तमान म्यांमार), सीलोन (वर्तमान श्रीलंका), भारत और पाकिस्तान
- **भाग लेने वाले देश:** 29 एशियाई और अफ्रीकी राष्ट्र, जिनमें से अधिकांश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे।
- **प्रतिनिधित्व जनसंख्या:** लगभग 1.5 बिलियन लोग, जो उस समय विश्व की लगभग **55% जनसंख्या** थी।

पृष्ठभूमि (Background):

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के कई देशों को *औपनिवेशिक शासन* से स्वतंत्रता मिली।
- उस समय *शीत युद्ध* के दौरान **अमेरिका (पूंजीवादी गुट)** और **सोवियत संघ (साम्यवादी गुट)** के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही थी।
- नवस्वतंत्र देश किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे।
- एक ऐसे सामूहिक मंच की आवश्यकता थी, जहां ***साम्राज्यवाद, नस्लवाद, आर्थिक पिछड़ापन***, और *शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व* जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा सके।
- भारत के प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू**, **सुकर्णो (इंडोनेशिया)**, **यू नु (बर्मा)**, **मोहम्मद अली (पाकिस्तान)** और **सर जॉन कोटेलावाला (सीलोन)** ने सम्मेलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई।

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025

चर्चा में क्यों?अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 **हर वर्ष** 15 सितंबर **को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य** लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों, और शासन में नागरिकों की भागीदारी **के महत्व को पुनः सुदृढ़ करना है।**

2025 की थीम:

"Achieving Gender Equality, Action by Action" (*"लैंगिक समानता प्राप्त करना, एक कदम-एक कार्रवाई के साथ"*)

यह थीम **इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (IPU)** द्वारा निर्धारित की गई है और यह लैंगिक समानता को मजबूत करने के लिए कार्यवाही पर बल देती है।

VAID ICS LUCKNOW

इतिहास और उत्पत्ति (History and Origin of the Day):

- अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की स्थापना **2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के एक प्रस्ताव** के माध्यम से की गई।
- पहली बार इसका आयोजन **15 सितंबर 2008** को किया गया।
- **15 सितंबर** की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन **1997 में इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (IPU)** ने *यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी* (Universal Declaration on Democracy) को अपनाया था।

यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन डेमोक्रेसी के मुख्य सिद्धांत:

- **सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का अधिकार**
- **मानवाधिकारों का सम्मान**
- **पारदर्शी शासन (Transparent Governance)**
- **स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस**

इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (IPU) के बारे में:

IPU विश्वभर की **राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन** है। इसका उद्देश्य **लोकतंत्र, शांति, सहयोग, और संवाद** को बढ़ावा देना है।

मुख्य कार्य (Functions):

- विश्वभर के सांसदों को **संवाद और सहयोग का मंच** उपलब्ध कराना।
- **अंतर्राष्ट्रीय संसदीय कूटनीति (Parliamentary Diplomacy)** को बढ़ावा देना।
- **मानवाधिकार, सतत विकास, संघर्ष समाधान** और अन्य वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करना।

स्थापना (Establishment):

- **स्थापना तिथि:** 30 जून 1889
- **संस्थापक:**
    - **फ्रेडरिक पासी (Frédéric Passy) – फ्रांस** *(नोबेल शांति पुरस्कार विजेता)*
    - **विलियम रैंडल क्रीमर (William Randal Cremer) – यूनाइटेड किंगडम** *(नोबेल शांति पुरस्कार विजेता)*
- **प्रारंभिक नाम:** *इंटर-पार्लियामेंटरी कॉन्ग्रेस (Inter-Parliamentary Congress)*
- **1899 में नाम बदला गया:** *इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (IPU)*
- **मुख्यालय:** जेनेवा, स्विट्जरलैंड

नोट: IPU विश्व का **सबसे पुराना बहुपक्षीय राजनीतिक संगठन** है, जो संयुक्त राष्ट्र (UN) से भी पहले अस्तित्व में आया।

सदस्यता (Membership):

- **कुल सदस्य (2025):** 180 राष्ट्रीय संसदें
- **सहयोगी सदस्य (Associate Members):** 14 क्षेत्रीय संसदीय सभाएं
- **सांसदों का प्रतिनिधित्व:** विश्वभर में 46,000 से अधिक सांसद
- **सदस्यता की शर्त:** कोई भी **संप्रभु राष्ट्र** जिसकी **कार्यशील राष्ट्रीय संसद** हो, वह सदस्य बन सकता है।

VAID ICS LUCKNOW

निष्कर्ष:

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि **लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं**, बल्कि एक ऐसा तंत्र बने जो **समानता, मानवाधिकार, पारदर्शिता और स्वतंत्रता** को मजबूत करे। **2025 की थीम** विशेष रूप से इस बात पर जोर देती है कि **लैंगिक समानता** लोकतंत्र की बुनियाद है और इसे **ठोस कार्यवाहियों द्वारा ही हासिल किया जा सकता है**।

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान

चर्चा में क्यों ? भारत सरकार 17 सितम्बर 2025 को *'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान'* (Healthy Woman, Strong Family Campaign) तथा आठवां *'पोषण माह'* (Nutrition Month) लॉन्च करने जा रही है। इस पहल को प्रधानमंत्री **नरेंद्र मोदी** द्वारा शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW)** और **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD)** द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा।

'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान' के बारे में:

उद्देश्य (Objective):

महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार कर परिवारों और समुदायों को मजबूत बनाना।

मुख्य फोकस क्षेत्र (Focus Areas):

गैर-संचारी रोगों (Non-Communicable Diseases - NCDs) की प्रारंभिक पहचान और रोकथाम जैसे-

- एनीमिया (Anemia)
- डायबिटीज (Diabetes)
- हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension)
- ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर

- **मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (Maternal and Child Health)** को बढ़ावा देना।
- **पोषण जागरूकता (Nutrition Awareness)** और समुदाय स्तर पर व्यवहार में बदलाव लाना।

मुख्य विशेषताएँ (Key Features):

- **स्क्रीनिंग कैंप:** आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच शिविर।
- **डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड:** महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए *आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन* से एकीकरण।
- **समुदाय की भागीदारी:** आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी।
- **पोषण अभियान से तालमेल:** पोषण माह की गतिविधियों के साथ एक समग्र दृष्टिकोण।
- **टैगलाइन:** *"स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार"*— यह दर्शाता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य पूरे परिवार और समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।

VAIDICS LUCKNOW

पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स

पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले खनिज भंडार हैं, जो मुख्यतः *हाइड्रोथर्मल वेंट सिस्टम* (Hydrothermal Vent Systems) के आसपास बनते हैं। ये धातुएँ औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

मुख्य विशेषताएँ (Key Characteristics):

1. निर्माण प्रक्रिया (Formation):

- पृथ्वी की परत के नीचे से निकलने वाले गर्म, धातु-समृद्ध द्रव (fluid) हाइड्रोथर्मल वेंट्स के माध्यम से समुद्र में आते हैं।
- जब ये गर्म द्रव ठंडे समुद्री जल से मिलते हैं, तो धातु सल्फाइड खनिज के रूप में जमने लगते हैं।

2. संरचना (Composition):

PMS में विभिन्न प्रकार की धातुएँ होती हैं, जैसे:

- कॉपर (Copper - Cu)
- लेड (Lead - Pb)
- जिंक (Zinc - Zn)
- आयरन (Iron - Fe)
- सिल्वर (Silver - Ag)
- गोल्ड (Gold - Au)
- कोबाल्ट (Cobalt - Co)
- निकल (Nickel - Ni)

इन धातुओं का सल्फर के साथ संयोजन होकर **सल्फाइड खनिज** बनता है, जैसे:

- चाल्कोपाइराइट (Chalcopyrite)
- स्फालेराइट (Sphalerite)
- गैलेना (Galena)

संत कबीर टेक्सटाइल पार्क योजना

चर्चा में क्यों ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री **योगी आदित्यनाथ** ने हाल ही में घोषणा की है कि प्रदेश में **संत कबीर के नाम पर टेक्सटाइल और परिधान पार्क (Textile & Apparel Parks)** स्थापित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य **कौशल विकास (Skill Development)** और **युवाओं के लिए रोजगार सृजन (Employment Generation)** है।

मुख्य विवरण (Key Details):

घोषणा:

- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान इस योजना की घोषणा की।
- इस योजना के तहत **पूरे उत्तर प्रदेश में टेक्सटाइल पार्कों का विकास** किया जाएगा।

VAD ICS LUCKNOW

प्रेरणा:

- **संत कबीर के श्रम, सादगी और आत्मनिर्भरता के आदर्शों** से प्रेरणा लेकर इस पहल को आगे बढ़ाया जाएगा।
- इसका उद्देश्य **नवाचार (Modernity)** और **निवेश व रोजगार के नए अवसर** पैदा करना है।

टेक्सटाइल पार्क:

- विशेष रूप से **संत कबीर नगर** जैसे क्षेत्रों में **आधुनिक सुविधाओं वाले टेक्सटाइल पार्क** स्थापित किए जाएंगे।
- यह योजना राज्य के **शीर्ष टेक्सटाइल और परिधान निर्यातकों** को सहयोग प्रदान करेगी।

आर्थिक प्रभाव (Economic Impact):

निर्यात में योगदान:

- उत्तर प्रदेश वर्तमान में **भारत के कुल टेक्सटाइल निर्यात का 15%** हिस्सा है।
- राज्य **3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर** मूल्य का निर्यात करता है।

रोजगार सृजन:

- योजना के तहत **50,000 लोगों को रोजगार** देने का लक्ष्य है।
- **अगले दो वर्षों में 24 निर्यातक कंपनियां** इसमें शामिल होंगी।

निवेश:

- टेक्सटाइल उद्योग को मजबूत और विस्तारित करने के लिए **15,431 करोड़ रुपये का निवेश** प्रस्तावित है।

अवसंरचना और समर्थन (Infrastructure and Support):

सुविधाएँ:

- आधुनिक **एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (Effluent Treatment Plants)**,
- सहायक उद्योग (Ancillary Industries),
- और **वेयरहाउस (Warehouses)** का निर्माण किया जाएगा।

कौशल विकास:

- **कौशल विकास पर विशेष ध्यान** देते हुए बड़े पैमाने पर **रोजगार सृजन कार्यक्रम** चलाया जा रहा है।

ऊर्जा:

- बुनकरों को **सब्सिडी वाली बिजली** उपलब्ध कराई जाएगी।
- **सौर ऊर्जा (Solar Energy)** के एकीकरण पर भी जोर दिया जाएगा ताकि योजना **सतत (Sustainable)** बन सके।

अतिरिक्त लाभ (Additional Benefits):

- श्रमिकों के लिए **न्यूनतम वेतन (Minimum Wage)** लागू किया जाएगा।
- **स्थानीय संसाधनों** के उपयोग को प्रोत्साहित कर **राज्य की अर्थव्यवस्था को सशक्त** बनाया जाएगा।
    - योजना से **वैश्विक व्यापार और अवसंरचना विकास** को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें **सड़कें, बिजली और जल आपूर्ति** जैसी बुनियादी सुविधाओं का सुधार शामिल होगा।

VAIDICS LUCKNOW

जुपिटर (JUPITER) / एयरावत-PSAI (AIRAWAT-PSAI)

समाचार में क्यों? 5 सितंबर, 2025 – **जुपिटर (JUPITER)**, यूरोप का **पहला एक्सास्केल सुपरकंप्यूटर**, जर्मनी में लॉन्च किया गया।

- यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपरकंप्यूटरों में से एक है।
- यह पूरी तरह **नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)** से संचालित है, जो इसे **सतत उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग (HPC)** में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनाता है।

- **भारत** में, **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)** के तहत लगातार प्रगति हो रही है।
  - **एयरावत-PSAI**, भारत का उन्नत **AI-आधारित सुपरकंप्यूटर**, **विश्व के शीर्ष 100 सुपरकंप्यूटरों** में शामिल हो गया है, जो भारत की अत्याधुनिक कंप्यूटिंग तकनीक में बढ़ती क्षमता को दर्शाता है।

जुपिटर (JUPITER) – यूरोप का पहला एक्सास्केल सुपरकंप्यूटर:

- **स्थान:** फोर्शुंग्सज़ेन्ट्रम जूलिख (Forschungszentrum Jülich), जर्मनी।
- **प्रदर्शन (Performance):**
  - **एक्सास्केल क्षमता (Exascale Capacity)** – **एक एक्साफ्लॉप** यानी **1 क्विंटिलियन (10^{18}) गणनाएँ प्रति सेकंड** करने में सक्षम।

महत्व (Significance):

1. **रीयल-टाइम जलवायु मॉडलिंग** और **आपदा पूर्वानुमान (Disaster Prediction)** में सहायता।
2. **चिकित्सा और फार्मास्युटिकल रिसर्च** को बढ़ावा, जैसे दवा की खोज।
3. विभिन्न उद्योगों में **AI-आधारित नवाचार** को समर्थन।
4. पूरी तरह **नवीकरणीय ऊर्जा** पर आधारित, जिससे **ग्रीन कंप्यूटिंग** का मानक स्थापित हुआ।

रणनीतिक प्रभाव (Strategic Impact):

- यूरोप की **तकनीकी संप्रभुता (Technological Sovereignty)** को मजबूत करना और
- विदेशी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर **निर्भरता को कम करना**।

एयरावत-PSAI (भारत):

- **पूरा नाम:** *AI Research, Analytics, and Knowledge Assimilation Platform for Powering Sustainable AI (एआई अनुसंधान, विश्लेषण और ज्ञान आत्मसात मंच – सतत एआई को शक्ति प्रदान करने हेतु)*

उद्देश्य (Purpose):

- **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)** के तहत विकसित।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- **भारत की AI रणनीति** और **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem)** को मजबूत करना।

रैंकिंग (Ranking):

- वर्ष **2025 में विश्व के शीर्ष 100 सुपरकंप्यूटरों** में शामिल।

मुख्य विशेषताएँ (Key Features):

1. **AI वर्कलोड** और **बिग डेटा एनालिटिक्स** के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया।

VAID IGS LUCKNOW

2. **स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा, अंतरिक्ष, रक्षा और जलवायु अनुसंधान** में उपयोग।
3. **मेक इन इंडिया (Make in India)** के तहत **सी-डैक (C-DAC)** के सहयोग से विकसित।

2025 PN7

2025 PN7 हाल ही में खोजा गया एक क्षुद्रग्रह है, जिसकी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान कक्षा है।

- इसे एक छोटा **क्वासी-मून** (अर्ध-चंद्रमा) माना जाता है, संभवतः अपने प्रकार का सबसे छोटा, जिसकी लंबाई लगभग 52 फीट से अधिक नहीं हो सकती।
- खगोल वैज्ञानिक इसे अध्ययन कर रहे हैं ताकि ऐसे क्षुद्रग्रहों को समझा जा सके जो अस्थायी रूप से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें **मिनी-मून** या **क्वासी-मून** कहा जाता है।
- यह क्षुद्रग्रह मैड्रिड विश्वविद्यालय और कंप्लुटेन्से विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा दूरबीन के माध्यम से खोजा गया और इसे **अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट्स** में प्रकाशित किया गया।
- 2025 PN7 उस शोध का हिस्सा है जो छोटे और अस्थायी अंतरिक्ष वस्तुओं पर केंद्रित है, जो पृथ्वी के आसपास थोड़े समय के लिए मंडराती हैं। यह शोध खगोल वैज्ञानिकों को **पृथ्वी के निकट वस्तुएँ (Near-Earth Objects)** और भविष्य में अंतरिक्ष से आने वाले संभावित आगंतुकों को समझने में मदद करता है।

एंटीफ़ा (Antifa)

समाचार में क्यों ? एंटीफ़ा हाल ही में सुर्खियों में है क्योंकि राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप** ने 10 सितंबर 2025 को **रूढ़िवादी कार्यकर्ता चार्ली किर्क** की हत्या के जवाब में 22 सितंबर 2025 को एक **कार्यकारी आदेश** पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश में एंटीफ़ा को **"घरेलू आतंकवादी संगठन"** घोषित किया गया और संघीय एजेंसियों को इसके गतिविधियों और फंडिंग की जांच का निर्देश दिया गया।

एंटीफ़ा क्या है:

- एंटीफ़ा का मतलब **"एंटी-फासिस्ट"** (Anti-Fascist) है।
- यह एक **विकेंद्रीकृत, वामपंथी आंदोलन** है जो फासीवाद, जातिवाद और दक्षिणपंथी अतिवाद का **प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से विरोध** करता है।
- इसका उद्भव 20वीं सदी की शुरुआत में **यूरोप** में हुआ, विशेषकर 1920 और 1930 के दशक में **एंटी-नाजी कार्यकर्ताओं** के बीच।
- यह आंदोलन 1980 के दशक में **अमेरिका** में फैल गया और 2017 के **चार्लोट्सविल "यूनाइट द राइट" रैली** और 2020 के **जॉर्ज फ्लॉयड विरोध प्रदर्शनों** के दौरान प्रमुख रूप से ध्यान आकर्षित किया।

VAIDICS LUCKNOW

सुपर टाइफून रागासा

समाचार में क्यों? सुपर टाइफून **रागासा** ने **हांगकांग** और **उत्तर फिलीपींस** को 280 किमी/घंटा की स्थायी हवाओं के साथ प्रभावित किया, जिससे यह **2025 में दर्ज सबसे तीव्र उष्णकटिबंधीय तूफान** बन गया।

- इस तूफान ने भारी बारिश, **महत्वपूर्ण तूफानी लहर**, और कुछ क्षेत्रों में **1.5 मीटर से अधिक समुद्री जल स्तर वृद्धि** पैदा की।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण:

- उष्णकटिबंधीय महासागरों में गर्म हवा के उठने से **कम दबाव वाले क्षेत्र**, बादल और **बिजली भरे तूफान** बनते हैं।
- चक्रवात घूमते हैं:
- उत्तरी गोलार्ध में: **घड़ी की दिशा के विपरीत (counterclockwise)**
- दक्षिणी गोलार्ध में: **घड़ी की दिशा में (clockwise)**

"डर्टी साइड" और तीव्रता:

- टाइफून का **"साफ"** और **"गंदा"** पक्ष होता है:
- **गंदा पक्ष:** उत्तरी गोलार्ध में सबसे तेज़ हवाएँ और तूफानी लहर।
- **साफ पक्ष:** कम विनाशकारी।
- रागासा की **अधिकतम स्थायी हवाएँ 280 किमी/घंटा** तक पहुंची, जिससे यह **Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale पर Category 5 सुपर टाइफून** बन गया।

स्थायी हवा की माप:

- **WMO (विश्व मौसम संगठन):** 10 मिनट का औसत
- **NOAA (अमेरिकी राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडल प्रशासन):** 1 मिनट का औसत

रागासा की तीव्रता के कारण:

महासागर सतह का तापमान:

- रागासा के निर्माण वाले पानी का तापमान **दीर्घकालिक औसत से लगभग 1°C अधिक** था, जिससे तूफान को अतिरिक्त ऊर्जा मिली।

जलवायु परिवर्तन:

- गर्म महासागर अधिक शक्तिशाली और लंबे समय तक रहने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न करते हैं।

क्षेत्रीय भिन्नता:

- तूफान की तीव्रता क्षेत्रीय रूप से तापमान, वायुमंडलीय स्थितियों और महासागर धाराओं के कारण बदलती रहती है।

VAID ICS LUCKNOW

एस्ट्रोसैट

भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला मिशन, **एस्ट्रोसैट, ने हाल ही में 10 साल पूरे किए।**

एस्ट्रोसैट (AstroSat) के बारे में:

परिचय:

- **एस्ट्रोसैट** भारत का पहला **समर्पित मल्टी-वेवलेंथ (multi-wavelength) अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला मिशन** है।
- इसे **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** ने विकसित किया।
- लॉन्च की तिथि: **28 सितंबर 2015**, **PSLV-C30 (XL) रॉकेट** द्वारा **श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र** से।
- डिज़ाइन मिशन जीवन: **5 वर्ष**, लेकिन अब तक **10 साल से अधिक सक्रिय**।

उद्देश्य:

- ब्रह्मांड का **विस्तृत अध्ययन** करना:
    - **ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, गैलेक्सियाँ, प्रॉक्सिमा सेंटॉरी**।
    - विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम के **अल्ट्रावायलेट/विज़िबल से लेकर उच्च ऊर्जा एक्स-रे तक**।
- **नए खगोलीय स्रोतों** की खोज और **अंतरिक्षीय घटनाओं** का अध्ययन।

******

VAID ICS LUCKNOW